

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

दिसम्बर, 2010 सत्र

सोमवार, दिनांक 6 दिसम्बर, 2010

तारांकित प्रश्नोत्तर

जिला बस्तर में संचालित महाविद्यालयों में प्राध्यापकों/सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति

1. (*क्र. 206) **श्री संतोष बाफना** : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर जिले में कितने महाविद्यालय संचालित हैं नाम सहित बताएं ? (ख) उक्त महाविद्यालयों में विभिन्न संकायों के प्राध्यापकों/सहायक प्राध्यापकों के कुल कितने पद रिक्त हैं ? महाविद्यालय एवं संकायवार जानकारी देने का कष्ट करें, रिक्त पदों को कब तक भरा जायेगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचन्द्र यादव) : (क) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” पर है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” पर है. समयसीमा बताना संभव नहीं है.

खराब ट्रांसफार्मरों को रिप्लेस नहीं करने वाले सप्लायर के विरुद्ध कार्यवाही

2. (*क्र. 36) **डॉ. शक्राजीत नायक** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 2004-05 से 2009-10 तक ट्रांसफार्मर सप्लायर करने वाली कंपनी रायपुर ट्रांसफार्मर कंपनी को गारंटी पीरियड के दौरान खराब होने पर रिप्लेस करने हेतु विद्युत संभागवार कितने-कितने पावर एवं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर दिये गये हैं ? कितनों को सुधार कर वापस किया गया ? (ख) एग्रीमेंट के अनुसार रिप्लेस नहीं किये गये ट्रांसफार्मरों की कीमत वसूली के लिए क्या कार्यवाही की गयी ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) वर्ष 2004-05 से 2009-10 तक ट्रांसफार्मर सप्लायर करने वाली कंपनी “रायपुर ट्रांसफार्मर कंपनी” को गारंटी पीरियड में खराब होने पर रिप्लेस अथवा रिपेयर करने की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शाई गई है. (ख) अनुबंध के अनुसार रिप्लेस/सुधार नहीं किए गए ट्रांसफार्मरों की कीमत वसूली हेतु कंपनी को नोटिस जारी कर, उनके द्वारा जमा की गयी सुरक्षा निधि राशि रु. 6.5 लाख को राजसात कर लिया गया है. तत्पश्चात् कंपनी के विरुद्ध क्षेत्रीय भंडार संभागों से संबंधित पुलिस थानों में शिकायत/प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज करा दी गई है एवं आगे की कार्यवाही पुलिस विभाग द्वारा की जा रही है.

रायगढ़ जिले में एनीकट निर्माण की स्थिति

3. (*क्र. 73) **श्री हृदयराम राठिया** : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में वर्ष 2009-10, 2010-11 में कहां-कहां एनीकट निर्माण किये गये हैं ? (ख) दिनांक 15-11-2010 की स्थिति में कितने एनीकट निर्माणाधीन हैं तथा कितने अपूर्ण हैं ? अपूर्णता के कारण सहित जानकारी दें. (ग) वर्ष 2010 में कितने एनीकट कहां-कहां प्रस्तावित हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचन्द्र यादव) : (क) रायगढ़ जिले में वर्ष 2009-10 में किसी भी एनीकट का निर्माण नहीं किया गया है. वर्ष 2010-11 में सारंगढ़ विकास खण्ड में लातनाला पर ग्राम माधोपाली में एनीकट का निर्माण किया गया है. (ख) 15-11-2010 की स्थिति में रायगढ़ जिले में 04 एनीकट निर्माणाधीन हैं. जिनमें से 01 (अम्बेटिकरा एनीकट) का निर्माण कार्य निविदाकार द्वारा केवल 20 प्रतिशत कार्य करने के पश्चात् काम छोड़ देने के कारण अपूर्ण है. (ग) वर्ष 2010 में रायगढ़ जिले में 33 एनीकट प्रस्तावित हैं. विवरण ‡ संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

सिहावा विधान सभा क्षेत्र में पत्थर उत्खनन की रायल्टी का भुगतान

4. (*क्र. 125) **श्रीमती अंबिका मरकाम** : क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिहावा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत किस-किस खसरा नंबर के कुल कितने रकबे के खदान किस-किस व्यक्ति को पत्थर खनन के लिए कितनी अवधि तक के लिए दी गई है ? (ख) क्या संबंधित व्यक्तियों द्वारा समय सीमा के अंदर रायल्टी राशि नियमित जमा की जा रही है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) जी हां.

ओपन एक्सेस के तहत निजी कम्पनियों द्वारा बिजली विक्रय की अनुमति

5. (*क्र. 11) **डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है कि ओपन एक्सेस नियम के चलते करीब डेढ़ दर्जन कंपनियों द्वारा शासन को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाया गया है ? क्या यह भी सच है कि निजी कंपनियों को बिजली बेचने के लिये ओपन एक्सेस के तहत अनुमति दी जा रही है ? (ख) शासन द्वारा नुकसान के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ? यह भी जानकारी दें कि वाय. एन. जौहरी कमेटी की रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई है ? (ग) क्या शासन द्वारा इन कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने का फैसला लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जी नहीं, ओपन एक्सेस के तहत राज्य के बाहर बिजली बेचने वाले निजी विद्युत उत्पादकों से यू. आई. चार्जस के भुगतान हेतु बकाया राशि की वसूली नियमित की जा रही है. अधिकांश विद्युत उत्पादक निर्धारित 12 दिन की समय सीमा में भुगतान जमा कर रहे हैं. केवल दो निजी विद्युत उत्पादक मेसर्स जिन्दल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रा. लि. रायपुर तथा मेसर्स शैशासैला पॉवर एंड एंजीनियरिंग प्रायवेट लिमिटेड रायपुर द्वारा यू. आई. चार्जस की वसूली हेतु जारी नोटिस की लगातार उपेक्षा की गई व इन कम्पनियों के विरुद्ध एफ. आई. आर. दिनांक 29-07-2010 को दर्ज की गई है. केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के रेग्युलेशन के अन्तर्गत निजी कम्पनियों को ओपन एक्सेस के तहत राज्य के बाहर बिजली बेचने के लिये अनुमति नहीं अपितु अनापत्ति दी जा रही है. (ख) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी द्वारा जारी नोटिस को अनदेखा कर यू. आई. चार्जस का भुगतान न करने वाली दो कम्पनियों के विरुद्ध राशि रुपये 8,17,94,835.83 की वसूली हेतु एफ.आई.आर. दर्ज की गई है. श्री वाय. एन. जौहरी कमेटी की रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही में मुख्यतः तत्कालीन एम. डी. के सलाहकार को दिनांक 09-11-2010 से कार्यमुक्त करना, तत्कालीन एम. डी. को दिनांक 25-11-2010 को कारण बताओ सूचना जारी करना, भार प्रेषण केन्द्र में आंतरिक अंकेक्षण के आदेश जारी करना, अनापत्ति जारी करने के पूर्व विद्युत पारेषण कम्पनी व विद्युत वितरण कम्पनी से बकाया राशि न होने की पुष्टि प्राप्त करना तथा नियमित यू. आई. चार्जस का भुगतान न करने वाले उत्पादकों से यू. आई. देयकों के भुगतान की गारंटी के लिये लेटर ऑफ क्रेडिट प्राप्त करना आदि सम्मिलित है. (ग) भारत सरकार द्वारा प्रभावशील किये गये विद्युत अधिनियम 2003 में किसी व्यक्ति या उपभोक्ता या विद्युत उत्पादक को विद्युत के पारेषण/वितरण हेतु विद्यमान विद्युत पारेषण/विद्युत वितरण प्रणाली के उपयोग का अधिकार ओपन एक्सेस के तहत प्राप्त है. तदनुसार इस अधिकार के अन्तर्गत राज्य के पारेषण लाईनों व वितरण लाईनों के उपयोग हेतु अनापत्ति जारी करने का दायित्व विद्युत कम्पनियों पर है न कि शासन पर. अतः संगत रेग्युलेशन के पालन में त्रुटि के पाये जाने पर कार्यवाही शासन द्वारा नहीं किया जाकर विद्युत कम्पनियों द्वारा की जाती है. यू. आई. चार्जस का भुगतान न करने वाली दो कम्पनियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण प्रश्नोत्तर के (क) में सम्मिलित है.

आरंग विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत राजीव समोदा व्यपवर्तन योजना हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा

6. (*क्र. 116) **श्री रूद्र कुमार गुरू** : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आरंग विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत राजीव समोदा व्यपवर्तन योजना के तहत द्वितीय चरण नहर निर्माण कार्य हेतु कृषि भूमि की मुआवजा राशि वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में दिनांक 15 नवम्बर, 2010 की स्थिति में कितने कृषकों को नहीं दी गयी ? (ख) नहर निर्माण हेतु प्रभावित ग्रामों के ग्राम के किसानों को गार्ड लाईन के तहत मुआवजा राशि न देने का क्या कारण है ? (ग) किसानों को मुआवजा राशि कब तक प्रदान कर दी जायेगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचन्द्र यादव) : (क) आरंग विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत राजीव समोदा निसदा व्यपवर्तन योजना के तहत द्वितीय चरण नहर निर्माण कार्य हेतु कृषि भूमि का मुआवजा राशि वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में दिनांक 15 नवम्बर 2010 की स्थिति में 04 ग्रामों के कुल 107 कृषकों को मुआवजा भुगतान किया जाना शेष है. (ख) प्रभावित 8 ग्रामों में भू-अर्जन की कार्यवाही भू-अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानानुसार की जाकर तत्कालीन ग्रामों में प्रचलित खरीदी बिक्री से संबंधित बिक्री छंट अनुसार मुआवजा राशि प्रदान करने हेतु अवार्ड पारित किया गया है. तत्कालीन अवार्ड पारित होने के पश्चात् छत्तीसगढ़ शासन पुनर्वास विभाग की आदर्श पुनर्वास नीति-2007 (यथा संशोधित) प्रचलनशील होने के उपरांत नीति की कंडिका 4.1.5 के अनुसार मुआवजा राशि की गणना भू-अर्जन प्रकरणों में किया जा रहा है.

(ग) सभी गांवों के अवाई पारित हो गये हैं तथा मुआवजा राशि भू-अर्जन अधिकारी के पास जमा कर दी गयी है. कृषकगण भू-अर्जन अधिकारी से संपर्क कर, मुआवजा राशि प्राप्त कर सकते हैं.

अकलतरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ट्रांसफार्मरों की स्थापना एवं रखरखाव

7. (*क्र. 16) **श्री सौरभ सिंह** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत “राजीव गांधी विद्युतीकरण मिशन” के तहत लगाये गये कितने ट्रांसफार्मर खराब हैं ? इनमें से कितने ऐसे हैं जिनको अभी तक करेंट से चार्ज नहीं किया गया है ? कितने ट्रांसफार्मर किस-किस गांव के चोरी हो गये हैं और इनको कब-कब बदला गया है ? (ख) इस योजना के तहत अकलतरा विधान सभा क्षेत्र में कितने ट्रांसफार्मर स्थापित करने थे ? कितने स्थापित हो गये हैं ? कितने स्थापित करना शेष है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) अकलतरा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत लगाए गए 40 ट्रांसफार्मर क्रियाशील होने के उपरांत खराब हुए, जिनमें से 25 ट्रांसफार्मरों को बदल दिये गये हैं तथा शेष को बदलने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. विभिन्न ग्रामों के 62 ट्रांसफार्मर चोरी हो गए थे जिनमें से 24 ट्रांसफार्मर बदल दिए गए हैं तथा शेष को बदलने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. ग्रामों की सूची एवं चोरी गये ट्रांसफार्मर को बदलने की तिथि † संलग्न परिशिष्ट में दर्शायी गयी है. (ख) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत अकलतरा विधान सभा में 242 ट्रांसफार्मर स्थापित करने थे जिनके विरुद्ध 241 ट्रांसफार्मर स्थापित कर दिये गए हैं तथा एक नग ट्रांसफार्मर स्थापित करना शेष है.

सरायपाली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत सिंग वहाल जलाशय निर्माण हेतु स्वीकृत राशि

8. (*क्र. 173) **डॉ. हरिदास भारद्वाज** : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरायपाली विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत सिंग वहाल जलाशय योजना के लिये कितनी राशि स्वीकृत हुई है ? स्वीकृति दिनांक सहित बतावें ? (ख) उक्त कार्य में नहर निर्माण जलाशय निर्माण तथा पुल-पुलिया हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत हुई है ? (ग) दिनांक 15-11-2010 की स्थिति में कार्य प्रगति की क्या स्थिति है ? क्या यह सत्य है कि नहर निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचन्द्र यादव) : (क) योजना के लिए दिनांक 01-09-2008 को रु. 2231.78 लाख राशि की स्वीकृति हुई है. (ख) उक्त कार्य में जलाशय (यूनिट-1 शीर्ष कार्य) निर्माण हेतु रु. 627.16 लाख तथा नहर निर्माण (यूनिट-2 नहर) हेतु रु. 1604.62 लाख राशि स्वीकृत हुई, जिसमें पुल पुलिया की रु. 1109.49 लाख की राशि भी सम्मिलित है. (ग) दिनांक 15-11-2010 की स्थिति में शीर्ष कार्य पूर्ण हो गया है तथा नहर निर्माण कार्य अपूर्ण है. नहर निर्माण कार्य जून 2012 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है.

सरगुजा जिले में अवैध उत्खनन एवं रायल्टी चोरी के दर्ज प्रकरण

9. (*क्र. 102) **श्री अमरजीत भगत** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरगुजा जिले में खनिज विभाग के द्वारा अवैध उत्खनन एवं रायल्टी चोरी के कितने प्रकरण वर्ष 2005 से नवम्बर 2010 तक दर्ज किये गये ? उसमें कितना अर्थदण्ड निर्धारित किया गया ? फर्म के नाम एवं लगाये गये अर्थदण्ड की राशि के विवरण सहित जानकारी दें ? (ख) अवैध उत्खनन एवं रायल्टी चोरी में जिन फर्मों का नाम आया है, उसमें से कितनों के द्वारा राशि जमा की गई और कितने के द्वारा नहीं की गई ? तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ? (ग) अवैध परिवहन एवं ओवर लोडिंग के कितने प्रकरण दर्ज किये गये ? उनसे कितनी राशि वसूल की गई ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) सरगुजा जिले में खनिज विभाग के द्वारा अवैध उत्खनन एवं रायल्टी चोरी के कुल 402 प्रकरण वर्ष 2005 से 25 नवम्बर 2010 तक दर्ज किये गये. अवैध उत्खननकर्ता का नाम, जमा अर्थदण्ड की राशि तथा प्रकरण की वर्तमान स्थिति का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) अवैध उत्खनन एवं रायल्टी चोरी के कुल 402 प्रकरणों में से 85 प्रकरणों में अर्थदण्ड की राशि जमा की जा चुकी है तथा 317 प्रकरण निराकरण हेतु लंबित है. संबंधित न्यायालय द्वारा तहसीलदारों के माध्यम से वसूली की कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया है. (ग) वर्ष 2005 से 25 नवम्बर 2010 तक अवैध परिवहन के 604 प्रकरण दर्ज किये गये एवं इससे 17,41,165.00 रुपये अर्थदण्ड के रूप में वसूली की गई. परिवहन एवं खनिज विभाग के संयुक्त वाहन जांच के दौरान 11 प्रकरण ओवर लोड के पाये गये. जिस पर परिवहन विभाग द्वारा मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत 10 प्रकरणों में कार्यवाही कर रु. 57,500.00 अर्थदण्ड की राशि वसूली की गयी.

पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र के संबंध में

10. (*क्र. 343) **श्री कुलदीप सिंह जुनेजा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला राजनांदागांव, तहसील मानपुर मोहला के बोरियाटिब्बु प्रक्षेत्र पर सन् 1997 में शासन द्वारा मेसर्स जायसवाल निको लिमिटेड के कौन-कौन से पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र (पी.एल. एप्लीकेशन) निरस्त किए गए थे ? (ख) जिला राजनांदागांव, तहसील मानपुर मोहला के बोरियाटिब्बु प्रक्षेत्र पर सन् 1999 में शासन द्वारा मेसर्स जायसवाल निको लिमिटेड के कौन-कौन से पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र (पी. एल. एप्लीकेशन) निरस्त किए गए थे ? (ग) उपरोक्त क्षेत्र पर दिनांक 01-11-2000, 31-12-2001, 05-03-2002 की स्थिति में मेसर्स जायसवाल निको लिमिटेड के कौन-कौन से पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र (पी. एल. एप्लीकेशन) शासन स्तर पर निराकरण हेतु लंबित थे ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) मेसर्स जायसवाल निको लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स नागपुर एलाय एण्ड कास्टिंग लिमिटेड) के बोरियाटिब्बु वन परिक्षेत्र के वनकक्ष क्रमांक 534 पी, 536 पी एवं 537 पी के 154.700 हेक्टर क्षेत्र पर लौह अयस्क खनिज की पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति हेतु प्रस्तुत किया गया आवेदन पत्र दिनांक 20-09-93 तत्कालीन मध्यप्रदेश शासन खनिज साधन विभाग के आदेश दिनांक 31-12-1997 द्वारा निरस्त किया जाकर कंपनी को संसूचित किया गया। (ख) मेसर्स जायसवाल निको लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स नागपुर एलाय एण्ड कास्टिंग लिमिटेड) के बोरियाटिब्बु वन परिक्षेत्र के वनकक्ष क्रमांक 534 पी, 536 पी एवं 537 पी के 154.700 हेक्टर क्षेत्र पर लौह अयस्क खनिज की पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति हेतु प्रस्तुत किया गया आवेदन पत्र दिनांक 22-05-1990 तत्कालीन मध्यप्रदेश शासन खनिज साधन विभाग के आदेश दिनांक 12-04-1999 द्वारा निरस्त किया जाकर कंपनी को संसूचित किया गया। (ग) बोरियाटिब्बु वन परिक्षेत्र पर दिनांक 01-11-2000, 31-12-2001 एवं 05-03-2002 की स्थिति में मेसर्स जायसवाल निको लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स नागपुर एलाय एण्ड कास्टिंग लिमिटेड) के पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति हेतु कोई आवेदन पत्र शासन स्तर पर निराकरण हेतु लंबित नहीं था।

पुसौर विकासखण्ड के ग्राम कांदागढ़ में खनिज उत्खनन हेतु लीज पर दी गई भूमि

11. (*क्र. 140) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजस्व विभाग द्वारा रायगढ़ जिले में पुसौर विकासखण्ड अन्तर्गत कांदागढ़ ग्राम की राजस्व भूमि का लीज पर खनिज उत्खनन हेतु प्रदाय किया गया है ? (ख) यदि हां, तो कुल कितनी मात्रा में जमीन किस व्यक्ति अथवा इकाई को किन-किन शर्तों के अधीन प्रदाय की गई है ? (ग) लीज पर प्रदाय की गई उक्त जमीन राजस्व अभिलेख में किस प्रकार की भूमि के रूप में उल्लेखित है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) रायगढ़ जिले में पुसौर विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम कांदागढ़ की राजस्व भूमि खसरा नं. 203/1 क एवं 93/1 जो घास मद में दर्ज थी, पर 4 व्यक्तियों को पत्थर का उत्खनिपट्टा स्वीकृत किया गया है। (ख) ग्राम कांदागढ़ की राजस्व भूमि 4 व्यक्तियों को छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 1996 अंतर्गत प्रावधानित शर्तों के अधीन प्रदाय की गई है। पट्टाधारियों के नाम एवं उन्हें प्रदाय भूमि का विवरण † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है। (ग) लीज प्रदाय करते समय उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में घास मद में दर्ज थी।

रायपुर एवं जांजगीर-चांपा जिले में विद्यार्थियों को लम्बित छात्रवृत्ति का भुगतान

12. (*क्र. 151) **डॉ. शिवकुमार डहरिया** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर एवं जांजगीर-चांपा जिले के अंतर्गत माध्यमिक एवं उच्च. माध्य. कक्षाओं में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कितने विद्यार्थियों को वर्ष 2007-2008, 2008-2009 एवं 2009-2010 अवधि की छात्रवृत्ति का भुगतान लम्बित है ? विकासखण्डवार एवं वर्षवार पृथक-पृथक जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति लम्बित होने का क्या कारण है ? इनका भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) रायपुर जिले में केवल माध्यमिक कक्षाओं के 32624 विद्यार्थियों की एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं के 5557 विद्यार्थियों की वर्ष 2009-10 की छात्रवृत्ति भुगतान हेतु लंबित है. इसी तरह जिला जांजगीर-चांपा के सिर्फ उच्च माध्यमिक कक्षाओं के 532 विद्यार्थियों की वर्ष 2009-10 की छात्रवृत्ति भुगतान हेतु लंबित है. विकासखण्डवार एवं वर्षवार जानकारी परिशिष्ट पर †† संलग्न है. (ख) केन्द्र सरकार से पर्याप्त राशि प्राप्त न होने तथा राज्य छात्रवृत्ति अंतर्गत बजट प्रावधान सीमित होने के कारण भुगतान लंबित है. राशि प्राप्त होते ही शीघ्र भुगतान कर दिया जावेगा.

जल संसाधन विभाग द्वारा जिलों को आवंटित राशि

13. (*क्र. 348) **श्री परेश बागबाहरा** : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जल संसाधन विभाग में वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-2011 में (15 नवम्बर तक) विभिन्न जिलों को कुल कितनी राशि का आवंटन उक्त वर्षों में किया गया ? वर्षवार एवं जिलेवार पृथक-पृथक जानकारी प्रदान करें ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचन्द यादव) : प्रदेश के जल संसाधन विभाग में वर्ष 2008-09 में कुल रु. 101065.14 लाख, वर्ष 2009-10 में कुल रु. 116570.57 लाख एवं वर्ष 2010-11 में (15 नवम्बर तक) कुल रु. 167722.26 लाख राशि आवंटित की गई. वर्षवार एवं जिलेवार आवंटन की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

कसही वितरक नहर का विस्तार एवं लाईनिंग कार्य

14. (*क्र. 188) **श्री विरेन्द्र कुमार साहू** : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत खरखरा जलाशय में पानी की कमी के कारण कमाण्ड के 24 ग्रामों को सिंचाई से वंचित रखा गया है ? (ख) यदि हां तो, क्या इन ग्रामों में सिंचाई का पानी देने के लिये कसही वितरक नहर का विस्तार एवं लाईनिंग कार्य विभाग द्वारा प्रस्तावित है ? (ग) यदि हां तो, क्या कसही वितरक नहर के विस्तार एवं लाईनिंग कार्य से कितना हेक्टेयर रकबा सिंचित होगा ? इससे कितने ग्राम सिंचित होंगे ? (घ) योजना की लागत कितनी होगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचन्द यादव) : (क) 24 नहीं अपितु 21 ग्राम सिंचाई से वंचित हैं. (ख) जी हां. (ग) कसही वितरक नहर के विस्तार एवं लाईनिंग कार्य से लगभग 450 हेक्टेयर रकबा सिंचित होगा. इससे 04 ग्राम सिंचित होंगे. (घ) योजना की अनुमानित लागत रु. 20 करोड़ आयेगी.

ओपन एक्सेस के तहत बिजली विक्रय में अनियमितता

15. (*क्र. 1) **श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि छत्तीसगढ़ राज्य में ट्रांसमिशन कंपनी के अफसर और निजी उत्पादकों की मिलीभगत से लंबे समय से ओपन एक्सेस का खेल चल रहा है ? जिसमें इन अफसरों द्वारा अपने फायदे के लिये कंपनी की ही बिजली को बाहर बेचने की अनुमति दी तथा ग्रिड में जानी वाली बिजली का हिसाब रखने वाले मीटर ही नहीं लगाए गए. (ख) क्या यह भी सही है कि निजी उत्पादक बिजली कंपनी की ही बिजली लेकर ऊंचे दाम पर दूसरे राज्य में बिजली बेचते रहे हैं तथा लोड डिस्पैच सेन्टर में मीटर ही नहीं लगा होने के कारण तथा निजी उत्पादकों के प्लांट में लगे मीटरों की भी रीडिंग नहीं ली जा रही है ? (ग) प्रश्नांश "क" एवं "ख" के संदर्भ में दोषी लोगों/कम्पनी पर अभी तक क्या कोई कार्यवाही की गई है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जी नहीं, निजी विद्युत उत्पादकों के द्वारा ओपन एक्सेस के तहत बिजली बेचने का कारोबार, विद्युत अधिनियम 2003 की संगत धाराओं के अन्तर्गत प्रभावशील रेग्युलेशन के अन्तर्गत किया गया है. अतः ट्रांसमिशन कंपनी के अफसरों तथा विद्युत उत्पादकों के बीच मिलीभगत का आरोप तथ्यात्मक नहीं है. ओपन एक्सेस के तहत बिजली को बाहर बेचने की अनुमति नहीं अनापत्ति दी जाती है. तदनुसार जारी अनापत्ति के सभी प्रकरणों में उत्पादकों द्वारा ग्रिड में डाली गयी विद्युत की मात्रा के मापन हेतु आवश्यक मीटर प्रणाली स्थापित थी. (ख) जी नहीं, निजी विद्युत उत्पादकों के द्वारा बिजली कंपनी की बिजली दूसरे राज्य में ऊंचे दर पर बेचने का आरोप वस्तुस्थिति के विपरीत है क्योंकि उत्पादकों द्वारा बिजली के विक्रय हेतु घोषित शिड्यूल से कम या अधिक बिजली के ग्रिड में डालने पर केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के अधिसूचित रेग्युलेशन के अन्तर्गत पेनाल्टी स्वरूप यू.आई. चार्जस की वसूली की जाती है. राज्य के निजी विद्युत उत्पादकों पर यू.आई. चार्जस अधिरोपित कर वसूली की गई है. बिजली बेच रहे विद्युत उत्पादकों के यहां लगे कम्पनी के मीटर की रीडिंग प्रत्येक माह ली जाती है. लोड डिस्पैच सेन्टर में उत्पादक से संबंधित मीटर नहीं रहता है अतः रीडिंग का प्रश्न नहीं उठता. (ग) प्रश्नोत्तर के अंश (क) व (ख) में सम्मिलित विवरण के अनुसार ऐसे सभी निजी विद्युत उत्पादकों द्वारा ओपन एक्सेस के तहत राज्य के बाहर बिजली बेचने हेतु दी गई अनापत्ति के पालन में शिड्यूल से कम या अधिक बिजली ग्रिड में डालने पर दण्ड स्वरूप यू.आई. चार्जस अधिरोपित कर वसूली की जा रही है. लगातार यू.आई. चार्जस के भुगतान के लिये जारी नोटिस को अनदेखा करने पर दो निजी विद्युत उत्पादकों यथा मेसर्स जिन्दल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रा. लि. रायपुर एवं उनके संचालकों श्री ओमप्रकाश अग्रवाल आ. स्व. श्री कपूर चंद अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, आ. ओ. पी. अग्रवाल, सतीश अग्रवाल आ. ओ. पी. अग्रवाल तथा मेसर्स शैशासैला पाँवर एंड इंजीनियरिंग प्रायवेट लिमिटेड, रायपुर एवं उनके संचालकों वी. सुब्रमण्यम आत्मज रामाकृष्ण मूर्ति, वी. राधामाधवी पति वी. कल्याण रामा के विरुद्ध क्रमशः मौदहापारा पुलिस थाना में एफ.आई.आर. क्रमांक 168/10 व तेलीबांधा पुलिस थाना में एफ.आई.आर. क्रमांक 232/10 दर्ज की गई.

विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षकों के कार्यरत एवं रिक्त पद

16. (*क्र. 183) **श्री बर्नाड जोसेफ रोड्रिक्स** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग की ओर से कितने स्कूलों का संचालन किया जा रहा है, प्राथमिक, मिडिल, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूलों की अलग-अलग संख्या दें ? (ख) कंडिका "क" के स्कूलों में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं, इसमें कितने कार्यरत हैं और कितने पद रिक्त हैं ? शिक्षक विहीन स्कूल कितने हैं ? (ग) कंडिका "ख" के रिक्त पदों और शिक्षक विहीन शालाओं में शिक्षकों की पदस्थापना कब तक की जाएगी ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) 17219-प्राथमिक शाला, 6443-माध्यमिक शाला, 465-हाईस्कूल एवं 662-उच्चतर माध्यमिक शाला संचालित हैं. (ख) जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रमांक	संस्था का प्रकार	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
1.	प्राथमिक शाला	55174	41306	13868
2.	माध्यमिक शाला	33492	16569	16923
3.	हाईस्कूल	3939	1570	2369
4.	उच्चतर माध्यमिक शाला	12639	6863	5776
योग		105244	66308	38936

शिक्षक विहीन स्कूल संचालित नहीं है. (ग) निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

रिजेक्टेड कोयले के विरुद्ध उच्च श्रेणी के कोयला को बेचने की जांच रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही

17. (*क्र. 147) **श्री मोहम्मद अकबर** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रमुख सचिव खनिज साधन विभाग के आदेश क्रमांक 1519/811/2003/12 दिनांक 24-05-2003 के द्वारा अवैध रूप से रिजेक्टेड कोयले के विरुद्ध उच्च श्रेणी कोयले के विक्रय से रायल्टी एवं सेल्स टैक्स अपवंचन संबंधी शिकायत की जांच हेतु गठित समिति की रिपोर्ट शासन को कब प्राप्त हुई ? जांच रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्यवाही की गई है ? प्रकरण की अद्यतन स्थिति क्या है ? (ख) उक्त संबंध में कलेक्टर कोरबा द्वारा जांच रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गयी एवं उसके परिणाम क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) प्रमुख सचिव खनिज साधन विभाग के आदेश क्रमांक 1519/811/2003/12 दिनांक 24-05-2003 के द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट राज्य शासन को दिनांक 08-07-2005 को प्राप्त हुई. जांच समिति के गठन के समय राज्य शासन के द्वारा भारत सरकार, कोयला मंत्रालय को शिकायत पर जांच हेतु प्रकरण सीबीआई को सौंपने का अनुरोध किया गया. कोयला मंत्रालय के द्वारा प्रकरण जांच हेतु सीबीआई को सौंपा गया है. सीबीआई के द्वारा जांच से संबंधित कोई रिपोर्ट राज्य शासन को प्राप्त नहीं हुई है. इसके साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सेन्ट्रल ईम्पावर्ड कमेटी (सीईसी) को भी उक्त शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण को संज्ञान में लिया गया है तथा वर्तमान में प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है. (ख) प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग के आदेश दिनांक 24-05-2003 द्वारा गठित जांच समिति के अध्यक्ष कलेक्टर कोरबा थे. जांच समिति के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट कलेक्टर कोरबा के माध्यम से ही शासन को प्रस्तुत हुआ है. इस प्रकार कलेक्टर कोरबा द्वारा अलग से कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है. जांच में कोयले की रायल्टी एवं सेल्स टैक्स के अपवंचन संबंधी शिकायत सही नहीं पाई गई है.

कसडोल विधान सभा क्षेत्र में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत आवंटित राशि

18. (*क्र. 159) **श्री राजकमल सिंघानिया** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत कसडोल विधान सभा के विकासखण्ड कसडोल, बलौदा बाजार के लवन आर. आई. सर्किल एवं पलारी में शौचालय निर्माण हेतु वर्ष 2008-2009 एवं 2009-2010 में कुल कितनी राशि आवंटित हुई तथा कितनी राशि आहरित की गई ? (ख) क्या सभी गांवों में शौचालय निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है ? यदि नहीं तो, कब तक कार्य कर लिया जावेगा ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत कसडोल विधान सभा के विकासखण्ड कसडोल, बलौदाबाजार के लवन आर. आई. सर्किल एवं पलारी में शौचालय निर्माण हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2008-2009 एवं 2009-2010 में आवंटित राशि व आहरित राशि की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार. (ख) जी नहीं. निश्चित समयवाधि बताया जाना संभव नहीं.

माननीय विधायकों के पत्र/पत्रों पर कार्यवाही हेतु जारी निर्देश

19. (*क्र. 175) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन ने माननीय विधायकों के पत्रों पर कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए हैं ? यदि हां तो, कब-कब और क्या ? (ख) कंडिका “क” के निर्देशों का परिपालन न होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही किन प्रावधानों के तहत की जाती है ? यदि नहीं तो, क्यों ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जी हां. इस संबंध में शासन द्वारा समय-समय जारी किए गए निर्देशों के संकलन की अद्यतन पुस्तिका पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” पर है. (ख) प्रश्नांश “क” के उत्तर में निहित निर्देशों में कार्यवाही का प्रावधान नहीं है तथापि शासन के निर्देशों का पालन न करने पर संबंधित के विरुद्ध अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 अथवा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 में यथास्थिति कार्यवाही का प्रावधान है.

भाटापारा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सिंचाई पंपों के विद्युतीकरण हेतु लंबित प्रकरण का निराकरण

20. (*क्र. 62) **श्री चैतराम साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भाटापारा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2008-09 से दिनांक 15-11-2010 तक सिंचाई की सुविधा प्राप्त करने हेतु किसानों से कितने आवेदन पत्र विभाग को प्राप्त हुए हैं ? (ख) प्राप्त आवेदनों में से कितने को स्थाई पंप कनेक्शन प्रदान किये गये हैं ? कितने कब से लंबित हैं ? लंबित प्रकरणों को कब तक पूर्ण करा लिया जावेगा ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) भाटापारा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2008-09 से दिनांक 15-11-2010 तक सिंचाई पंप कनेक्शन हेतु किसानों से कुल 1660 आवेदन प्राप्त हुए हैं. (ख) उक्त प्राप्त आवेदनों में से 834 स्थायी पंप कनेक्शन प्रदाय कर दिए गए हैं, 188 प्रकरण स्वीकृति हेतु एवं 319 प्रकरण विद्युत विस्तार हेतु लंबित हैं तथा 319 प्रकरण विभिन्न कारणों से निरस्त कर दिये गये हैं. अवधिवार लंबित होने की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शायी गयी है. विद्युत विस्तार हेतु लंबित 319 प्रकरणों के कार्य संसाधनों की उपलब्धतानुसार यथाशीघ्र पूर्ण करने का प्रयास है एवं स्वीकृति हेतु लंबित 188 प्रकरणों में स्वीकृति पश्चात् औपचारिकता पूर्ण करने पर कार्यादेश जारी कर कार्य पूर्ण करने की कार्यवाही की जा सकेगी.

खुज्जी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत निर्माणाधीन छात्रावास/आश्रम की जानकारी

21. (*क्र. 165) **श्री भोलाराम साहू** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत छुरिया एवं अम्बागढ़ चौकी विकासखण्ड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कौन-कौन से छात्रावास/आश्रम कहाँ-कहाँ निर्माणाधीन हैं ? (ख) प्रश्नांक (क) में वर्णित इन छात्रावास/आश्रमों के निर्माण कार्य प्रारंभ होने की तिथि, निर्माण हेतु स्वीकृत राशि, निर्माण हेतु अधिकृत व्यक्ति/फर्म/टेकेदार/एजेन्सी का नाम एवं पता के साथ निर्माण कार्य पूर्ण होने की अनुमानित तिथि के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करें ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” में है. (ख) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” में है.

शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी को निजी प्रवास पर विदेश जाने की अनुमति संबंधी

22. (*क्र. 82) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी को विदेश के निजी प्रवास पर जाने के पूर्व भी सामान्य प्रशासन विभाग से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है ? (ख) यदि हां तो, वर्ष 2009-10 में कितने अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा विदेश निजी प्रवास पर जाने हेतु आवेदन दिया गया है ? विभागवार जानकारी दें. (ग) प्रश्नांश ख के अनुसार प्राप्त आवेदन में से कितने में अनुमति दी गई तथा कितने निरस्त किये गये ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों को विदेश के निजी प्रवास पर जाने के पूर्व सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति प्राप्त करने के निर्देश नहीं है. विदेश के निजी प्रवास पर जाने के लिए प्रस्तुत अवकाश आवेदन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथास्थिति स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाता है. (ख) एवं (ग) वर्ष 2009-10 में 8 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा निजी प्रवास पर विदेश जाने हेतु आवेदन सामान्य प्रशासन विभाग को दिया गया. सभी को अनुमति प्रदान की गई.

रायगढ़ जिले में अवैध कोयला उत्खनन के दर्ज प्रकरणों पर कार्यवाही

23. (*क्र. 74) **श्री हृदयराम राठिया** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में 1 जनवरी, 2010 से प्रश्नांश दिनांक तक अवैध कोयला उत्खनन के कितने प्रकरण दर्ज किये गये ? (ख) उक्त उत्खनन किसके द्वारा तथा कितनी-कितनी मात्रा में किया गया ? (ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) रायगढ़ जिले में 1 जनवरी, 2010 से प्रश्नांश दिनांक तक अवैध कोयला उत्खनन के 6 प्रकरण दर्ज किये गये हैं. (ख) अवैध कोयला उत्खनन के उपरोक्त 6 प्रकरणों में कोयला मौके पर लावारिस जप्त किया गया है. मौके पर लावारिस जप्तशुदा कोयले के अवैध उत्खनन के इन 6 प्रकरणों में से 4 प्रकरणों में लावारिस कोयला वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा तथा 2 प्रकरणों में खनिज विभाग के अधिकारियों के द्वारा जप्त किया गया है. जप्तशुदा कोयले की मात्रा का विवरण † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ग) अवैध कोयला उत्खनन के 4 प्रकरणों में वन अधिनियम के अन्तर्गत तथा 2 प्रकरणों में खनिज अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रचलन में है.

सिहावा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत पत्थर खदानों में विस्फोटक पदार्थों से पत्थर तोड़ने की प्रदत्त अनुमति

24. (*क्र. 126) **श्रीमती अंबिका मरकाम** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र सिहावा अंतर्गत आवंटित पत्थर खदानों में कितने तथा कौन-कौन से खदानों में विस्फोटक पदार्थों से पत्थर तोड़ने की अनुमति प्रदान की गई है ? (ख) खदान मालिकों को विस्फोटक पदार्थ कहां-कहां से तथा किसके द्वारा प्रदान किया जाता है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) विधान सभा क्षेत्र सिहावा के अंतर्गत पत्थर खदान के निम्न दो पट्टेधारियों को कार्यालय संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक मध्यांचल आगरा, (उत्तरप्रदेश) से विस्फोटक लाइसेंस प्राप्त है :—

1. श्री गगन नाहटा आत्मज श्री सुरेश नाहटा, निवासी नगरी, जिला धमतरी
2. श्री नागेन्द्र शुक्ला, निवासी नगरी जिला धमतरी

(ख) उपरोक्त दोनों लाइसेंसधारी खदान मालिक निम्नानुसार संस्था से विस्फोटक सामग्री प्राप्त करते हैं :—

क्रमांक	खदान मालिक	विस्फोटक प्रदायकर्ता का नाम व पता
1.	श्री गगन नाहटा आत्मज श्री सुरेश नाहटा, निवासी नगरी, जिला धमतरी.	इस्टारेक्स मिनरल, धौराभाठा, जिला दुर्ग
2.	श्री नागेन्द्र शुक्ला, निवासी नगरी, जिला धमतरी	इस्टारेक्स मिनरल, धौराभाठा, जिला दुर्ग

आरंग विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में लो वोल्टेज समस्या के निराकरण हेतु कार्यवाही

25. (*क्र. 118) **श्री रूद्र कुमार गुरू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आरंग विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने ग्रामों में ट्रांसफार्मर बदलने की आवश्यकता है ? ग्रामों के नाम बतायें. (ख) लो वोल्टेज की समस्या के निराकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) आरंग विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत क्षमता वृद्धि कार्य के विरुद्ध तीन ग्राम यथा जरौद, देवादा तथा कागदेही में स्थापित किए गए ट्रांसफार्मर को बदलने की आवश्यकता है. (ख) लो वोल्टेज की समस्या के निराकरण हेतु विद्युत कंपनी द्वारा †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार कार्यवाही की जा रही है.

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

जिला बिलासपुर अन्तर्गत “लीलागर डायवर्सन योजना” का निर्माण

1. (क्र. 17) **श्री सौरभ सिंह** : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लीलागर नदी पर कहां पर कितनी लागत से जांजगीर-चांपा और बिलासपुर जिले के मध्य में “लीलागर डायवर्सन योजना” बनायी जा रही है ? इसका कार्य कब तक पूर्ण होगा और किस एजेन्सी को कब कार्य करने के लिए दिया गया है ? (ख) इस योजना से जांजगीर-चांपा जिले के कितने गांव के कितने क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था होगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद्र यादव) : (क) मस्तूरी विकास खण्ड के ग्राम निरतु एवं बसहा के समीप डायवर्सन योजना रु. 1740.72 लाख की लागत से बनाई जा रही है. योजना का निर्माण जून 2012 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है. शीर्ष कार्य के निर्माण हेतु कार्यादेश दिनांक 02-07-2009 को मेसर्स हार्ड वेयर टूल्स एण्ड मशीनरी प्रोजेक्ट प्राईवेट लिमिटेड अ-05 वर्ग ठेकेदार अहमदाबाद (गुजरात) को प्रदान किया गया है. नहर कार्य के निर्माण हेतु एजेन्सी का निर्धारण प्रक्रियाधीन है. (ख) योजना के निर्माण से जांजगीर-चांपा जिले के 08 ग्राम के लगभग 607 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी.

भाटापारा एवं बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत खदान/क्रेशर लगाये जाने हेतु प्रदत्त अनुमति

2. (क्र. 63) **श्री चैतराम साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि भाटापारा एवं बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत विभाग के द्वारा किन-किन व्यक्तियों (नाम पता सहित) को खदान/क्रेशर लगाये जाने की अनुमति कब-कब दी गई व किन-किन व्यक्तियों के क्रेशर/खदान हाई टेंशन लाईन के नीचे स्थापित है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : भाटापारा एवं बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत स्वीकृत खदानों की विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“एक” पर दर्शित है. भाटापारा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत हाई टेंशन लाईन के नीचे कोई भी क्रेशर/खदान स्वीकृत नहीं है किन्तु बलौदाबाजार विधान सभा क्षेत्र के ग्राम रानी जरौद में 4 उत्खनिपट्टे हाई टेंशन विद्युत लाईन के नीचे स्वीकृत है. इन उत्खनिपट्टों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-“दो” पर दर्शित है.

कोलवाशरियों से कोयला प्राप्ति एवं प्रेषण

3. (क्र. 148) **श्री मोहम्मद अकबर** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर एवं रायगढ़ जिले में स्थापित कोलवाशरियों में वर्ष 2010 में माहवार, पार्टीवार अलग-अलग कोयले की प्राप्ति एवं प्रेषण का विवरण क्या-क्या है ? (ख) उक्त वाशरीज में अलग-अलग माहवार, पार्टीवार प्राप्त कोयले में से कितना-कितना मिडलिंग एवं रिजेक्ट कोल अलग-अलग का प्रेषण किनको-किनको, किस-किस आधार पर हुआ है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जिला जांजगीर-चांपा में कोल वाशरी स्थापित नहीं है. शेष चार जिलों में स्थापित कोल वाशरियों तथा इन कोल वाशरियों में वर्ष 2010 (अप्रैल, 2010 से अक्टूबर, 2010 तक) में कोयले की प्राप्ति एवं प्रेषण का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “एक” पर दर्शित है. (ख) उक्त कोल वाशरियों से विभिन्न पार्टियों को प्रेषित मिडलिंग एवं रिजेक्ट कोयला की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “दो” पर दर्शित है. कोल वाशरियों से विभिन्न पार्टियों को मिडलिंग एवं रिजेक्ट कोयले का प्रेषण (विक्रय) आपसी सहमति के आधार पर किया गया है.

विकासखण्ड तिल्दा में नलजल योजना हेतु स्वीकृत राशि

4. (क्र. 152) **डॉ. शिवकुमार डहरिया** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रायपुर के विकासखण्ड तिल्दा के किन-किन ग्रामों में नल-जल योजना कब से संचालित है ? (ख) वित्तीय वर्ष 2010-2011 में शासन द्वारा विकासखण्ड तिल्दा के किन-किन ग्रामों में नल-जल योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है ? वर्तमान में स्वीकृत कार्य की अद्यतन स्थिति क्या है ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जिला रायपुर के विकासखण्ड तिल्दा के ग्रामों में संचालित नलजल योजनाओं की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार. (ख) वित्तीय वर्ष 2010-11 में शासन द्वारा विकासखण्ड तिल्दा के किसी भी ग्राम की नलजल योजना की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है. अन्य प्रश्न उपस्थित नहीं होते.

कसडोल विधान सभा क्षेत्र में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत विद्युतीकरण

5. (क्र. 160) **श्री राजकमल सिंघानिया** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत विधान सभा क्षेत्र कसडोल के विकासखण्ड कसडोल, पलारी एवं बलौदा बाजार के आर. आई. सर्किल लवन के कौन-कौन से गांव में विद्युतीकरण पूर्ण हो गया और कौन-कौन से गांव में विद्युतीकरण अपूर्ण है ? (ख) क्या, उक्त योजना में पूर्ण कर लिये गये गांव को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल ने अपने हस्तांतरण में ले लिया है ? यदि नहीं तो, कब तक ले लिया जावेगा ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत विधान सभा कसडोल के विकासखण्ड कसडोल के 16, पलारी के 31 एवं बलौदा बाजार के आर. आई. सर्किल लवन के 29 ग्राम में विद्युतीकरण कार्य पूर्ण हो गया है. उक्त ग्रामों की सूची †† संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शायी गई है. विकासखण्ड कसडोल के 59, पलारी के 81 एवं बलौदा बाजार के आर. आई. सर्किल लवन के 48 ग्राम में विद्युतीकरण कार्य अपूर्ण है, जिनकी सूची †† संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शायी गई है. (ख) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत पूर्ण किये गये विद्युतीकरण कार्यों में से विकासखण्ड कसडोल के 12, पलारी के 02 एवं बलौदा बाजार के आर. आई. सर्किल लवन के 26 ग्रामों के कार्य छ. रा. वि. वि. कं. मर्या. (छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल नहीं) को हस्तांतरित कर दिया गया है तथा शेष ग्रामों के कार्यों के हस्तांतरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

सरायपाली विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत पारा, टोला, मुहल्लों का विद्युतीकरण

6. (क्र. 174) **डॉ. हरिदास भारद्वाज** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरायपाली विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सरायपाली वि. ख. एवं बसना विकासखण्ड अंतर्गत राजीव गांधी विद्युतीकरण मिशन के तहत कितने गांव के पारा, टोला, मुहल्ला में विद्युतीकरण हेतु स्वीकृति हुई है विकासखण्डवार बतावें ? (ख) दिनांक 15-11-2010 की स्थिति में कितने गांव के पारा, टोला, मुहल्ला में विद्युतीकरण हो चुका है तथा कितने शेष हैं बतावें ? बचे हुए मोहल्ले में कब तक विद्युतीकरण कर दिया जावेगा ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) महासमुन्द जिले के लिए स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना (मिशन नहीं) में सरायपाली विधान सभा क्षेत्र के सरायपाली एवं बसना विकासखण्ड अंतर्गत क्रमशः 231 एवं 83 ग्रामों के सघन विद्युतीकरण का प्रावधान है. (ख) दिनांक 15-11-2010 की स्थिति में सरायपाली एवं बसना विकासखण्ड के क्रमशः 221 एवं 75 ग्रामों के सघन विद्युतीकरण पूर्ण हो चुके हैं तथा 10 एवं 08 ग्राम शेष हैं. उक्त शेष ग्रामों के सघन विद्युतीकरण के कार्य मार्च 2011 तक पूर्ण करने का प्रयास है.

खनिजों के उत्खनन हेतु निष्पादित एम.ओ.यू.

7. (क्र. 176) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 15 नवम्बर, 2010 तक किन-किन कंपनियों/फर्मों से किन-किन खनिजों का उत्खनन/सर्वेक्षण का एम. ओ. यू. हुआ है ? नाम सहित एम.ओ.यू. की तिथि भी बतावें ? (ख) कंडिका “क” की कम्पनियों/फर्मों में से किन-किन कंपनी/फर्म ने निर्धारित समय-सीमा के तहत कार्य शुरू किया ? शेष की स्थिति क्या है ? (ग) कंडिका “क” में क्या “हीरा” सर्वेक्षण/उत्खनन का सर्वे भी शामिल है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस संबंध में शासन की क्या योजना है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) 15 नवम्बर, 2010 तक किसी भी कम्पनी/फर्म से किसी भी खनिज के उत्खनन/सर्वेक्षण के लिए एम.ओ.यू. नहीं किया गया है. (ख) एवं (ग) कंडिका “क” के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

तांदुला नहर पर मोहलई डायवर्सन योजना का सर्वेक्षण

8. (क्र. 189) **श्री विरेन्द्र कुमार साहू** : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या, दुर्ग जिले के गुण्डरदेही ब्लॉक के अंतर्गत तांदुला नदी पर मोहलई डायवर्सन योजना के निर्माण हेतु सर्वेक्षण किया गया है ? (ख) यदि हां तो, इसकी कितनी लागत आवेगी, कितने क्षेत्र में किसानों को सिंचाई सुविधा किन-किन ग्रामों को उपलब्ध हो सकेगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद्र यादव) : (क) जी हां. (ख) मोहलई डायवर्सन योजना की लागत रु. 26.42 करोड़ आंकलित की गई है. योजना से 800 हेक्टेयर क्षेत्र में 09 ग्रामों के किसानों को खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी. ग्रामों के नाम निम्नानुसार है :—

- | | | | | |
|-------------|----------------|------------|-----------|----------------|
| (1) कोडेवा | (2) खुटेरी | (3) खेरूद | (4) सनोद | (5) चंदन बिरही |
| (6) नवागांव | (7) चिचल गोंदी | (8) कांदुल | (9) रौना. | |

मेसर्स जायसवाल निको लिमिटेड को बगैर पूर्वेक्षण संक्रियाओं के खनिपट्टा स्वीकृति की अनुशंसा संबंधी

9. (क्र. 344) **श्री कुलदीप सिंह जुनेजा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला राजनांदगांव, तहसील मानपुर मोहला के बोरियाटिबु प्रक्षेत्र (जपडोंगर) पर मेसर्स जायसवाल निको लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स नागपुर एलाय कास्टिंग लिमिटेड) को राज्य शासन द्वारा बिना पूर्वेक्षण संक्रियाओं के खनिपट्टा स्वीकृति किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है ? (ख) यदि हां तो किस नियम कानून के अंतर्गत बगैर पूर्वेक्षण संक्रियाओं के खनिपट्टा स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई है ? (ग) जिला राजनांदगांव, तहसील मानपुर मोहला के बोरियाटिबु प्रक्षेत्र (जपडोंगर) पर मेसर्स जायसवाल निको लिमिटेड द्वारा राज्य शासन के समक्ष बिना पूर्वेक्षण संक्रियाओं के पूर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के उपरांत राज्य शासन द्वारा मेसर्स जायसवाल निको लिमिटेड के विरुद्ध अद्यतन दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ? (घ) यदि कार्यवाही नहीं की गई हो तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जी नहीं, कम्पनी के द्वारा प्रस्तुत पूर्वेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर खनिपट्टा स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई. (ख) से (घ) प्रश्नांश “क” के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

कोयले/बायोमॉस आधारित पॉवर प्लांटों में बिजली उत्पादन संबंधी

10. (क्र. 377) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) औद्योगिक क्षेत्र उरला, सिलतरा एवं उनके आसपास कितने और कौन-कौन से पॉवर प्लांट कब से संचालित हैं ? (ख) कंडिका “क” के पॉवर प्लांट में कौन-कौन से पॉवर प्लांट का उत्पादन बायोमॉस/कोयला आधारित है ? इन उद्योगों द्वारा औसतन प्रतिमाह कितनी बिजली का उत्पादन किया जाता है ? पृथक-पृथक बतावें ? (ग) कंडिका “ख” के प्लांटों द्वारा बिजली उत्पादन के लिए कितनी-कितनी मात्रा में कोयला/भूसा का उपयोग प्रतिमाह किया जा रहा है ? प्लांटवार ब्यौरा दें ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) औद्योगिक क्षेत्र उरला, सिलतरा एवं उनके आसपास कुल 35 पॉवर प्लांट संचालित हैं. संचालन की तिथि प्रपत्र “अ” में † संलग्न है. (ख) प्रश्नांश “क” के उत्तर में सम्मिलित परिशिष्ट में यह जानकारी दर्शाई गई है. (ग) जानकारी प्रपत्र “ब” में † संलग्न है.

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जांजगीर-चांपा जिले में कब्रिस्तान के अहाता निर्माण हेतु आवंटित राशि

1. (क्र. 26) **श्री सौरभ सिंह** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पिछले 3 वित्तीय वर्ष और वर्तमान वर्ष में जांजगीर-चांपा जिले में 30-10-2010 तक कब्रिस्तान में अहाता निर्माण के लिए प्रतिवर्ष कितनी राशि आवंटित हुई थी ? इसमें से कितनी राशि का कहां-कहां पर उपयोग हुआ है ? (ख) उक्त अवधि में कहां-कहां के प्रस्ताव प्राप्त हुए तथा इनमें से कितने पर स्वीकृति हुई है ? कितने प्रकरण किस कारण से लंबित है ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) कोई राशि स्वीकृत नहीं हुई है. प्रश्न उपस्थित नहीं होता है. (ख) विगत तीन वर्षों में निम्न 04 प्रस्ताव प्राप्त हुए :-

- 1- जामा मस्जिद इल्लेमियां कमेटी जैजैपुर.
- 2- मुसलमान समुदाय जैजैपुर.
- 3- फजेरजा मदरसा कमेटी किकिरदा जैजैपुर.
- 4- अशरफ मदरसा काशीपुर जैजैपुर.

तथा वर्ष 2010-11 में 01 निम्न प्रस्ताव प्राप्त हुआ :-

- 1- मुस्लिम कब्रिस्तान ग्राम-पंतोरा विकासखण्ड बलौदा के बाउंड्रीवाल/अहाता निर्माण.

उक्त में से किसी पर स्वीकृति नहीं दी गई है. विगत वर्षों के 04 प्रस्तावों के लिये राशि न होने के कारण तथा वर्ष 2010-11 का प्रस्ताव कलेक्टर से नक्शा, खसरा प्राक्कलन के साथ मांगा गया है, प्राप्त न होने के कारण लंबित है.

“यूरोपियन कमीशन” के तहत जांजगीर-चांपा जिले में आवंटित राशि

2. (क्र. 27) **श्री सौरभ सिंह** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पिछले तीन वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में 30-10-2010 तक जांजगीर-चांपा जिले में “यूरोपियन कमीशन” की सहायता योजना के तहत किस-किस कार्य के लिए कहां-कहां पर कितनी राशि आवंटित हुई है ? (ख) प्रश्न “क” में उल्लेखित किन-किन कार्यों की कितनी राशि की स्वीकृति लंबित है ? और लंबित राशि का भुगतान कब तक होगा ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) पिछले तीन वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 30-10-2010 तक जांजगीर-चांपा जिले में यूरोपियन कमीशन की सहायता योजना के तहत राशि आवंटन की जानकारी विभागवार †संलग्न प्रपत्र “अ”, “ब”, “स” एवं “द” में दर्शाई गई है. (ख) निरंक.

रायगढ़ जिले में 10 लाख से अधिक विद्युत देयकों के बकायादारों से शुल्क की वसूली एवं कार्यवाही

3. (क्र. 46) **डॉ. शक्राजीत नायक** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि रायगढ़ जिले में 10 लाख से अधिक बकायादारों से वसूली के लिए किन-किन उपभोक्ताओं के विरुद्ध कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : रायगढ़ जिले में 10 लाख से अधिक विद्युत देयक के बकायादारों के विरुद्ध बकाया राशि वसूलने हेतु कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई, की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शायी गई है.

रायगढ़ जिले में राजीव गांधी विद्युतीकरण मिशन द्वारा विद्युतीकरण का लक्ष्य

4. (क्र. 47) **डॉ. शक्राजीत नायक** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजीव गांधी विद्युतीकरण मिशन के अंतर्गत रायगढ़ जिले में शहर एवं विकासखण्डवार कौन-कौन से कार्य कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ? (ख) लक्ष्य

के विरुद्ध दिनांक 30-11-2010 तक कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं ? शेष कार्य कब तक पूर्ण किये जावेंगे एवं उसके लिए निर्धारित एजेंसी कौन हैं ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (मिशन नहीं) के अंतर्गत रायगढ़ जिले में विद्युतीकृत ग्रामों (शहर नहीं) के अविद्युतीकृत रिहायशी क्षेत्रों एवं अविद्युतीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण का प्रावधान है। इस हेतु प्रावधानित विद्युतीकरण कार्यों की विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शायी गयी है। उक्त कार्यों को पूर्ण करने के लिए निर्धारित समयावधि 17-09-2010 थी, जिसे मार्च 2012 तक बढ़ाया गया है। (ख) लक्ष्य के विरुद्ध दिनांक 31-10-2010 (दिनांक 30-11-2010 की जानकारी 30-11-2010 के बाद ही दी जा सकेगी) तक पूर्ण किये गये कार्यों की विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शायी गयी है। शेष कार्यों को मार्च 2012 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है। योजना के क्रियान्वयन एजेंसी केन्द्र सरकार द्वारा नामित एन.ई.एस.सी.एल. (एन.टी.पी.सी.) विद्युत प्रदाय कंपनी मर्यादित है।

भाटापारा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नदी तट के कटाव को रोकने हेतु स्वीकृत एवं व्यय राशि

5. (क्र. 64) **श्री चैतराम साहू** : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2008-09 एवं 09-10 में भाटापारा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत शिवनाथ नदी के किनारे बसे ग्रामों के नदी तट के कटाव को रोकने के लिये प्रोटेक्शन/पिचिंग कार्य के लिये कब-कब, कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई व इस पर कितना कब-कब व्यय किया जा चुका है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद्र यादव) : वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में भाटापारा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत जल संसाधन विभाग द्वारा शिवनाथ नदी के किनारे बसे ग्रामों के नदी तट के कटाव को रोकने के लिये प्रोटेक्शन/पिचिंग कार्य के लिये कोई भी राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है व इस पर कोई भी राशि का व्यय नहीं किया गया है।

भाटापारा विधान सभा क्षेत्र में शौचालय निर्माण हेतु स्वीकृत राशि

6. (क्र. 65) **श्री चैतराम साहू** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भाटापारा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2008-09 एवं 09-10 में कितने ग्राम पंचायतों को शौचालय निर्माण कार्य कराने हेतु कितनी-कितनी राशि कब-कब दी गई ? (ख) लक्ष्य के विरुद्ध कितने शौचालय बनाये जा चुके हैं ? कितने शेष हैं ? कब तक पूर्ण करा लिया जावेगा ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) भाटापारा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2008-09 एवं वर्ष 2009-10 में विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों को शौचालय निर्माण कार्य कराने हेतु दिनांकवार दी गई राशि की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है। (ख) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” एवं “स” अनुसार है। पूर्ण कराने के संबंध में निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

लैलूंगा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नल जल योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की स्थिति

7. (क्र. 79) **श्री हृदयराम राठिया** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लैलूंगा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2009 एवं 2010 में नल जल योजना के अंतर्गत कुल कितने कार्य स्वीकृत हैं ? (ख) स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य समयावधि में पूर्ण हो चुके हैं तथा कितने कार्य अपूर्ण हैं ? अपूर्ण कार्यों की पूर्णता तिथि क्या थी ? विलंब के कारण सहित जानकारी दें।

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) लैलूंगा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2009 एवं वर्ष 2010 में नलजल योजना के कुल 13 कार्य स्वीकृत हुए हैं। (ख) स्वीकृत कार्यों में से कोई कार्य समयावधि में पूर्ण नहीं हुए हैं। वर्तमान में 2 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 11 कार्य अपूर्ण हैं। अपूर्ण कार्यों की पूर्णता तिथि एवं विलम्ब के कारणों की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” एवं † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार।

रायगढ़ जिले के शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों की पूर्ति

8. (क्र. 80) **श्री हृदयराम राठिया** : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले के अंतर्गत

संचालित शासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य, सहायक प्राध्यापक, प्राध्यापकों के कितने पद कब से रिक्त हैं ? महाविद्यालय का नाम एवं रिक्त पदों की जानकारी विषयवार दें। (ख) रिक्त पदों की पूर्ति कब तक की जावेगी ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद्र यादव) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर है। (ख) समय सीमा बताना संभव नहीं है।

दिसम्बर, 2000 से दिनांक 15 नवम्बर, 2010 तक आवंटित कोल ब्लॉक्स एवं लौह अयस्क की खदानें

9. (क्र. 91) **श्री रविन्द्र चौबे** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य सरकार ने दिसम्बर 2000 से 15-11-2010 तक किन-किन उद्योगों, ऊर्जा संयंत्रों के लिए कोल ब्लॉक्स एवं लौह अयस्क खदान आवंटित किया गया है ? (ख) उद्योगों एवं ऊर्जा संयंत्रों के नाम, पते एवं आवंटन दिनांक, आवंटित क्षेत्र सहित जानकारी दें ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) कोल ब्लॉक्स का आवंटन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। तत्पश्चात् खनिज रियायत स्वीकृति हेतु आवेदक कंपनी द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर राज्य शासन द्वारा नियमानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। दिसम्बर 2000 से 15-11-10 तक जिन-जिन उद्योगों, ऊर्जा संयंत्रों के लिए कोल ब्लॉक्स एवं लौह अयस्क खदान आवंटित (स्वीकृत) किया गया है, की जानकारी परिशिष्ट पर दर्शित है। (ख) प्रश्नांश “ख” की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है।

राज्य में आर्थिक अपराध एवं भ्रष्टाचार में दर्ज एवं लंबित प्रकरण

10. (क्र. 106) **श्री अमरजीत भगत** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2008-2009 एवं 2009-10 में ई.ओ. डब्ल्यू में कितने केस दर्ज किए गए, उसमें कितने प्रकरणों में कोर्ट में चालान पेश किया गया तथा कितने लंबित हैं ? (ख) लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु जांच अधिकारी कौन-कौन बनाए गए हैं तथा निराकरण की समय सीमा क्या निर्धारित की गयी है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) राज्य आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो ने प्रश्नाधीन अवधि में वर्ष 2008-2009 में 06 अपराध तथा वर्ष 2009-10 में 11 अपराध दर्ज किये हैं। दर्ज प्रकरणों में किसी भी प्रकरण में चालान पेश नहीं किया गया है तथा सभी प्रकरण विवेचना में लंबित हैं। (ख) लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु निम्नानुसार जांच अधिकारी बनाए गए हैं :-

1. श्री ए. आर. खान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
2. श्री पी. के. मिश्रा, उप पुलिस अधीक्षक,
3. श्री लोचन पाण्डेय, निरीक्षक
4. श्री के. एस. मिंज, निरीक्षक
5. श्रीमती अर्चना चौधरी, निरीक्षक
6. श्री रंजीत एक्का, निरीक्षक
7. श्री अनिल बख्शी, निरीक्षक
8. श्री लौरेंस खेस, निरीक्षक
9. श्री बी. आर. कोराम, निरीक्षक

प्रकरणों की विवेचना की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं होती है।

वनभूमि पर काबिज कृषकों को प्रदत्त पट्टे

11. (क्र. 109) **श्री अमरजीत भगत** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केन्द्रीय वन अधिनियम, 2005 के तहत वन भूमि पर काबिज कृषकों को पट्टा देने के प्रावधान अंतर्गत छ. ग. राज्य में कुल कितने कृषकों के आवेदन वन भूमि पट्टा हेतु जमा किये गये हैं ? जिलेवार जानकारी दें ? (ख) सरगुजा जिले में कुल कितने आवेदन वन भूमि पट्टा हेतु जमा हुए तथा कितने आवेदनकर्ता कृषकों को वन भूमि पट्टा दिया गया ? क्या शासन द्वारा वन भूमि का पट्टा देने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) केन्द्रीय वन अधिनियम, 2005 के तहत वन भूमि का पट्टा हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है किन्तु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत वन भूमि के अधिकार पत्र हेतु कुल 488326 आवेदन जमा किये गये हैं. जिलावार जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है. (ख) 90915 आवेदन जमा हुए तथा 26584 आवेदकों को वन भूमि अधिकार पत्र दिया गया. जी नहीं.

आरंग विकासखण्ड अंतर्गत वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 में विद्युतीकृत ग्राम व मजराटोले

12. (क्र. 119) **श्री रूद्र कुमार गुरू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आरंग विकासखंड में सत्र 2009-10 एवं 2010-11 में दिनांक 15 नवम्बर, 2010 की स्थिति में कितने ग्रामों के मजराटोला का विद्युतीकरण किया गया है एवं कितने ग्रामों के कितने मजराटोला विद्युत विहीन हैं ? (ख) आरंग विकासखण्ड के कितने ग्रामों में लो-वोल्टेज की समस्या है नाम सहित बतायें ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत आरंग विकासखण्ड में सत्र 2009-10 में 03 एवं 2010-11 में दिनांक 15 नवम्बर 2010 तक 35 ग्रामों का सघन विद्युतीकरण किया गया है. उक्त विकासखण्ड के सभी 166 ग्रामों में कोई भी मजराटोला विद्युत विहीन नहीं है. (ख) आरंग विकासखण्ड के 03 ग्राम यथा कुटेसर, बेनीडीह एवं कलई में लो वोल्टेज समस्या की शिकायत प्राप्त हुई है, जिसके निराकरण हेतु ग्राम कुटेसर में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापित करने का कार्यादेश जारी किया जा चुका है. उक्त कार्य संसाधनों के उपलब्धतानुसार यथाशीघ्र पूर्ण करने का प्रयास है तथा शेष 02 ग्रामों में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापना हेतु प्राक्कलन स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

सिहावा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत भवन विहीन छात्रावास, आश्रम एवं शालाओं हेतु भवन व्यवस्था

13. (क्र. 127) **श्रीमती अंबिका मरकाम** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धमतरी जिले के सिहावा विधान सभा क्षेत्र में विभाग द्वारा संचालित कितने छात्रावास, आश्रम, हाईस्कूल व हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन विहीन हैं ? विकासखण्डवार जानकारी देवें. (ख) वर्तमान में कहां-कहां भवन निर्माणाधीन है ? निर्माणाधीन भवन कब तक पूरे कर लिये जावेंगे ? (ग) भवन विहीन छात्रावास, आश्रम, हाईस्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूलों के भवन की स्वीकृति कब तक कर दी जावेगी ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) 08 छात्रावास, 08 आश्रम, 08 हाईस्कूल व 05 हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन विहीन हैं. विकासखण्डवार जानकारी प्रपत्र “अ” पर †† संलग्न है. (ख) जानकारी प्रपत्र “ब” पर †† संलग्न है. निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है. (ग) निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है.

सिहावा विधान सभा क्षेत्र में आदिमजाति विकास विभाग द्वारा संचालित शालाओं में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पद

14. (क्र. 128) **श्रीमती अंबिका मरकाम** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिहावा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल विभाग द्वारा संचालित हैं ? (ख) सभी शालाओं में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी देवें. (ग) रिक्त पद कब तक भरे जावेंगे ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) 327-प्राथमिक शाला, 129-पूर्व माध्यमिक शाला, 13-हाईस्कूल एवं 11-हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित हैं. (ख) जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रमांक	संस्था का प्रकार	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
1.	प्राथमिक शाला	1372	833	539
2.	पूर्व माध्यमिक शाला	917	508	409
3.	हाईस्कूल	182	55	127
4.	हायर सेकेण्डरी स्कूल	315	174	141
योग		2786	1570	1216

(ग) निश्चित समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

सिहावा विधान सभा क्षेत्र में हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टे का वितरण

15. (क्र. 131) **श्रीमती अंबिका मरकाम** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धमतरी जिले के सिहावा विधान सभा क्षेत्र में वन अधिकार अधिनियम के तहत वन अधिकार पट्टा हेतु 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 व 2010-11 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य कुल कितने हितग्राहियों ने वन अधिकार पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है ? (ख) कुल कितने हितग्राहियों को पट्टे का वितरण किया गया और कितने को अपात्र घोषित किया है ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जानकारी निम्नानुसार है :—

वर्ष	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या		
	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति एवं अन्य परंपरागत	योग
(1)	(2)	(3)	(4)
2007-08	9978	976	10954
2008-09	-	-	-
2009-10	-	-	-
2010-11	-	-	-
योग	9978	976	10954

(ख) 9109 हितग्राहियों को पट्टे का वितरण किया गया और 1845 को अपात्र घोषित किया है।

प्रदेश के महाविद्यालयों में प्राचार्य, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति

16. (क्र. 143) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिक्षा सत्र 2010-11 में प्रश्नांकित अवधि तक प्रदेश के महाविद्यालयों में प्राचार्य, प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के कुल कितने पद रिक्त हैं ? (ख) रिक्त पदों की भर्ती हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है एवं शेष रिक्त पदों की भर्ती कब तक की जायेगी ? (ग) शिक्षा सत्र 2010-11 में प्रदेश के महाविद्यालयों में कुल कितने संविदा सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की गई है ? जिलेवार, विषयवार नियुक्ति संख्या की जानकारी दें।

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद्र यादव) : (क) प्रदेश के महाविद्यालयों में प्राचार्य, प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापकों के कुल रिक्त पद की जानकारी निम्नानुसार है :—

प्राचार्य	79
प्राध्यापक	341
सहायक प्राध्यापक	1261

- (ख)
1. प्राचार्यों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रचलन में है।
 2. प्राध्यापकों के विभिन्न विषयों के 341 पदों को भरने हेतु मांग पत्र छ.ग. लोक सेवा आयोग को भेजी गई है।
 3. 32 विषयों के 878 सहायक प्राध्यापकों के रिक्त सहायक प्राध्यापकों के सीधी भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 29-11-09 एवं 30-11-09 को परीक्षा आयोजित की गई है। साक्षात्कार की कार्यवाही जारी है। चयन सूची प्राप्त होने के पश्चात् नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी।
 4. सहायक प्राध्यापक के 121 बैकलॉक के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु मांग छ.ग. लोक सेवा आयोग को भेजी गई है। समय समय सीमा बताना संभव नहीं है। (ग) शिक्षा सत्र 2010-11 में प्रदेश के महाविद्यालयों में 1275 संविदा सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की गई है। जिलेवार, विषयवार नियुक्ति † संलग्न परिशिष्ट पर है।

रायगढ़ जिले के आजाक विभाग में प्राथ./माध्य. विद्यालयों में प्रधान पाठक के रिक्त पदों की पूर्ति

17. (क्र. 144) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (ग) रायगढ़ जिले के आजाक विभाग अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालयों में वर्तमान में कुल कितने-कितने प्रधान पाठक के पद रिक्त हैं ? विकासखण्डवार जानकारी देवें. (ख) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु क्या कार्यवाही की गई है तथा रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर ली जायेगी ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है :—

विकासखण्ड	प्रधान पाठक के रिक्त पद (प्राथमिक शाला)	प्रधान पाठक के रिक्त पद (माध्यमिक शाला)
(1)	(2)	(3)
घरघोड़ा	95	0
धर्मजयगढ़	124	23
लैलूंगा	234	58
खरसिया	150	0
तमनार	120	0
योग	723	81

(ख) रिक्त पदों की पूर्ति हेतु पदोन्नति समिति द्वारा सूची अनुमोदित हो चुकी है, दावा आपत्ति बुलाया गया है. दावा आपत्ति आने पर उनका निराकरण शीघ्र कर रिक्त पदों की पूर्ति कर ली जायेगी.

आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में लम्बित प्रकरण

18. (क्र. 149) **श्री मोहम्मद अकबर** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 नवम्बर, 2010 की स्थिति में भारतीय प्रशासनिक सेवा के किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध किस-किस अपराध के प्रकरण ई.ओ.डब्ल्यू. में कब-कब से, किन-किन कारणों से लम्बित है ? (ख) 01 नवम्बर, 2000 से दिनांक 31-10-2010 तक किनके-किनके प्रकरणों का खात्मा, किन-किन कारणों से, कब-कब हुआ है ? किनके-किनके प्रकरण, कब-कब सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” पर दर्शित है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” पर दर्शित है.

01 करोड़ से अधिक के विद्युत बकायादार

19. (क्र. 150) **श्री मोहम्मद अकबर** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 नवम्बर 2010 की स्थिति में दो वर्ष से अधिक के 01 करोड़ से अधिक के विद्युत बकायादार कौन-कौन हैं ? (ख) उक्त बकायादारों के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2009-2010 में वसूली हेतु क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) 01 नवम्बर, 2010 की स्थिति में दो वर्ष से अधिक के 01 करोड़ से अधिक के विद्युत बकायादार का विवरण †† संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शाया गया है. (ख) उक्त बकायादारों के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2009-2010 में वसूली हेतु की गई कार्यवाही का विवरण †† संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शाया गया है.

विकासखण्ड बिलाईगढ़ एवं कसडोल में विभिन्न कार्यों हेतु स्वीकृत राशि

20. (क्र. 155) **डॉ. शिवकुमार डहरिया** : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला रायपुर के विकासखण्ड बिलाईगढ़ एवं कसडोल में वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 (माह अक्टूबर, 2010 तक) में किन-किन कार्यों के लिए, कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई ? कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं ? कितने कार्य अपूर्ण हैं, अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण किया जावेगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद्र यादव) : जिला रायपुर में विभागीय मद के अन्तर्गत विकासखण्ड बिलाईगढ़ में वित्तीय वर्ष 2009-10 में 05 कार्यों हेतु रु. 278.58 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 में 01 कार्य हेतु रु. 65.31 लाख तथा विकासखण्ड कसडोल में वर्ष 2009-10 में 03 कार्यों हेतु रु. 568.79 लाख राशि स्वीकृत की गई है एवं वर्ष 2010-11 में कोई भी राशि स्वीकृत नहीं है. केवल एक कार्य पूर्ण किया गया, शेष 08 कार्यों में से 07 कार्य दिनांक 03/2011 एवं एक कार्य जून 2012 में पूर्ण होना संभावित है. कार्यों का विवरण, स्वीकृत राशि एवं संभावित पूर्णता तिथि की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

जिला रायपुर एवं जांजगीर-चांपा में स्वीकृत शौचालय निर्माण की स्थिति

21. (क्र. 156) **डॉ. शिवकुमार डहरिया** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रायपुर एवं जांजगीर-चांपा में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान अंतर्गत किन-किन विकासखण्डों में वर्ष 2009-2010 एवं 2010-2011 (माह अक्टूबर, 2010 तक) में कितने शौचालय निर्माण कार्य स्वीकृत हुए हैं तथा उनकी लागत क्या है ? (ख) कितने कार्य पूर्ण तथा कितने कार्य अपूर्ण हैं ? विकासखण्डवार जानकारी दें.

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान अंतर्गत जिला रायपुर एवं जांजगीर-चांपा के लिए वर्ष 2009-10 एवं वर्ष 2010-11 में (माह अक्टूबर-10 तक) स्वीकृत शौचालय निर्माण कार्य एवं उनकी लागत निम्नानुसार है :-

वर्ष 2009-10

क्र.	जिला	कार्यक्रम व्यक्तिगत/ निजी शौचालय	स्वीकृत निर्माण कार्य	स्वीकृत निर्माण कार्यों की लागत राशि (रु. लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	रायपुर	शाला शौचालय	692	138.40
		सामुदायिक शौचालय	1	2.00
		बी.पी.एल.	35200	880.00
		एपीएल	57000	1083.00
2.	जांजगीर-चांपा	बीपीएल	23797	594.92
		एपीएल	10971	274.27
कुल योग			127661	2972.59

विकासखण्डवार स्थिति †† संलग्न प्रपत्र “अ”, “ब”, “स”, “स-1”, “द” एवं “द-1” में दर्शित है.

वर्ष 2010-11

क्र.	जिला	कार्यक्रम व्यक्तिगत/ निजी शौचालय	स्वीकृत निर्माण कार्य	स्वीकृत निर्माण कार्यों की लागत राशि (रु. लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	रायपुर	शाला शौचालय	8	1.60

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		बी.पी.एल.	26214	655.35
		एपीएल	57000	1083.00
2.	जांजगीर-चांपा	बीपीएल	32375	809.37
		एपीएल	13136	328.40
कुल योग			128733	2877.72

विकासखण्डवार स्थिति †† संलग्न प्रपत्र “अ”, “ब”, “स”, “स-1”, “द” एवं “द-1” में दर्शित है. (ख) कितने कार्य पूर्ण हुए तथा कितने कार्य अपूर्ण है की जानकारी निम्नानुसार है :-

वर्ष 2009-10

क्र.	जिला	कार्यक्रम व्यक्तिगत/ निजी शौचालय	पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	रायपुर	शाला शौचालय	692	0
		सामुदायिक शौचालय	1	0
		बी.पी.एल.	30235	4965
		एपीएल	20145	36855
2.	जांजगीर-चांपा	बीपीएल	11829	11968
		एपीएल	11018	0
कुल योग			73920	53788

विकासखण्डवार स्थिति †† संलग्न प्रपत्र “अ”, “ब”, “स”, “स-1”, “द” एवं “द-1” में दर्शित है.

वर्ष 2010-11

क्र.	जिला	कार्यक्रम व्यक्तिगत/ निजी शौचालय	पूर्ण कार्य	अपूर्ण कार्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	रायपुर	शाला शौचालय	8	0
		बी.पी.एल.	7000	19214
		एपीएल	3970	53030
2.	जांजगीर-चांपा	बीपीएल	6918	25457
		एपीएल	4413	8723
कुल योग			22309	106424

विकासखण्डवार स्थिति †† संलग्न प्रपत्र “अ”, “ब”, “स”, “स-1”, “द” एवं “द-1” में दर्शित है.

पलारी, कसडोल एवं लवन के महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति

22. (क्र. 161) **श्री राजकमल सिंघानिया** : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि पलारी, कसडोल एवं लवन के महाविद्यालयों में शिक्षकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? वर्तमान में महाविद्यालयों में कितने शिक्षक पदस्थ हैं एवं कितने शिक्षकों के पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों पर शिक्षकों की पदस्थापना कब तक कर ली जावेगी ? संकायवार रिक्त पदों की जानकारी देवें.

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद्र यादव) : जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” एवं प्रपत्र “ब” पर है. समय-सीमा बताना संभव नहीं है.

राजनांदगांव जिले में संचालित चॉइस सेंटर द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाएं

23. (क्र. 171) **श्री भोलाराम साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले में चॉइस परियोजना के अन्तर्गत दिनांक 15-11-2010 की स्थिति में कितने चॉइस सेंटर कहां-कहां, किस-किस व्यक्ति/फर्म/संस्था द्वारा संचालित किये जा रहे हैं ? (ख) प्रश्नांश “क” में वर्णित इन चॉइस सेंटर में से कितने सेंटर में उनके द्वारा उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न नागरिक सेवाओं की जानकारी एवं शासन द्वारा विभिन्न नागरिक सेवाओं के लिये निर्धारित शुल्क की सूची चस्पा की गई है ? अगर नहीं की गई है तो इसका क्या कारण है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) राजनांदगांव जिले के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में कुल 07 चॉइस सेंटर स्वीकृत हैं, विवरण निम्नानुसार है :—

1. श्री प्रवीण पाल, पाल चॉइस सेंटर, राजनांदगांव
2. श्री अफसर खान, साई मंदिर के पास, राजनांदगांव
3. कु. नम्रता मेश्राम, स्टेशनपारा, राजनांदगांव
4. श्री रितेश चौरसिया, गुड़ाखू लाईन, राजनांदगांव
5. श्री शेष अहमद सिद्धिकी, जूनी हटरी, राजनांदगांव
6. श्री हिम्मत भाई पटेल, गीता कम्प्यूटर, टांकापारा, राजनांदगांव
7. श्री उमेश ठक्कर, श्री कम्प्यूटर्स, लालबाग, राजनांदगांव

वर्तमान में उपरोक्त 07 में से क्रमांक (2) पर उल्लेखित श्री अफसर खान, (साई मंदिर के पास, राजनांदगांव) का चॉइस सेंटर बन्द है, शेष सेंटर संचालित हैं. (ख) वर्तमान में प्रश्नांश (क) में वर्णित चॉइस सेंटर में से 06 सेंटरों में नागरिकों को आय, जाति, निवास, जन्म-मृत्यु आदि प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षर से जारी किये जा रहे हैं. उपरोक्त सभी कार्यरत सेंटरों में विभिन्न नागरिक सेवाओं की जानकारी एवं शासन द्वारा विभिन्न नागरिक सेवाओं के लिये निर्धारित शुल्क की सूची चस्पा की गई है.

एकल बत्ती कनेक्शन हेतु हितग्राहियों के चयन का निर्धारित मापदण्ड

24. (क्र. 172) **श्री भोलाराम साहू** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा एकल बत्ती कनेक्शन प्रदान करने हेतु पात्र हितग्राहियों के चयन का क्या निर्धारित मापदण्ड है ? (ख) दिनांक 15-11-2010 की स्थिति में राजनांदगांव जिले में कितने एकल बत्ती कनेक्शन हितग्राही हैं ? विकासखंडवार जानकारी प्रदान करें ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी श्रेणी के ऐसे लोग, जिनके नाम बी.पी.एल. सर्वे सूची में शामिल हैं, एकल बत्ती कनेक्शन हेतु पात्र हैं. (ख) दिनांक 15-11-2010 की स्थिति में राजनांदगांव जिले में 90, 801 एकलबत्ती कनेक्शन हितग्राही हैं. विकासखण्डवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शायी गई है.

विकासखण्ड धरसीवा, तिल्दा तथा आरंग में उद्वहन सिंचाई योजना हेतु लंबित प्रकरणों का निराकरण

25. (क्र. 179) **श्री देवजी भाई पटेल** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उद्वहन सिंचाई योजना के तहत विद्युत पंप कनेक्शन के लिए वर्ष 2008-2009 एवं 2009-2010 में कितने-कितने आवेदन धरसीवा विकासखण्ड एवं तिल्दा, आरंग से प्राप्त हुए,

आवेदक के नाम व गांव सहित बतावें ? (ख) कंडिका “क” के कितने प्रकरणों में विद्युत कनेक्शन दिये गए ? कितने प्रकरण शेष हैं और क्यों ? (ग) लंबित प्रकरणों में कब तक विद्युत कनेक्शन दिया जावेगा ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) उद्वहन सिंचाई योजना के तहत विद्युत पंप कनेक्शन के लिए वर्ष 2008-2009 एवं 2009-2010 में निरंक आवेदन धरसीवा विकासखण्ड एवं तिल्दा, आरंग से प्राप्त हुए हैं. उक्त परिप्रेक्ष्य में आवेदक के नाम एवं गांव बताने का प्रश्न नहीं उठता. (ख) प्रश्नांश “क” के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में विद्युत कनेक्शन प्रदाय करने अथवा शेष होने का प्रश्न नहीं उठता. (ग) प्रश्नांश “क” के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में लंबित प्रकरणों में विद्युत कनेक्शन देने का प्रश्न नहीं उठता.

छात्रावासों/आश्रमों में सामग्री क्रय हेतु प्रावधानित बजट तथा व्यय राशि

26. (क्र. 180) **श्री देवजी भाई पटेल :** क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छात्रावासों/आश्रमों के लिए जरूरी समान खरीदी हेतु वित्तीय वर्ष 2009-2010 एवं 2010-2011 में कितनी-कितनी राशि का प्रावधान था ? इसमें कितना बजट खर्च हुआ ? (ख) कंडिका “क” के संस्थानों की संख्या कितनी है और इनमें वर्तमान में कितने बच्चे अध्ययनरत हैं, जिलेवार जानकारी दें ? (ग) कंडिका “क” की खरीदी में कौन-कौन से समान शामिल हैं ? खरीदी किनकी निगरानी में होती है ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) जानकारी निम्नानुसार है.

वर्ष	बजट प्रावधान (लाखों में)	खर्च (लाखों में)
2009-10	997.72	941.69
2010-11	756.08	194.77

(माह नवम्बर 2010 की स्थिति में)

(ख) जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है. (ग) खरीदी गई सामग्री में तखत, क्वायर फोम गद्दा, कंबल, चादर, तकिया, कव्हर एवं तकिया, मच्छरदानी, खाना पकाने एवं खाने के बर्तन (गंज, कढ़ाही, थाली, गिलास, जग, परात इत्यादि), क्रीड़ा एवं संगीत सामग्री (क्रिकेट किट, कैरम बोर्ड, बैडमिन्टन, हारमोनियम, ढोलक इत्यादि), विद्यार्थी टेबल, विद्यार्थी कुर्सी, ब्लेक बोर्ड, विद्युत सामग्री (ट्यूब लाइट सेट, सी.एफ.एल. बल्ब इत्यादि) दीवार घड़ी, डस्टबीन, फिनायल, डोरमैट इत्यादि शामिल हैं. कंबल एवं चादर का क्रय आयुक्त, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास की निगरानी में तथा शेष समस्त सामग्रियों का क्रय जिला कलेक्टर/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास की निगरानी में होता है.

सरायपाली एवं बसना विकासखण्ड अन्तर्गत संचालित प्री मेट्रिक बालक एवं बालिका छात्रावास

27. (क्र. 185) **डॉ. हरिदास भारद्वाज :** क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सरायपाली एवं बसना विकासखण्ड अन्तर्गत कितने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बालक एवं बालिका प्री मेट्रिक छात्रावास संचालित हैं ? (ख) दिनांक 15-11-2010 की स्थिति में उपरोक्त प्री मेट्रिक छात्रावासों में से कितने के भवन विहीन हैं, भवन विहीन छात्रावासों में कब तक भवन निर्माण कर दिया जावेगा ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) अनुसूचित जाति के 06 बालक एवं 04 बालिका प्री. मै. छात्रावास तथा अनुसूचित जनजाति के 15 बालक एवं 07 बालिका प्री मेट्रिक छात्रावास संचालित हैं. (ख) 19 प्री मेट्रिक छात्रावासों के भवन नहीं हैं. निश्चित समयावधि बताया जाना संभव नहीं है.

सरायपाली एवं बसना विकासखण्ड अन्तर्गत ट्यूबवेल में स्थायी विद्युतीकरण हेतु प्राप्त प्रकरण

28. (क्र. 186) **डॉ. हरिदास भारद्वाज :** क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महासमुन्द जिले के सरायपाली एवं बसना विकासखण्ड अंतर्गत 1 जनवरी, 2010 से 15 नवम्बर, 2010 तक ट्यूबवेल में स्थायी विद्युतीकरण करने हेतु कितने प्रकरण प्राप्त हुए

थे ? (ख) 15-11-2010 की स्थिति में विद्युतीकरण स्थायी करने हेतु किसानों के कितने प्रकरण लम्बित हैं विकासखण्डवार बतावें ? शेष प्रकरण के ट्यूबवेल में कब तक स्थायी कनेक्शन दे दिया जावेगा ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) 01 जनवरी 2010 से 15 नवम्बर 2010 तक महासमुन्द जिले के सरायपाली एवं बसना विकासखण्ड अंतर्गत ट्यूबवेल में स्थायी विद्युतीकरण हेतु क्रमशः 85 एवं 702 प्रकरण प्राप्त हुए हैं. (ख) दिनांक 15-11-2010 की स्थिति में किसानों के पम्प विद्युतीकरण स्थायी करने हेतु कुल 1003 प्रकरण लंबित है, जिनमें स्वीकृति हेतु 529 एवं विद्युत विस्तार कार्य हेतु 474 प्रकरण सम्मिलित हैं. उक्त लंबित प्रकरणों की विकासखण्डवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शायी गई है. विद्युत विस्तार हेतु लंबित 474 प्रकरणों के कार्य संसाधनों की उपलब्धतानुसार यथाशीघ्र पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे हैं तथा स्वीकृति हेतु लंबित 529 प्रकरणों में नियमानुसार स्वीकृति पश्चात् औपचारिकता पूर्ण करने के उपरांत कार्यादेश जारी कर कार्य पूर्ण कराने की कार्यवाही की जावेगी.

खरखरा जलाशय की सुरसुली वितरक नहर के लाईनिंग कार्य की स्थिति

29. (क्र. 190) **श्री विरेन्द्र कुमार साहू** : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या, दुर्ग जिले के खरखरा जलाशय की बायीं तट नहर के अंतर्गत सुरसुली वितरक नहर का लाईनिंग कार्य पूर्ण हो गया है ? (ख) यदि नहीं तो, क्यों एवं पूर्ण कराने में क्या परेशानी आ रही है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद्र यादव) : (क) जी नहीं. (ख) सुरसुली वितरक नहर से प्रभावित होने वाले ग्राम खपराभाट, नांहदा, सुरसुली के ग्रामवासियों द्वारा सुरसुली वितरक नहर के निर्माण का विरोध करने के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका है, अतः लाईनिंग कार्य कराये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

खरखरा मोहदीपाट नहर के लाईनिंग कार्य की लागत

30. (क्र. 191) **श्री विरेन्द्र कुमार साहू** : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरखरा मोहदीपाट नहर का लाईनिंग कार्य होने से कितने पानी की बचत होगी ? (ख) इस कार्य की लागत कितनी होगी ? (ग) लाईनिंग कार्य होने से बचत पानी का उपयोग किस क्षेत्र में सिंचाई के लिये किया जावेगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद्र यादव) : (क) लगभग 20 प्रतिशत पानी जिसकी मात्रा लगभग 11.33 मि.घ.मी. (04 टी.एम.सी.) होती है, बचत होगी. (ख) इस कार्य की लागत रु. 180.00 करोड़ होने का अनुमान है. (ग) बचत पानी का उपयोग कमाण्ड क्षेत्र में ही सिंचाई विस्तार हेतु किया जा सकेगा.

एन.एम.डी.सी. द्वारा बस्तर जिले में सी.एस.आर. के तहत व्यय राशि

31. (क्र. 207) **श्री संतोष बाफना** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 2009-10 एवं 2010-11 के माह नवम्बर तक एन.एम.डी.सी. द्वारा सी.एस.आर. (कार्पोरेट सोशल रिसपांसिबिलिटी) के अंतर्गत बस्तर जिले के किन-किन स्थानों में किस-किस कार्य/योजना में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? (ख) क्या एन.एम.डी.सी. अपने लाभांश का एक निश्चित हिस्सा एन.एम.डी.सी. सी.एस.आर. के अंतर्गत व्यय करती है ? यदि हां तो कितना ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : (क) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) जी हां, कंपनी के द्वारा निवल (Net) लाभ का दो प्रतिशत राशि सी. एस. आर. पर व्यय किये जाने का प्रावधान है.

रायगढ़ जिले में बेरोजगारों को स्वीकृत अनुदान

32. (क्र. 283) **श्री नंदकुमार पटेल** : क्या आदिमजाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में रायगढ़ जिले में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के कुल कितने बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार

हेतु छत्तीसगढ़ अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम द्वारा ऋण अनुदान स्वीकृत किया गया है ? जानकारी योजनानुसार एवं जनपद पंचायतवार दें. (ख) क्या अगस्त 2010 में रायगढ़ जिले के बेरोजगार युवाओं को छत्तीसगढ़ अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम द्वारा रोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराने के लिए साक्षात्कार लिया गया था ? (ग) यदि हां, तो कितने बेरोजगारों को ऋण स्वीकृत किया गया ?

आदिमजाति विकास मंत्री (श्री केदार कश्यप) : (क) कुल 188, योजनानुसार एवं जनपद पंचायतवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) जी नहीं. (ग) प्रश्नांश “ख” के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

खल्लारी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सिंचाई योजनाओं के संबंध में

33. (क्र. 352) **श्री परेश बागबाहरा** : क्या जल संसाधन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खल्लारी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कसहीबाहरा जलाशय, कोमा जलाशय, धरमपुरा जलाशय, 32 इंटेकवेल, अपरजॉक डायवर्सन योजना (परकोम खट्टी के मध्य), दरबेकेरा एनीकट, चिरई बांध, चारभांटा बांध, तेन्दूकोना एनीकट, तिलईदादर बांध, सूखा नाला जलाशय गड़बेड़ा, बकमा एनीकट, टूरीझर एनीकट, अपर बघनई बैराज, के सर्वेक्षण/अनापत्ति प्रमाण पत्र तकनीकी स्वीकृति, बजट प्रावधान एवं आवंटन की क्या स्थिति है ? (ख) प्रश्नांश “क” की योजनाएं विभाग में विभिन्न स्तरों में कितने-कितने दिनों से एवं क्यों लंबित हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री हेमचंद्र यादव) : (क) खल्लारी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कसहीबाहरा जलाशय, कोमा जलाशय एवं धरमपुरा जलाशय वन प्रभावित है. इनके वनभूमि व्यपवर्तन के प्रकरण प्रक्रियाधीन है. 32 इंटेकवेल की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन है. अपरजॉक डायवर्सन योजना (परकोम खट्टी के मध्य) नवीन मद में बजट वर्ष 2011-12 में शामिल करने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. दरबेकेरा एनीकट एवं चिरई बांध के सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा इन योजनाओं को नवीन मद में बजट वर्ष 2011-12 में शामिल करने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. चारभांटा बांध की प्रशासकीय स्वीकृति प्रक्रियाधीन है. तेन्दूकोना एनीकट एवं तिलईदादर बांध नवीन मद में बजट वर्ष 2011-12 में शामिल करने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. सूखानाला जलाशय (गड़बेड़ा) योजना विचाराधीन नहीं है. बकमा एनीकट योजना नवीन मद में बजट वर्ष 2011-12 में शामिल करने हेतु प्रक्रियाधीन है. टूरीझर एनीकट 595 एनीकट की कार्ययोजना में शामिल न होने से विचाराधीन नहीं है. अपर बघनई बैराज योजना विचाराधीन नहीं है. योजनाओं के बजट प्रावधान एवं आवंटन की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) प्रश्नांश “क” की योजनाएं विभिन्न स्तरों पर कितने-कितने दिनों से एवं क्यों लंबित हैं की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

विधायकों के पत्रों के जवाब दिए जाने का प्रावधान

34. (क्र. 353) **श्री परेश बागबाहरा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन के नियमानुसार विधायकों से प्राप्त पत्रों का अंतरिम उत्तर 15 दिवस के अंदर दिये जाने का कोई नियम/प्रावधान है ?

मुख्यमंत्री (डॉ. रमन सिंह) : जी हां. इस संबंध में शासन के निर्देश हैं .

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[तारांकित प्रश्न संख्या 01 (क्र. 206) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

बस्तर जिले में संचालित महाविद्यालयों की सूची

1. शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर
2. शासकीय दन्तेश्वरी महिला महाविद्यालय, जगदलपुर
3. शासकीय गुंडाधुर महाविद्यालय, कोण्डागांव
4. शासकीय दण्डकारण्य महाविद्यालय, केशकाल
5. शासकीय महाविद्यालय, भानपुरी
6. शासकीय नवीन महाविद्यालय, बकावंड

प्रपत्र "ब"

क्र.	महाविद्यालय का नाम	पदनाम	संकायवार रिक्त पद				
			कला	विज्ञान	वाणिज्य	विधि	गृहविज्ञान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर.	प्राध्यापक	7	5	1	-	-
		सहायक प्राध्यापक	13	24	3	2	-
2.	शासकीय दन्तेश्वरी महिला महाविद्यालय, जगदलपुर.	प्राध्यापक	3	-	-	-	-
		सहायक प्राध्यापक	3	-	-	-	-
3.	शासकीय गुंडाधुर महाविद्यालय, कोणडागांव.	प्राध्यापक	4	-	1	-	-
		सहायक प्राध्यापक	6	6	1	-	1
4.	शासकीय दण्डकारण्य महाविद्यालय, केशकाल.	सहायक प्राध्यापक	4	4	1	-	-
5.	शासकीय महाविद्यालय, भानपुरी	सहायक प्राध्यापक	3	5	1	-	-
6.	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बकावंड	सहायक प्राध्यापक	5	3	2	-	-

परिशिष्ट “दो”

[तारांकित प्रश्न संख्या 02 (क्र. 36) के भाग (क) की जानकारी]

वर्ष 2004-05 से 2009-10 तक गारंटी अवधि में रायपुर ट्रांसफार्मर कंपनी के खराब हुए एवं रिपेयर हुए ट्रांसफार्मर की जानकारी

क्रमांक (1)	विद्युत संभाग का नाम (2)	दिए गए ट्रांसफार्मर			सुधारकर वापस किए गए ट्रांसफार्मर		
		पावर (3)	डिस्ट्रीब्यूशन (4)	कुल (5)	पावर (6)	डिस्ट्रीब्यूशन (7)	कुल (8)
1.	भाटापारा	1	46	47	0	42	42
2.	रायपुर	0	21	21	0	19	19
3.	महासमुंद	1	131	132	0	114	114
4.	राजिम	0	35	35	0	34	34
5.	धमतरी	0	29	29	0	26	26
6.	शहर पू. रायपुर	0	1	1	0	0	0
7.	शहर प. रायपुर	0	1	1	0	0	0
8.	शहर द. रायपुर	0	5	5	0	5	5
9.	डोंगरगढ़	0	10	10	0	10	10
10.	कवर्धा	1	35	36	0	35	35
11.	बालोद	0	18	18	0	18	18
12.	दुर्ग-एक	0	10	10	0	10	10
13.	दुर्ग-दो	0	11	11	0	11	11
14.	बेमेतरा	0	34	34	0	34	34
15.	भिलाई	0	1	1	0	1	1
16.	खैरागढ़	0	6	6	0	6	6
17.	जगदलपुर	0	40	40	0	32	32
18.	दंतेवाड़ा	0	28	28	0	23	23
19.	कोंडागांव	1	13	14	1	9	10
20.	कांकेर	0	58	58	0	43	43
21.	बिलासपुर शहर	0	15	15	0	13	13
22.	बिलासपुर	0	106	106	0	92	92
23.	सक्ती	1	183	184	1	163	164
24.	मुंगेली	0	56	56	0	53	53
25.	चाम्पा	0	124	124	0	107	107
26.	अकलतरा	0	7	7	0	7	7
27.	कोरबा	0	55	55	0	38	38
28.	पेंडुरोड	1	12	13	1	5	6
29.	रायगढ़-1	3	310	313	1	263	264
30.	रायगढ़-2	0	13	13	0	6	6
31.	पत्थलगांव	2	49	51	1	42	43
32.	जशपुर	0	37	37	1	18	19
33.	अम्बिकापुर	0	14	14	0	12	12
34.	मनेन्द्रगढ़	0	1	1	0	1	1
कुल योग		11	1515	1526	6	1292	1298

परिशिष्ट "तीन"

[तारांकित प्रश्न संख्या 03 (क्र. 73) के भाग (ग) की जानकारी]

रायगढ़ जिले में वर्ष 2010 में प्रस्तावित एनीकटों की जानकारी

स. क्र.	एनीकट का नाम	स्थान का नाम	नदी/नालों का नाम	विकासखण्ड
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(अ) जिनकी प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है				
1.	जैमुरा एनीकट	जैमुरा	माण्ड नदी	खरसिया
2.	साजापाली एनीकट	साजापाली	बोरई नदी	खरसिया
3.	गोरपार एनीकट	गोरपार	बोरई नदी	खरसिया
4.	बरगढ़ एनीकट	बरगढ़	बोरई नदी	खरसिया
(ब) जिनकी प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना है				
1.	साजापाली एनीकट	साजापाली	माण्ड नदी	खरसिया
2.	ऐडू एनीकट	ऐडू	माण्ड नदी	खरसिया
3.	चिखली एनीकट	चिखली	लातनाला	सारंगढ़
4.	नवापाली एनीकट	नवापाली	स्थानीयनाला	रायगढ़
5.	सालहेओना एनीकट	सालहेओना	सपनई नाला	रायगढ़
6.	तराईमाल एनीकट-1	तराईमाल	छुईकांसानाला	तमनार
7.	तराईमाल एनीकट-2	तराईमाल	बंजारीनाला	तमनार
8.	शिवपुरी गेरवानी एनी. -1	शिवपुरी	गेरवानीनाला	रायगढ़
9.	गेरवानी एनीकट-2	तराईमाल	गेरवानीनाला	तमनार
10.	गेरवानी एनीकट-3	गौरमुड़ी	गेरवानीनाला	रायगढ़
11.	कोईलार एनीकट	कोईलार	माण्ड नदी	खरसिया
12.	भेलवाटिकरा एनीकट	भेलवाटिकरा	केलो नदी	रायगढ़
13.	सलहन-2 एनीकट	सहसपुरी	माण्ड नदी	रायगढ़
14.	माकुमुडा एनीकट	बैसकीमुडा	शान नदी	लैलूंगा
15.	लात एनीकट	लात	माण्ड नदी	धरमजयगढ़
16.	लमरदहा एनीकट	लमरदहा	केलो नदी	लैलूंगा
17.	कारीछापन एनीकट	कारीछापन	कुरकुट नदी	घरघोड़ा
18.	बरौद एनीकट	बरौद	कुरकुट नदी	घरघोड़ा
19.	गुमड़ा एनीकट	बड़ेगुमड़ा	कुरकुट नदी	घरघोड़ा
20.	बुलेकेरा एनीकट	बुलेकेरा	कुरकुट नदी	घरघोड़ा
21.	खार एनीकट	खार	खारून नदी	लैलूंगा
22.	जतरा एनीकट	जतरा	खारून नदी	लैलूंगा
23.	रिलो एनीकट	रिलो	माण्ड नदी	धरमजयगढ़
24.	पखनाकोट एनीकट	पखनाकोट	माण्ड नदी	धरमजयगढ़
25.	कुदरीखार एनीकट	कुदरीखार	केलो नदी	तमनार
26.	गोहरीडीपा एनीकट	गोहरीडीपा	केलो नदी	तमनार
27.	बासनपाली एनीकट	बासनपाली	घोघरा नाला	तमनार
28.	औराभांटा स्टापडेम सह रपटा	औराभांटा	डोलीयानाला	खरसिया
29.	सिंघनपुर स्टापडेम सह रपटा	सिंघनपुर	घोघरा नाला	खरसिया

परिशिष्ट “चार”

[तारांकित प्रश्न संख्या 04 (क्र. 125) के भाग (क) की जानकारी]

विधान सभा सिहावा के अन्तर्गत स्वीकृत उत्खनिपट्टा :-

क्र.	पट्टेधारी का नाम/पता	ग्राम व तहसील	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अवधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री अभितेश गोलछा, निवासी मेन रोड धमतरी, जिला धमतरी.	माकर दोना (नगरी)	225	1.56	31-08-2002 से 30-08-2012
2.	श्री गगन नाहटा आत्मज श्री सुरेश नाहटा, निवासी नगर, जिला धमतरी.	देवपुर (नगरी)	447	4.00	2-05-2003 से 1-05-2013
3.	श्री नागेन्द्र शुक्ला, निवासी नगरी, जिला धमतरी.	अछोली (नगरी)	462,463	2.14	29-05-2004 से 28-05-2014
4.	श्री जनक बिसेन, निवासी बिलभद्र, जिला धमतरी.	परसापानी (नगरी)	402	2.80	17-04-2008 से 16-04-2018

विधान सभा सिहावा के अन्तर्गत स्वीकृत अस्थायी अनुज्ञा :-

1.	श्री बेनुराम साहू आत्मज श्री सुकदेव	परसाबुड़ा/मगरलोड	172	0.20	4-06-2010 से 3-12-2010
2.	श्री विरेन्द्र कुमार साहू आत्मज श्री चमरू राम साहू निवासी मुकुन्दपुर जिला धमतरी.	मुकुन्दपुर/नगरी	826	0.40	28-05-2010 से 27-11-2010
3.	श्री प्रकाश बैस आत्मज श्री यशकर सिंह निवासी छिपलीपारा जिला धमतरी.	देवपुर/नगरी	447	1.20	1-05-2010 से 30-11-2010
4.	श्री राजेन्द्र कुंजाम आत्मज श्री सागर कुंजाम, निवासी जामपानी, जिला धमतरी.	कसपुर/नगरी	1277	2.00	3-06-2010 से 2-12-2010
5.	श्री शंकर लाल देवांगन आत्मज श्री बोधन लाल देवांगन, निवासी बेलरगांव, जिला धमतरी.	कसपुर/नगरी	85	1.00	28-05-2010 से 27-11-2010

परिशिष्ट “पांच”

[तारांकित प्रश्न संख्या 07 (क्र. 16) के भाग (क) की जानकारी]

अकलतरा विधान सभा क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत लगाये गये ट्रांसफार्मरों में से चोरी हुए ट्रांसफार्मर्स की ग्रामवार एवं उसके बदलने की तिथि

क्र.	ग्राम का नाम	ट्रांसफार्मर की क्षमता	नया ट्रांसफार्मर लगाने की तिथि	विद्युत बहाल करने के संबंध में जानकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	कापन	10 KVA	14-11-10	-
2.	खटोला	10 KVA	12-11-10	-
3.	कोटगाढ़	10 KVA	13-11-10	-
4.	रसेड़ा	10 KVA	23-11-10	-
5.	सरईपाली 1	10 KVA	13-11-10	-
6.	सरईपाली 2	10 KVA	13-11-10	-
7.	पोंडीदल्हा	10 KVA	15-11-10	-
8.	मधुवा	10 KVA	22-11-10	-
9.	फरहदा 1	10 KVA	15-11-10	-
10.	फरहदा 2	10 KVA	22-11-10	-
11.	सांकर	10 KVA	15-11-10	-
12.	कटघरी	16 KVA	2-11-10	-
13.	कापन	10 KVA	-	ग्राम में स्थापित दूसरे 25 के. व्ही. ए. के ट्रांसफार्मर से सभी कनेक्शन चालू है.
14.	देवरी	10 KVA	1-04-10	-
15.	कापन भांठापारा	10 KVA	-	ग्राम में स्थापित दूसरे 25 के. व्ही. ए. के ट्रांसफार्मर से सभी कनेक्शन चालू है.
16.	करूमहू 1	10 KVA	23-11-10	-
17.	करूमहू 2	10 KVA	23-11-10	-
18.	नरियरा	10 KVA	12-08-10	-
19.	नरियरा	10 KVA	23-11-10	-
20.	झलमला	10 KVA	23-11-10	-
21.	नरियरा	10 KVA	-	ग्राम में स्थापित दूसरे 63 के. व्ही. ए. के ट्रांसफार्मर से सभी कनेक्शन चालू है.
22.	अर्जुनी	10 KVA	23-11-10	-
23.	कोटमीसोनार	10 KVA	23-11-10	-
24.	पोंडीदल्हा	10 KVA	23-11-10	-
25.	पहरिया	16 KVA	-	-
26.	पहरिया	10 KVA	-	-
27.	पहरिया	10 KVA	-	-
28.	बैजलपुर	10 KVA	-	-
29.	नवागांव	10 KVA	-	-
30.	करमंदा	10 KVA	-	-
31.	पोंच	10 KVA	-	-
32.	बछौद	10 KVA	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
33.	डोंगरी	10 KVA		
34.	भिलाई	10 KVA		
35.	भिलाई	16 KVA	19-10-10	
36.	रसौटा	16 KVA		
37.	रसौटा	16 KVA		
38.	हरदी	10 KVA		
39.	जर्वे	10 KVA		
40.	जर्वे	10 KVA		
41.	औरईकला	10 KVA		
42.	देवकोनी	10 KVA		
43.	खोहा	10 KVA		
44.	बोक्रेल	16 KVA		ग्राम में स्थापित अन्य ट्रांसफार्मर से सभी कनेक्शन चालू है.
45.	खैजा	10 KVA		ग्राम में स्थापित अन्य ट्रांसफार्मर से सभी कनेक्शन चालू है.
46.	हरदी विशाल	10 KVA		ग्राम में स्थापित अन्य ट्रांसफार्मर से सभी कनेक्शन चालू है.
47.	हरदी विशाल	10 KVA		ग्राम में स्थापित अन्य ट्रांसफार्मर से सभी कनेक्शन चालू है.
48.	लेवाई	10 KVA		ग्राम में स्थापित अन्य ट्रांसफार्मर से सभी कनेक्शन चालू है.
49.	हेडसपुर	10 KVA		ग्राम में स्थापित अन्य ट्रांसफार्मर से सभी कनेक्शन चालू है.
50.	बकसरा	16 KVA		ग्राम में स्थापित अन्य ट्रांसफार्मर से सभी कनेक्शन चालू है.
51.	पन्तोरा	10 KVA		ग्राम में स्थापित अन्य ट्रांसफार्मर से सभी कनेक्शन चालू है.
52.	अंगारखार	10 KVA		ग्राम में स्थापित अन्य ट्रांसफार्मर से सभी कनेक्शन चालू है.
53.	करमा	10 KVA		ग्राम में स्थापित अन्य ट्रांसफार्मर से सभी कनेक्शन चालू है.
54.	खेराकछार	10 KVA		ग्राम में स्थापित अन्य ट्रांसफार्मर से सभी कनेक्शन चालू है.
55.	खेराकछार	10 KVA		ग्राम में स्थापित अन्य ट्रांसफार्मर से सभी कनेक्शन चालू है.
56.	गतवा	10 KVA		ग्राम में स्थापित अन्य ट्रांसफार्मर से सभी कनेक्शन चालू है.
57.	कंडरा	10 KVA		ग्राम में स्थापित अन्य ट्रांसफार्मर से सभी कनेक्शन चालू है.
58.	कंडरा	10 KVA		ग्राम में स्थापित अन्य ट्रांसफार्मर से सभी कनेक्शन चालू है.
59.	कंडरा	10 KVA	10-01-2010	
60.	कंडरा	25 KVA	20-06-2010	
61.	पुरेना	10 KVA		ग्राम में स्थापित अन्य ट्रांसफार्मर से सभी कनेक्शन चालू है.
62.	पुरेना	10 KVA		ग्राम में स्थापित अन्य ट्रांसफार्मर से सभी कनेक्शन चालू है.

परिशिष्ट “छह”

[तारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 140) के भाग (ख) की जानकारी]

ग्राम कांदागढ़ तहसील पुसौर में स्वीकृत उत्खनि पट्टों की सूची

क्र.	पट्टाधारी का नाम पता	खनिज का नाम	स्वीकृत क्षेत्र का विवरण				रिमार्क
			ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	अवधि	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	श्री सुभाष अग्रवाल आ. श्री रामधन अग्रवाल निवासी मेन हास्पिटल के सामने रायगढ़.	पत्थर	कांदागढ़	203/1 क	2.750	08-02-2002 से 07-02-2012.	दिनांक 26-11-2010 द्वारा लेप्स घोषित.
2.	श्री अमित कुमार अग्रवाल आ. श्री हनुमान अग्रवाल साविडिया बिल्डिंग रायगढ़.	पत्थर	कांदागढ़	93/1	2.000	06-09-2002 से 25-09-2012.	दिनांक 26-11-2010 द्वारा लेप्स घोषित.
3.	श्रीमती बालादेवी शर्मा, पत्नी श्री बलवीर शर्मा निवासी नया गंज रायगढ़.	पत्थर	कांदागढ़	203/1 क	2.750	19-08-2002 से 18-08-2012.	दिनांक 26-11-2010 द्वारा लेप्स घोषित.
4.	श्री रामचन्द्र शर्मा आ. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा निवासी दानीपारा रायगढ़.	पत्थर	कांदागढ़	203/1 क	2.750	22-02-2002 से 21-02-2012.	अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन के फलस्वरूप दिनांक 26-11-2010 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया.

परिशिष्ट “सात”

[तारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 151) के भाग (क) की जानकारी]

रायपुर एवं जांजगीर-चांपा जिले में वर्ष 2009-10 में वितरण हेतु लंबित छात्रवृत्ति का विवरण

छात्रवृत्ति भुगतान हेतु लंबित विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2009-2010									
जिला	विकासखंड	माध्यमिक कक्षा				उच्च माध्यमिक कक्षा			
		अनु. जनजाति	अनु. जाति	पिछड़ा वर्ग	योग	अनु. जनजाति	अनु. जाति	पिछड़ा वर्ग	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
रायपुर	तिल्दा	07	-	2638	2645	75	38	272	385
	धरसीवा	25	-	5209	5234	180	163	231	574
	भाटापारा	419	39	-	458	53	68	102	223
	बिलाईगढ़	-	83	-	83	90	237	200	527
	आरंग	-	41	-	41	55	281	308	644
	सिमगा	-	48	1147	1195	-	159	242	401
	कसडोल	-	-	5814	5814	40	44	70	154
	फिंगेश्वर	-	-	5033	5033	-	-	148	148
	अभनपुर	-	-	6832	6832	27	121	326	474
	पलारी	-	-	2476	2476	88	372	170	630
	बलौदाबाजार	-	-	2813	2813	-	1161	80	1241
	मैनपुर	-	-	-	-	56	-	-	56
	गरियाबंद	-	-	-	-	34	-	-	34
	छुरा	-	-	-	-	-	-	66	66
योग		451	211	31962	32624	698	2644	2215	5557
जांजगीर-	पामगढ़	-	-	-	-	-	247	-	247
चांपा	अकलतरा	-	-	-	-	-	16	-	16
	बलौदा	-	-	-	-	-	203	-	203
	बम्हनीडीह	-	-	-	-	-	42	-	42
	जैजैपुर	-	-	-	-	-	04	-	04
	मालखरौदा	-	-	-	-	-	20	-	20
योग		-	-	-	-	-	532	-	532

परिशिष्ट “आठ”

[तारकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 348) की जानकारी]

(राशि रु. लाख में)

स. क्र.	जिले का नाम	वर्ष 2008-09				वर्ष 2009-10				वर्ष 2010-11/15 नवम्बर 2010 तक						
		महानदी परियोजना रायपुर	महानदी गोदावरी कच्छर रायपुर	मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना बिलासपुर	योग	महानदी परियोजना रायपुर	महानदी गोदावरी कच्छर रायपुर	हसदेव कच्छर बिलासपुर	मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना बिलासपुर	योग	महानदी परियोजना रायपुर	महानदी गोदावरी कच्छर बिलासपुर	हसदेव कच्छर बिलासपुर	मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना बिलासपुर	योग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	सरगुजा	-	-	4896.40	-	4896.40	-	-	4429.22	-	4429.22	-	-	5774.61	-	5774.61
2.	कोरिया	-	-	763.64	-	763.64	-	-	692.45	-	692.45	-	-	738.96	-	738.96
3.	जशपुर	-	-	1925.75	-	1925.75	-	-	1292.96	-	1292.96	-	-	1886.60	-	1886.60
4.	कोरबा	-	-	1970.63	2374.05	4344.68	-	-	2134.76	2514.14	4648.90	-	-	5652.15	2156.97	7809.12
5.	रायगढ़	-	-	2452.00	7780.64	10232.64	-	-	2371.87	7784.68	10156.55	-	-	13929.33	8810.20	22739.53
6.	जांजीर-चांपा	-	-	390.57	7756.18	8146.75	-	-	414.58	6409.54	6824.12	-	-	24351.80	8685.16	33036.96
7.	बिलासपुर	523.00	118.56	14665.02	385.84	15692.42	755.40	202.06	21644.68	406.45	23008.59	703.00	240.00	21419.14	526.17	22888.31
8.	राजनांदगांव	-	7912.18	-	-	7912.18	-	5824.29	-	-	5824.29	-	6693.87	-	-	6693.87
9.	दुर्ग	-	12581.10	-	-	12581.10	-	12322.62	-	-	12322.62	-	13004.74	-	-	13004.74
10.	रायपुर	8712.49	5310.33	-	-	14022.82	17728.05	7368.32	-	-	25096.37	18132.00	10493.96	-	-	28625.96
11.	कवीरधाम	-	4435.15	831.61	-	5266.76	-	3308.15	224.86	-	3533.01	-	5384.18	-	-	5384.18
12.	महासमुंद	-	2030.95	-	-	2030.95	-	2341.23	-	-	2341.23	-	1568.31	-	-	1568.31
13.	धमतरी	4936.32	1960.12	-	-	6896.44	5906.26	2434.93	-	-	8341.19	4613.17	2957.50	-	-	7570.67
14.	उत्तर बस्तर (कोकर)	1343.12	-	-	-	1343.12	2729.50	-	-	-	2729.50	3584.67	-	-	-	3584.67
15.	बस्तर	3876.91	-	-	-	3876.91	4410.31	-	-	-	4410.31	4888.26	-	-	-	4888.26
16.	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)	794.52	-	-	-	794.52	685.36	-	-	-	685.36	1133.43	-	-	-	1133.43
17.	नारायणपुर	124.76	-	-	-	124.76	109.30	-	-	-	109.30	136.08	-	-	-	136.08
18.	बीजापुर	213.30	-	-	-	213.30	124.60	-	-	-	124.60	258.00	-	-	-	258.00
योग :-		20524.42	34348.39	27895.62	18296.71	101065.14	32448.78	33801.60	33205.38	17114.81	116570.57	33448.61	40342.56	73752.59	20178.50	167722.26

परिशिष्ट “नौ”

[तारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 159) के भाग (क) की जानकारी]

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत कसडोल विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में शौचालय निर्माण हेतु विभाग द्वारा आवंटित राशि व आहरित राशि की जानकारी

क्र.	क्षेत्र का नाम	वर्ष 2008-09		वर्ष 2009-10		टीप
		आवंटित राशि (रु. लाख में)	आहरित राशि (रु. लाख में)	आवंटित राशि (रु. लाख में)	आहरित राशि (रु. लाख में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	विकासखण्ड कसडोल	24.05	12.74	72.16	43.82	-
2.	विकासखण्ड बलौदाबाजार के लवन आर. आई. सर्किल.	21.54	21.54	88.84	65.87	-
3.	विकासखण्ड पलारी	43.39	39.48	142.24	57.76	-
योग		88.98	73.76	303.24	167.45	-

परिशिष्ट “दस”

[तारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 62) के भाग (ख) की जानकारी]

भाटापारा विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2008-09 से दिनांक 15-11-2010 तक सिंचाई पंप कनेक्शन हेतु किसानों के आवेदन लंबित होने की अवधिवार संख्या

क्रमांक (1)	समयावधि (2)	विस्तार हेतु लंबित (3)	स्वीकृति हेतु लंबित (4)
1.	3 माह से कम	35	71
2.	3 माह से 6 माह तक	18	66
3.	6 माह से 1 वर्ष तक	265	51
4.	1 वर्ष से 2 वर्ष तक	01	0
कुल :-		319	188

परिशिष्ट "ग्यारह"

[तारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 165) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

विधान सभा क्षेत्र खुज्जी के अंतर्गत विकासखण्ड छुरिया एवं चौकी में निर्माणाधीन छात्रावास/आश्रम भवनों की जानकारी

क्र. (1)	निर्माणाधीन छात्रावास/आश्रम का नाम (2)	स्थान (3)	विकासखंड (4)	वर्ग (5)
छात्रावास				
1.	प्री. मैट्रिक अनु. जाति कन्या छात्रावास भवन निर्माण	छुरिया	छुरिया	अनु. जाति
2.	प्री. मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास भवन निर्माण	उमरवाही	छुरिया	अनु. जनजाति
3.	प्री. मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास भवन निर्माण	छुरिया	छुरिया	अनु. जनजाति
4.	पोष्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास भवन निर्माण	जादूटोला	चौकी	अनु. जनजाति
5.	प्री. मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास भवन निर्माण	छछानपहरी	चौकी	अनु. जनजाति
6.	पोष्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास भवन निर्माण	चौकी	चौकी	अनु. जनजाति
7.	प्री. मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास भवन निर्माण	चौकी	चौकी	अनु. जनजाति
8.	पोष्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास भवन निर्माण	जादूटोला	चौकी	अनु. जनजाति
आश्रम				
9.	अनुसूचित जाति बालक आश्रम भवन निर्माण	हज्जूटोला	चौकी	अनु. जाति
10.	अनुसूचित जाति कन्या आश्रम भवन निर्माण	चिल्हाटी	चौकी	अनु. जाति
11.	आदिवासी कन्या आश्रम भवन निर्माण	कुहीकला	छुरिया	अनु. जनजाति

प्रपत्र "ब"

क्र.	निर्माणाधीन छात्रवास/ आश्रम का नाम	विकासखंड	कार्य प्रारंभ होने की तिथि	स्वीकृत राशि	निर्माण हेतु अधिकृत व्यक्ति/फर्म/ ठेकेदार का नाम एवं पता	एजेंसी का नाम एवं पता	कार्य पूर्ण होने की अनुमानित तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

छात्रावास

1.	प्री. मैट्रिक अनु. जाति कन्या छात्रावास भवन निर्माण छुरिया.	छुरिया	25-05-09	48.82	मे. महक इंटरप्राईसेस, अ-2 वर्ग ठेकेदार, न्यू आदर्श नगर दुर्ग.	कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, राजनांदगांव.	लगभग दो माह.
2.	प्री. मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास भवन निर्माण उमरवाही	छुरिया	अप्रारंभ	46.68	श्री रामकुमार गुप्ता, अ-2 वर्ग ठेकेदार, मटिया रोड़ वार्ड नं. - 13 डोंगरगांव जिला- राजनांदगांव.	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, राजनांदगांव.	लगभग एक वर्ष छः माह.
3.	प्री. मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास भवन निर्माण छुरिया.	छुरिया	अप्रारंभ	46.68	श्री रामकुमार गुप्ता, अ-2 वर्ग ठेकेदार, मटिया रोड़ वार्ड नं. - 13 डोंगरगांव जिला- राजनांदगांव.	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, राजनांदगांव.	लगभग एक वर्ष छः माह.
4.	पोष्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास भवन निर्माण जादूटोला.	चौकी	17-11-2010	69.30	मो. शाहिद कुरैशी, अ-3 वर्ग ठेकेदार, महाराजा चौक, बोरसी, विद्युत नगर, दुर्ग.	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, राजनांदगांव.	लगभग एक वर्ष.
5.	प्री. मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास भवन निर्माण छछानपहरी.	चौकी	21-11-2010	46.68	श्री शैलेन्द्र कुमार मिश्रा, अ-2 वर्ग ठेकेदार, अं. चौकी, जिला- राजनांदगांव.	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, राजनांदगांव.	लगभग एक वर्ष.
6.	पोष्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास भवन निर्माण चौकी.	चौकी	24-11-2010	69.30	मो. शाहिद कुरैशी, अ-3 वर्ग ठेकेदार, महाराजा चौक, बोरसी, विद्युत नगर, दुर्ग.	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, राजनांदगांव.	लगभग एक वर्ष.
7.	प्री. मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास भवन निर्माण चौकी.	चौकी	अप्रारंभ	46.68	-	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, राजनांदगांव.	लगभग एक वर्ष छः माह.
8.	पोष्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास भवन निर्माण जादूटोला.	चौकी	अप्रारंभ	69.30	मो. शाहिद कुरैशी, अ-3 वर्ग ठेकेदार, महाराजा चौक, बोरसी, विद्युत नगर, दुर्ग.	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, राजनांदगांव.	लगभग एक वर्ष छः माह.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
आश्रम							
9.	आदिवासी कन्या आश्रम भवन निर्माण कुहीकला.	छुरिया	20-12-07	46.76	श्री खिलावन साहू, अ-3 वर्ग ठेकेदार, ग्राम सिंगारपुर पो.- अर्जुनी, जिला- राजनांदगांव.	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राजनांदगांव.	लगभग 5 माह.
10.	अनुसूचित जाति बालक आश्रम भवन निर्माण हज्जूटोला.	चौकी	06-02-09	33.71	श्री ओमप्रकाश शर्मा, अ-4 वर्ग ठेकेदार, बंधुनगर, मानकापुर, नागपुर.	कार्यपालन अभियंता, गृह निर्माण मंडल, राजनांदगांव.	लगभग 3 माह.
11.	अनुसूचित जाति कन्या आश्रम भवन निर्माण चिल्हाटी.	चौकी	23-01-09	33.71	श्री ओमप्रकाश शर्मा, अ-4 वर्ग ठेकेदार, बंधुनगर, मानकापुर, नागपुर.	कार्यपालन अभियंता, गृह निर्माण मंडल, राजनांदगांव.	लगभग 4 माह.

परिशिष्ट “बारह”

[तारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 74) के भाग (ख) की जानकारी]

क्र.	प्रकरण दर्ज दिनांक	अवैध उत्खननकर्ता के नाम व पता	कोयला जप्ती का स्थल	कोयला जप्त करने वाले अधिकारी का नाम	जप्तशुदा कोयला की मात्रा	की जा रही कार्यवाही का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	23-01-2010	लावारिस	डोंगामौहा	सहायक खनि अधिकारी रायगढ़.	19.770 मै. टन (13.180 घ. मी.) लगभग.	नीलामी की कार्यवाही प्रचलित है.
2.	23-01-2010	लावारिस	छाल	सहायक खनि अधिकारी रायगढ़.	50.00 मै. टन (33.333 घ. मी.) लगभग.	नीलामी की कार्यवाही प्रचलित है.
3.	3998/15 11-03-2010	लावारिस	कक्ष क्रमांक 116 आर. आफ.	वनमण्डलाधिकारी धरमजयगढ़.	2.000 घ. मी.	वन अधिनियम के तहत जांच कार्यवाही प्रचलित.
4.	3812/19 29-03-2010	लावारिस	नककालों उदउदा मार्ग पर कक्ष क्रमांक 466 पी.	वनमण्डलाधिकारी धरमजयगढ़.	2.000 घ. मी.	वन अधिनियम के तहत जांच कार्यवाही प्रचलित.
5.	6620/01 11-05-2010	लावारिस	कक्ष क्रमांक 173	वनमण्डलाधिकारी धरमजयगढ़.	2.000 घ. मी.	वन अधिनियम के तहत जांच कार्यवाही प्रचलित.
6.	3966/25 25-09-2010	लावारिस	कटाईपाली कक्ष क्र. 388 (पुराना) आर. आफ.	वनमण्डलाधिकारी धरमजयगढ़.	1.000 घ. मी.	वन अधिनियम के तहत जांच कार्यवाही प्रचलित.

परिशिष्ट “तेरह”

[तारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 118) के भाग (ख) की जानकारी]

लो व्होल्टेज समस्या के निराकरण हेतु विद्युत कम्पनी द्वारा की जा रही कार्यवाही की जानकारी

क्रमांक	लो व्होल्टेज समस्या के निराकरण हेतु प्रस्तावित कार्य
1.	लो व्होल्टेज की समस्या परिलक्षित होने पर क्षेत्र विशेष में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की स्थापना.
2.	11 केव्ही फीडर के अतिभारित होने व क्षेत्र विशेष में अनुमानित भार वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए 33/11 केव्ही उपकेन्द्र की स्थापना एवं विद्यमान फीडर का विभाजन. इसी प्रकार निम्नदाब सेक्शन का विभाजन.
3.	33 केव्ही फीडर के अतिभारित होने एवं क्षेत्र विशेष में अनुमानित भार वृद्धि के मद्देनजर 132/33 केव्ही का निर्माण एवं विद्यमान फीडर का विभाजन.
4.	ट्रांसफार्मरों को भार केन्द्र में स्थापित करने का कार्य.
5.	निम्नदाब लाईनों में भार वितरण एवं लाईनों के तार की क्षमता वृद्धि का कार्य.
6.	सघन पंप कनेक्शनों वाले क्षेत्रों में स्थित उपकेन्द्र में उचित क्षमता के कैपेसिटर बैंक की स्थापना.
7.	विद्युत चोरी की अधिकता वाले क्षेत्रों में सतर्कता टीम द्वारा औचक निरीक्षण की कार्यवाही.
8.	निम्नदाब लाईनों की लम्बाई न्यून करने की अवधारणा पर कार्यवाही कर उचित क्षमता के कम धारिता वाले ट्रांसफार्मर स्थापना का कार्य.

नियम 46 (2) के अन्तर्गत परिवर्तित अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट “चौदह”

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 04 (क्र. 152) के भाग (क) की जानकारी]

जिला रायपुर विकासखण्ड तिल्दा में संचालित नलजल जलप्रदाय योजनाओं की जानकारी

क्रमांक (1)	योजना का नाम (2)	योजना कब से संचालित है (3)	टीप (4)
1.	मोहदा नलजल योजना	दिनांक 24-04-2009	-
2.	तरपोंगी नलजल योजना	दिनांक 05-07-2009	-
3.	बिलाड़ी नलजल योजना	दिनांक 27-04-2009	-
4.	सिनोधा नलजल योजना	दिनांक 02-08-2007	-
5.	तुलसी नलजल योजना	लगभग वर्ष 84-85	नवीन आवर्धन जल प्रदाय योजना दिनांक 11-08-2010 से संचालित है.
6.	टंडवा नलजल योजना	दिनांक 06-01-2010	-
7.	किरना नलजल योजना	दिनांक 04-04-2008	-
8.	कुंदरू नलजल योजना	दिनांक 29-04-2009	-
9.	सिरवे नलजल योजना	दिनांक 02-08-2007	-
10.	कोहका नलजल योजना	दिनांक 02-08-2007	-
11.	नहरडीह/छड़िया नलजल योजना.	दिनांक 15-07-2008	-
12.	केसला नलजल योजना	लगभग वर्ष 84-85	नवीन आवर्धन जल प्रदाय योजना दिनांक 15-07-2008 से संचालित है.
13.	मांठ नलजल योजना	दिनांक 13-02-2006	-
14.	मंढी नलजल योजना	दिनांक 02-08-2007	-
15.	रायखेड़ा नलजल योजना	लगभग वर्ष 84-85	नवीन आवर्धन जल प्रदाय योजना दिनांक 30-04-2009 से संचालित है.
16.	खौना नलजल योजना	दिनांक 04-04-2008	स्त्रोत के अभाव में योजना बंद.
17.	मुरा नलजल योजना	दिनांक 03-08-2007	-

(1)	(2)	(3)	(4)
18.	बरोँडा नलजल योजना	लगभग वर्ष 84-85	-
19.	फरहदा नलजल योजना	दिनांक 13-08-2007	-
20.	बेल्दार सिवनी नलजल योजना	दिनांक 28-06-2007	पाईप लाईन खराब होने के कारण जल प्रदाय नहीं है. बदलीकरण कार्य रु. 9.81 लाख स्वीकृत है. कार्य आदेश जारी किया गया है.
21.	कनकी नलजल योजना	लगभग वर्ष 84-85	नवीन आवर्धन जल प्रदाय योजना दिनांक 15-07-2009 से संचालित है.

परिशिष्ट “पन्द्रह”

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 05 (क्र. 160) के भाग (क) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अंतर्गत विधान सभा कसडोल के विकासखण्ड कसडोल, पलारी एवं बलौदाबाजार के आर. आई. सर्किल लवन में सघन विद्युतीकरण पूर्ण किये गये ग्रामों की सूची

क्रमांक (1)	विकासखंड (2)	ग्राम का नाम (3)
1.	कसडोल	1. भरका 2. कुकरीकोना 3. उपरानी 4. पचपेड़ी 5. चंडीडीह 6. देवरीखूर्द 7. थारहीडीह 8. गोरधा 9. बैजनाथ 10. मालीडीह 11. मल्दी 12. सेमरिया 13. मल्दा 14. टेमरी 15. नवापारा 16. सरवानी
2.	पलारी	1. गिरा 2. अमलीडीह 3. बांसबिनौरी 4. मोहतरा 5. पठारीडीह 6. छेरकापुर 7. गातापार 8. बिनौरी 9. मल्लीन 10. सिंघोरा 11. गितकेरा 12. बोड़तरा 13. घिरघोल 14. छड़िया 15. लच्छनपुर 16. कोनारी 17. ठेलकी 18. गोड़ा 19. गुमा 20. सकरी

(1)	(2)	(3)
		21. वटगन
		22. औरासी
		23. दतरेंगी
		24. कुसमी
		25. गाड़ाभाठा
		26. भवानीपुर
		27. साराडीह
		28. जारा
		29. अहमदपुर
		30. कानाकोट
		31. कौड़िया
3.	बलौदाबाजार के आर. आई. सर्किल लवन.	1. कैलाशगढ़
		2. धनगांव
		3. डमरू
		4. चंगोरी
		5. गिंदोला
		6. धौराभाठा
		7. तिल्दा
		8. बोईरडीह
		9. परसाडीह
		10. खटियापाटी
		11. खर्चा
		12. कसियारा
		13. बिटकुली
		14. घुलघुल
		15. भरसेला
		16. लवनबंद
		17. मरदा
		18. परसापाली
		19. सिंघारी
		20. डोंगरा
		21. हरदी
		22. डोंगरीडीह
		23. जुड़ा
		24. पनगांव
		25. खैंदा
		26. मिश्राईनडीह
		27. तिल्दा
		28. जामडीह
		29. बगबुड़ा

प्रपत्र “ब”

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अंतर्गत विधान सभा कसडोल के विकासखण्ड कसडोल, पलारी एवं बलौदाबाजार के आर. आई. सर्किल लवन में सघन विद्युतीकरण कार्य नहीं किये गये ग्रामों की सूची

क्रमांक (1)	विकासखंड (2)	ग्राम का नाम (3)
1.	कसडोल	1. रीवासरार 2. अर्जूनी 3. बल्दाकछार 4. खैरा 5. औराई 6. पिपरछेड़ी 7. सुकदा 8. दौनाझर 9. पुटपुरा 10. पैरागुड़ा 11. ठाकुरदिया 12. परसदा 13. नंदनिया 14. बोरसी 15. बकला 16. बगार 17. नारायणपुर 18. कोसमसरा 19. हटौद 20. असनीद 21. खरी 22. बिलारी 23. बैंगनडवरी 24. कसडोल 25. चकरवाय 26. दर्रा 27. चांटीपाली 28. मोहतरा 29. रानीमोहतरा 30. चिरपोल 31. चरौदा 32. कोट स 33. छरछेद 34. छांछी 35. देवरीकला 36. सोनईडीह 37. मुड़ियाडीह 38. साबर 39. सर्वा 40. सिनोधा 41. भदरा

(1)	(2)	(3)
		42. छेछर
		43. मुढीपार
		44. पिकरी
		45. मड़कड़ा
		46. झबड़ी
		47. खैरा
		48. कटगी
		49. सेल
		50. मोतीपुर
		51. पिसीद
		52. आमाकोहा
		53. भवरीद
		54. झालपानी
		55. घिरघोल
		56. कोठारी
		57. तालदादर
		58. नवागांव
		59. पोंडी
2.	पलारी	1. बेलहा
		2. सरसेनी
		3. सैहा
		4. छिराही
		5. टीला
		6. देवसुंद्रा
		7. खपरी क
		8. परसवानी
		9. बोईरडीह
		10. फुंडरडीह
		11. सेमराडीह
		12. रेगाडीह
		13. मुसवाडीह
		14. छेरकाडीह
		15. सकरी (स)
		16. जर्वे
		17. कोदवा
		18. ससहा
		19. गबौद (क)
		20. सुंद्रावन
		21. सुंदरी
		22. सिसदेवरी
		23. कौआडीह
		24. साहड़ा
		25. लटेरा
		26. कुची
		27. बोहारडीह
		28. गैतरा

(1)	(2)	(3)
		29. हरिनभट्टा
		30. तेलासी
		31. मोहागांव
		32. गिधपुरी
		33. मलपूरी
		34. बिजराडीह
		35. मोहनी
		36. रिवाडीह
		37. खपरी (व)
		38. जंगलोर
		39. घोटिया
		40. कुकदा
		41. दतान (प)
		42. अछोली
		43. कोसमंदी
		44. केशला
		45. अमेरा
		46. कौआडीह
		47. रसौटा
		48. छेरकाडीह
		49. कोसमंदा
		50. रामपुर
		51. गबौद (र)
		52. गदहीडीह
		53. धौराभाटा
		54. दतान
		55. मुड़ियाडीह
		56. धमनी
		57. सलौनी
		58. सोनारदेवरी
		59. सीतापार
		60. लरिया
		61. खैरा
		62. अमेठी
		63. खेलवारडीह
		64. टेमरी
		65. रोहांसी
		66. बलौदी
		67. चोरहाडीह
		68. टिपावन
		69. नवागांव
		70. पलारी
		71. पहंदा
		72. लकड़िया
		73. ओड़ान
		74. सेमरिया
		75. धौराभाटा

(1)	(2)	(3)
		76. चरौदा
		77. जोराडबरी
		78. खैरा
		79. जुनवानी
		80. जुनवानी
		81. खोयरी
3.	बलौदाबाजार के आर. आई. सर्किल लवन.	1. लाहोद
		2. कारी
		3. डोटोपार
		4. भदरा
		5. सूढ़ेली
		6. खैंदा
		7. नवापारा
		8. मुसवाठोढ़ी
		9. ताराशिव
		10. अमलकुंडा
		11. सूढ़ेला
		12. चिचिरदा
		13. पैंजनी
		14. बरदा
		15. ढनढनी
		16. मुंडा
		17. चिरपोटा
		18. खम्हारडीह
		19. अहिल्दा
		20. कोरदा
		21. पंडरिया
		22. बाजारभाटा
		23. सरखोर
		24. गंगई
		25. अमलीडीह
		26. कोयदा
		27. पैसर
		28. सेमरिया
		29. खम्हरिया
		30. सूनसूनिया
		31. लाटा
		32. सिरियाडीह
		33. करदा
		34. भालूकोना
		35. अमलडीहा
		36. लवन
		37. चितावर
		38. कोलिहा
		39. सर्वाडीह
		40. बम्हनपुरी

(1)	(2)	(3)
		41. कोहरौद
		42. धाराशिव
		43. कुम्हारी
		44. ढाबाडीह
		45. खैंदा
		46. तुरमा
		47. खैरा
		48. पहंदा

परिशिष्ट “सोलह”

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 377) के भाग (क) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

क्र.	पावर प्लांट का नाम	क्षमता मेगावाट	उत्पादन प्रारंभ की तिथि	प्रतिमाह औसत उत्पादन मि. यू. (5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
कोयला/वेस्ट हिट रिकवरी आधारित पावर प्लांट				
1.	मेसर्स शारडा इनर्जी एण्ड मिनिरल्स, सिलतरा, रायपुर	94.81	01-11-2001	34.964
2.	मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड पावर लिमिटेड, मंदिर हसौद, रायपुर	62.50	20-12-2000	33.074
3.	मेसर्स सेन्चुरी सीमेंट बैकुंठ, रायपुर	37.00	26-05-1997	15.028
4.	मेसर्स अम्बूजा सीमेंट, रवाना, बलौदाबाजार, रायपुर	80.42	28-02-2009	24.173
5.	मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट, हिरमी, रायपुर	80.00	8-12-2008	25.272
6.	मेसर्स इंडसिल इनर्जी एण्ड इलेक्ट्रो केमिकल्स, उरला, रायपुर	12.00	21-03-2005	5.221
7.	मेसर्स बजरंग पावर एण्ड स्टील, बोरझरा, रायपुर	21.20	12-07-2005	9.184
8.	मेसर्स इस्पात गोदावरी प्रा. लि., सिलतरा, रायपुर	86.00	1-09-2002	23.090
9.	मेसर्स ग्रासिम सीमेंट, रवाना, ग्रासिम विहार, रायपुर	43.00	1-09-2008	8.720
10.	मेसर्स जायसवाल निको लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर	17.00	02-08-1997	9.122
11.	मेसर्स वंदना ग्लोबल, सिलतरा, रायपुर	42.00	03-03-2005	26.194
12.	मेसर्स नाकोड़ा इस्पात लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर	6.80	31-12-2005	3.388
13.	मेसर्स हीरा पावर एण्ड स्टील लिमिटेड, उरला, रायपुर	20.00	25-03-2006	11.683
14.	मेसर्स रियल इस्पात प्रा. लि. बोरझरा, रायपुर	12.80	09-04-2006	8.673
15.	मेसर्स आलोक फेरो एलायस बेन्द्री रोड, उरला, रायपुर	8.00	01-02-2006	3.884
16.	मेसर्स एस. के. एस. इस्पात, सिलतरा, रायपुर	86.48	02-07-2007	24.513
17.	मेसर्स महेन्द्रा स्पंज एण्ड पावर टेक प्रायवेट लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर.	8.40	28-03-2007	5.056
18.	मेसर्स जी. आर. स्पंज एण्ड पावर प्रा. लि., सिलतरा, रायपुर	8.40	11-04-2007	4.853
19.	मेसर्स ए. पी. आई. पावर टेक प्रा. लि., सिलतरा, रायपुर	16.40	02-06-2007	6.446

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20.	मेसर्स वासवानी इंडस्ट्रीज सोण्ड्रा, रायपुर	12.00	10-08-2008	4.451
21.	मेसर्स रश्मि स्पंज एण्ड आयरन प्रा. लि., सिलतरा, रायपुर	8.00	24-03-2007	4.492
22.	मेसर्स बजरंग मेटालिक्स एण्ड पावर लिमिटेड, गोंदवारा, रायपुर	16.00	27-10-2008	8.472
23.	मेसर्स गोपाल स्पंज एण्ड पावर प्रा. लि., सिलतरा, रायपुर	5.00	अप्रैल 2010	1.230
24.	मेसर्स जगदम्बा पावर एंड एलायर, सिलतरा, रायपुर	25.00	15-03-2007	14.804
25.	मेसर्स कार्पोरेट इस्पात एण्ड एलायस लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर	15.00	16-07-2007	6.739
26.	मेसर्स अभिजीत इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर	15.00	30-03-2007	7.621
27.	मेसर्स हीरा कैरो एलायस लिमिटेड, उरला, रायपुर	20.00	1-08-2006	13.132
बायोमास आधारित पावर प्लांट का विवरण				
28.	मेसर्स इंडोलहरी बायो पावर, जरौदा, रायपुर	6.00	11-08-1998	जून 07 से उत्पादन बंद.
29.	मेसर्स अग्रवाल विद्युत लिमिटेड, रायपुर	8.50	जुलाई 2006	5.404
30.	मेसर्स नीरज पवार प्रा. लि., सिमगा, रायपुर	8.00	24-10-2006	4.888
31.	मेसर्स हनुमान एग्रो इण्डस्ट्रीज लि., राजिम, रायपुर	2.50	अगस्त 2006	1.237
32.	मेसर्स मॉ ऊषा ऊर्जा लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर	7.50	10-03-2007	4.588
33.	मेसर्स बजरंग पावर एण्ड इस्पात लि., बोरझरा, रायपुर	8.00	09-08-2008	4.986
34.	मेसर्स साउथ एशियन एग्रो इंडस्ट्रीज खजूरी, बलौदाबाजार, रायपुर.	9.00	31-12-2008	5.053
35.	मेसर्स नाकोडा इस्पात लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर	12.00	अप्रैल 2009	5.620

प्रपत्र “ब”

प्रतिमाह उत्पादन में लगने वाले भूसे/कोयले की मात्रा

क्र. (1)	पावर प्लांट का नाम (2)	उत्पादन में लगने वाले भूसे की मात्रा मि. टन में (3)	उत्पादन में लगने वाले कोयले की मात्रा मि. टन में (4)
1.	मेसर्स इंडोलहरी बायो पावर, जरौदा, रायपुर	जून 07 से उत्पादन बंद	जून 07 से उत्पादन बंद
2.	मेसर्स अग्रवाल विद्युत लिमिटेड, रायपुर	4993.20	804.56
3.	मेसर्स नीरज पावर प्रा. लि., सिमगा, रायपुर	5366.52	605.72
4.	मेसर्स हनुमान एगो इण्डस्ट्रीज लि., राजिम, रायपुर	2697.25	574.58
5.	मेसर्स माँ ऊषा ऊर्जा लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर	4071.25	1517.16
6.	मेसर्स बजरंग पावर एण्ड इस्पात लि., बोरझरा, रायपुर	9062.19	682.54
7.	मेसर्स साउथ एशियन एगो इंडस्ट्रीज खजूरी, बलौदाबाजार, रायपुर.	5463.33	670.08
8.	मेसर्स नाकोड़ा इस्पात लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर	5377.22	206.38

अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट “सत्रह”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 02 (क्र. 27) के भाग (क) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

वर्ष	गतिविधियां	प्रदत्त राशि (रु. लाख में)
(1)	(2)	(3)
2007-08	12 उप स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण हेतु एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण हेतु जिला स्वास्थ्य कार्ययोजना निर्माण हेतु जिला सलाहकार समिति योजना निर्माण बैठक हेतु महिलाओं के शिकायतों के निराकरण हेतु जिला स्तर पर सामाजिक सहायता कक्ष.	72.00 25.00 1.00 0.50 1.00
कुल प्रदत्त राशि		99.50
2008-09	जिला चिकित्सालय में फिजियोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, शारीरिक अभ्यास एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना हेतु. जिला स्वास्थ्य समिति/डी. पी. एम. यू./सी. एम. एच. ओ. कार्यालय भवन के निर्माण हेतु. जिला चिकित्सालय में औषधि भंडार कक्षों के निर्माण हेतु 20 उप स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु प्रति उप स्वास्थ्य केन्द्र रु. 22.8 लाख. 2 एफ. आर. यू. विकासखण्ड में औषधि भंडार कक्षों के निर्माण हेतु	2.40 90.00 10.00 456.00 14.00
कुल प्रदत्त राशि		572.40
2009-10	निरंक	निरंक
2010-11 (30-10-2010 तक की स्थिति में)	निरंक	निरंक
योग		671.90

प्रपत्र "ब"

स्कूल शिक्षा विभाग

वर्ष (1)	गतिविधियां (2)	प्रदत्त राशि (रु. लाख में) (3)
2007-08	प्रशिक्षण कार्यक्रम	8.87
2008-09	प्रशिक्षण कार्यक्रम	15.21
2009-10	प्रशिक्षण कार्यक्रम	22.13
2010-11 (30-10-2010 तक की स्थिति में).	प्रशिक्षण कार्यक्रम	3.51
योग		49.72

प्रपत्र "स"

वन विभाग

वर्ष (1)	गतिविधियां (2)	प्रदत्त राशि (रु. लाख में) (3)
2007-08	संसाधन सर्वेक्षण (सम्पूर्ण वन क्षेत्र)	0.06
2008-09	संसाधन सर्वेक्षण (सम्पूर्ण वन क्षेत्र)	0.10
	संजीवनी भवन का निर्माण	3.50
2009-10	निरंक	निरंक
2010-11 (30-10-2010 तक की स्थिति में).	निरंक	निरंक
योग		3.66

प्रपत्र "द"

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

वर्ष (1)	गतिविधियां (2)	प्रदत्त राशि (रु. लाख में) (3)
2007-08	कम्प्यूटर प्रशिक्षण	0.18
2008-09	निरंक	निरंक
2009-10	कम्प्यूटर प्रशिक्षण	2.45
2010-11 (30-10-2010 तक की स्थिति में).	निरंक	निरंक
		योग 2.63

परिशिष्ट “अट्टारह”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 03 (क्र. 46) की जानकारी]

रायगढ़ जिले रुपये 10 लाख से अधिक के बकायादार उपभोक्ताओं की सूची तथा वसूली हेतु की गयी कार्यवाही की जानकारी

क्र.	उपभोक्ता का नाम	पता	कुल विद्युत बकाया	कनेक्शन विच्छेदन की तिथि	वसूली हेतु की गयी कार्यवाही
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	स्टैंडर्ड क्रोम लिमि., रायगढ़	बरमुड़ा	419021892.00	16-09-2005 स्थायी विच्छेदित.	1. उपभोक्ता से भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत बकाया राशि वसूलने हेतु विभाग के पत्र क्र. 11-30/03/1154 दिनांक 09-07-2009 के द्वारा अधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी आदेश जारी किया गया. 2. भू-राजस्व संहिता के तहत उपभोक्ता को विभाग के पत्र क्र. 11-30/03/एच. टी./2259 दिनांक 29-09-2009 के द्वारा प्रपत्र “ब” जारी किया गया है एवं कलेक्टर, रायगढ़ को विभाग के पत्र क्रमांक-11-30/03/एच. टी./ 3300 दिनांक 29-12-2009 द्वारा प्रपत्र “स” प्रेषित.
2.	गणेश फैरो एलॉय, रायगढ़	जोरापाली	5603632.00	18-09-1998 स्थायी विच्छेदित.	1. उपभोक्ता से भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत बकाया राशि वसूलने हेतु विभाग के पत्र क्र. 11-30/03/1154 दिनांक 09-07-2009 के द्वारा अधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी आदेश जारी किया गया. 2. कलेक्टर, रायगढ़ को भू-राजस्व संहिता के तहत इस कार्यालय के पत्र क्र. SEA/Rev/C form 5704 dt. 19-11-2001 द्वारा प्रपत्र “स” प्रेषित.
3.	मेसर्स पशुपतिनाथ रोलिंग मिल.	दैलारी	1068785.00	27-07-2008 स्थायी विच्छेदित.	भू-राजस्व संहिता के तहत उपभोक्ता को विभाग के पत्र क्र. 11-30/03/एच. टी./ 1901 दिनांक 31-08-2009 के द्वारा प्रपत्र “ब” जारी किया गया एवं कलेक्टर महोदय को विभाग के पत्र क्र. 11-30/03/एच. टी./3026 दिनांक 04-12-2009 द्वारा प्रपत्र “स” प्रेषित.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	राधारानी मिनरल्स	झाराडीह	1633170.00	असंबद्ध	जमा सुरक्षा समायोजित की जा चुकी है एवं अनुबंध अवधि की समाप्ति के पश्चात् बकाया राशि की वसूली हेतु भू-राजस्व संहिता के तहत की जावेगी.
5.	केल्कर प्रोडक्ट प्रा. लि., रायगढ़.	भूपदेवपुर	3043611.00	12-07-1994 स्थायी विच्छेदित.	भू-राजस्व संहिता के तहत उपभोक्ता को विभाग के पत्र क्र. SEA/Rev/B form/944 दिनांक 21-02-1997 के द्वारा प्रपत्र "ब" जारी किया गया एवं कलेक्टर, रायगढ़ को विभाग के पत्र क्र. SEA/Rev/C form/5704 दिनांक 19-11-2001 द्वारा प्रपत्र "स" प्रेषित.
6.	वैष्णव सीमेन्ट प्रा. लि., रायगढ़.	दर्भमुड़ा	1263504.00	22-11-1997 स्थायी विच्छेदित.	कलेक्टर, रायगढ़ को राजस्व वसूली अधिनियम के तहत विभाग के पत्र क्र. SEA/Rev/C form/5704 दिनांक 19-11-2001 के द्वारा प्रपत्र "स" प्रेषित.
7.	रायगढ़ जूट मिल एण्ड टेक्सटाईल मिल रायगढ़.	रायगढ़	10423334.00	19-10-2009 स्थायी विच्छेदित.	उपभोक्ता ने बकाया राशि के संबंध में उच्च न्यायालय में आपत्ति दर्ज की है. उच्च न्यायालय के फैसले के उपरांत उपभोक्ता द्वारा बकाया राशि का भुगतान किया जावेगा.
8.	डी. ई. (टी. आर. डी.) एस. ई. रेल्वे बिलासपुर रायगढ़ एवं खरसिया रेल्वे ट्रेक्सन.	बिलासपुर	240293798.00	-	रेल्वे के अधिकारी एवं कंपनी के अधिकारियों के मध्य बकाया राशि के निराकरण के संबंध में विचार विमर्श जारी है.
कुल			682351726.00		

परिशिष्ट “उन्नीस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 04 (क्र. 47) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

रायगढ़ जिले में “राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना ” के अंतर्गत विकासखंडवार प्रस्तावित कार्यों का विवरण

क्र.	विकासखंड का नाम	11 के. व्ही. लाईन (कि. मी.)	निम्नदाब लाईन (कि. मी.)	वितरण ट्रांसफार्मरों की संख्या	33/11 के. व्ही उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि हेतु स्थापित किये जाने वाले पावर ट्रांसफार्मरों की संख्या	विद्युतीकरण हेतु सम्मिलित अविद्युतीकृत ग्रामों की संख्या	विद्युतीकरण हेतु सम्मिलित डी-इलेक्ट्रीफाईड ग्रामों की संख्या	सघन विद्युतीकरण हेतु सम्मिलित ग्रामों की संख्या	बी. पी. एल. कनेक्शनों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	बरमकेला	56.3	33.00	106	1X1.6 एम. व्ही. ए.	0	0	226	12839
2.	धरमजयगढ़	233.585	202.723	368	1X1.6 एम. व्ही. ए.	11	1	173	18724
3.	घरघोड़ा	40.91	115.205	73	1X1.6 एम. व्ही. ए.	0	0	80	3496
4.	खरसिया	27.5	11.03	35		0	0	136	4888
5.	लैलूंगा	182.68	210.17	268	1X3.15 एम. व्ही. ए.	0	6	116	8648
6.	पुसौर	30.15	7.84	42		0	0	148	6794
7.	रायगढ़	48.6	28.317	85		0	0	142	9271
8.	सारंगढ़	80.065	85.505	167	3X1.6 एम. व्ही. ए.	0	2	268	13892
9.	तमनार	54.210	23.21	85	1X1.6 एम. व्ही. ए.	0	2	114	5450
	कुल	754.00	717.00	1229	08 नग	11	11	1403	84002

प्रपत्र "ब"

रायगढ़ जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत विकासखंडवार पूर्ण किये गये कार्यों की जानकारी

क्र.	विकासखंड का नाम	11 के. व्ही. लाईन (कि. मी.)	निम्नदाब लाईन (कि. मी.)	वितरण ट्रांसफार्मर	अविद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण	विद्युतीकृत ग्रामों का सघन विद्युतीकरण	दिये गये बी. पी. एल. कनेक्शन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	बरमकेला	0.00	0.99	1	0	22	857
2.	धरमजयगढ़	40.58	17.33	18	8	9	431
3.	घरघोड़ा	0.00	2.30	0	0	21	610
4.	खरसिया	0.60	0.10	0	0	8	810
5.	लैलूंगा	1.57	6.49	4	0	8	404
6.	पुसौर	0.00	0.00	0	0	14	594
7.	रायगढ़	0.00	2.59	0	0	14	706
8.	सारंगढ़	0.76	12.34	3	0	65	2225
9.	तमनार	0.00	1.60	0	0	18	1090
कुल		43.51	43.736	26	8	179	7727

परिशिष्ट “बीस”

[अतारंकित प्रश्न संख्या 06 (क्र. 65) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

भाटापारा विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों को शौचालय निर्माण हेतु जारी राशि की जानकारी

क्र.	ग्राम पंचायतों का नाम जिसे शौचालय निर्माण हेतु राशि जारी की गई	वर्ष 2008-09 में शौचालय निर्माण हेतु		वर्ष 2009-10 में शौचालय निर्माण हेतु	
		राशि जारी दिनांक	जारी राशि रु.	राशि जारी दिनांक	जारी राशि रु.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बोरसी (ब)	05-07-2008	129600	28-10-2009	314720
2.	परसवानी क	0	0	28-10-2009	442200
3.	सेमरिया ब	0	0	11-03-2009	198000
4.	दतरेंगी	0	0	11-05-2009	660000
5.	गोगिया	0	0	11-06-2009	275000
6.	कूकदा	28-04-2008	78000	11-09-2009	236500
7.	गोढ़ी (टी)	0	0	11-10-2009	488400
8.	नवागांव	0	0	16-11-2009	99000
9.	बोड़तरा	0	0	19-11-2009	88000
10.	गाड़ाडीह	0	0	19-11-2009	334600
11.	केसला	05-06-2008	37200	19-11-2009	884400
12.	दतरेंगा	28-04-2008	388000	19-11-2009	88000
13.	सिंगारपुर	0	0	17-08-2009	371600
14.	रामपुर	0	0	27-11-2009	436700
15.	धनेली	0	0	12-04-2009	88000
16.	ढाबाडीह	28-04-2008	238800	24-12-2009	220000
17.	गोढ़ी (एस)	21-05-2008	208800	0	0
18.	मिरगी	0	0	16-11-2009	176000
19.	परसवानी अ	30-04-2008	330000	0	0
20.	निपनिया	13-04-2008	50000	0	0
21.	लेवई	0	0	17-08-2009	285000
22.	टिकुलिया	13-04-2008	292800	0	0
23.	देवरी	0	0	17-08-2009	300000
24.	धुराबांधा	13-04-2008	50000	0	0
25.	सुरखी	13-04-2008	50000	0	0
26.	सेमराडीह	13-04-2008	50000	0	0
27.	खोलवा	05-07-2008	355200	0	0
28.	सुरजपुरा	05-07-2008	337200	0	0
29.	टेंहका	05-07-2008	240000	0	0
30.	कडार	05-07-2008	264000	0	0
31.	भोथीडीह	28-04-2008	252000	0	0
32.	कोटमी	05-12-2008	205200	0	0
33.	मोपकी	28-04-2008	122400	0	0
34.	करहीबाजार	13-04-2008	22800	0	0
35.	कोसमंदा	13-04-2008	268000	0	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
36.	विश्रामपुर	06-05-2008	105000	04-07-2009	48700
		29-05-2008	49800	22-08-2009	88000
		0	0	22-09-2009	52000
		0	0	05-10-2009	35000
37.	मनोहरा	29-05-2008	50000	0	0
38.	पौंसरी	0	0	02-06-2009	139300
		0	0	07-07-2009	116250
		0	0	22-09-2009	33000
39.	केसदा	0	0	15-10-2009	330000
		0	0	15-11-2009	100000
कुल योग			4174800		6928370

प्रपत्र “ब”

भाटापारा विधान सभा क्षेत्र में लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति की जानकारी

क्र.	वर्ष 2008-09 का लक्ष्य		लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति		टीप
	कार्य का नाम	संख्या	पूर्ण	शेष प्रगति पर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	स्कूल शौचालय	267	197	70	शेष को आगामी वित्तीय वर्ष के लक्ष्य में सम्मिलित कर पुनः लक्ष्य निर्धारित किया गया.
2.	आंगनवाड़ी शौचालय	153	153	0	
3.	सामुदायिक शौचालय	0	0	0	
4.	निजी शौचालय (बीपीएल)	6500	6290	210	
5.	निजी शौचालय (एपीएल)	1600	1154	446	
कुल योग		8520	7794	726	

प्रपत्र "स"

भाटापारा विधान सभा क्षेत्र में लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति की जानकारी

क्र. (1)	वर्ष 2009-10 का लक्ष्य		लक्ष्य के विरुद्ध		टीप (6)
	कार्य का नाम (2)	संख्या (3)	पूर्ण (4)	शेष प्रगति पर (5)	
1.	स्कूल शौचालय	70	70	0	शेष को आगामी वित्तीय वर्ष के लक्ष्य में सम्मिलित कर पुनः लक्ष्य निर्धारित किया गया.
2.	आंगनवाड़ी शौचालय	0	0	0	
3.	सामुदायिक शौचालय	0	0	0	
4.	निजी शौचालय (बीपीएल)	4500	3783	717	
5.	निजी शौचालय (एपीएल)	6500	2219	4281	
कुल योग		11070	6072	4998	

परिशिष्ट “इक्कीस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 07 (क्र. 79) के भाग (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

लैलूंगा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नल जल योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्य की जानकारी

वर्ष 2009 (1 जनवरी 2009 से 31 दिसम्बर 2009)

स. क्र.	नल जल योजना का नाम	विकासखंड	स्वीकृत कार्य	कार्यों की अद्यतन स्थिति	निर्धारित पूर्णता तिथि	विलम्ब का कारण	विशेष
(1)	(2)	(3)	(4)	पूर्ण अपूर्ण	(7)	(8)	(9)

1. गमेकेला लैलूंगा पाईप लाईन कार्य - प्रगति पर 09-05-2009 ठेकेदार द्वारा कार्य विलंब से प्रारंभ किया गया. जल वितरण पाईप लाईन एवं राईजिंग मेन का कार्य 67 प्रतिशत पूर्ण. योजना में प्रस्तावित अतिरिक्त स्रोत के लिए नलकूप खनन उपरांत शेष राईजिंग मेन का कार्य किया जायेगा. शेष जल वितरण पाईप लाईन का कार्य प्रगति पर है.

2. टटकेला लैलूंगा पाईप लाईन कार्य - अप्रारंभ 09-05-2009 पूर्व में चिन्हित उपलब्ध स्रोत में जल आवक क्षमता कम होने एवं नया खनित नलकूप असफल होने के कारण कार्य शेष है. पुनः नये स्रोत हेतु प्रयास जारी है.

3. रूपडेगा लैलूंगा पाईप लाईन कार्य - अप्रारंभ 09-06-2009 पूर्व में चिन्हित उपलब्ध स्रोत सूख गया है. नया नलकूप खनन किया गया था जो असफल रहा. पुनः स्रोत के लिये प्रयास जारी है, तत्पश्चात् कार्य किया जायेगा.

4. बिरसिंघा लैलूंगा पाईप लाईन कार्य - प्रगति पर 09-06-2009 जल वितरण पाईप लाईन कार्य पूर्ण है. अतिरिक्त स्रोत के लिये शेष राईजिंग मेन का कार्य किया जायेगा.

5. घटगांव लैलूंगा पाईप लाईन कार्य - अप्रारंभ 09-06-2009 पूर्व में चिन्हित उपलब्ध स्रोत सूख गया है. नया नलकूप खनन किया गया था जो असफल रहा. पुनः स्रोत के लिये प्रयास जारी है, तत्पश्चात् कार्य किया जा सकेगा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6.	कटकलिया	लैलूंगा	पाईप लाईन कार्य	-	प्रगति पर	09-06-2009	जल वितरण पाईप लाईन कार्य पूर्ण है. अतिरिक्त स्रोत के लिये शेष राईजिंग मेन का कार्य किया जायेगा.	
7.	कमरागा	लैलूंगा	पाईप लाईन कार्य	-	प्रगति पर	09-06-2009	ठेकेदार द्वारा कार्य विलंब से प्रारंभ किया गया. जल वितरण पाईप लाईन एवं राईजिंग मेन का कार्य 70 प्रतिशत पूर्ण. योजना में प्रस्तावित अतिरिक्त स्रोत के लिए नलकूप खनन उपरांत शेष राईजिंग मेन का कार्य किया जायेगा. शेष जल वितरण पाईप लाईन का कार्य प्रगति पर है.	
8.	गमेकेला	लैलूंगा	उच्चस्तरीय टंकी-60 कि. ली.	-	प्रगति पर	22-02-2010	ठेकेदार द्वारा कार्य विलंब से प्रारंभ किया गया. वर्तमान में 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं शेष कार्य प्रगति पर है.	
9.	वैसकीमूडा	लैलूंगा	उच्चस्तरीय टंकी-85 कि. ली.	-	अप्रारंभ	08-04-2010	पूर्व में चिन्हित उपलब्ध स्रोत में जल आवक क्षमता कम हो गया. नया नलकूप खनन किया जो असफल रहा. वर्तमान में नये स्रोत हेतु पुनः प्रयास किये जा रहे हैं.	
10.	नारायणपुर	लैलूंगा	उच्चस्तरीय टंकी-70 कि. ली.	-	अप्रारंभ	08-04-2010	पूर्व में चिन्हित उपलब्ध स्रोत में जल आवक क्षमता कम हो गया. नया नलकूप खनन किया जो असफल रहा. वर्तमान में नये स्रोत हेतु पुनः प्रयास किये जा रहे हैं.	
11.	टटकेला	लैलूंगा	उच्चस्तरीय टंकी-70 कि. ली.	-	अप्रारंभ	08-04-2010	पूर्व में चिन्हित उपलब्ध स्रोत में जल आवक क्षमता कम हो गया. नया नलकूप खनन किया जो असफल रहा. वर्तमान में नये स्रोत हेतु पुनः प्रयास किये जा रहे हैं.	

प्रपत्र “ब”

लैलुंगा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नल जल योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्य की जानकारी

वर्ष 2010 (1 जनवरी 2010 से 31 अक्टूबर 2010 तक)

स. क्र. (1)	नल जल योजना का नाम (2)	विकासखंड (3)	स्वीकृत कार्य (4)	कार्यों की अद्यतन स्थिति		निर्धारित पूर्णता तिथि (7)	विलम्ब का कारण (8)	विशेष (9)
				पूर्ण (5)	अपूर्ण (6)			
1.	पडीगांव	तमनार	राईजिंग मेन	पूर्ण	-	09-04-2010	-	
2.	सराईपाली	तमनार	राईजिंग मेन	पूर्ण	-	09-04-2010	-	

परिशिष्ट “बाईस”

[अतारंकित प्रश्न संख्या 08 (क्रमांक 80) के भाग (क) की जानकारी]

क्र. (1)	पदनाम (2)	रिक्त (3)	रिक्त का दिनांक (4)
1. शासकीय पालुराम धनानिया महाविद्यालय, रायगढ़			
1.	प्राचार्य	1	30-11-05
2.	प्राध्यापक-समाजशास्त्र	1	19-03-08
3.	प्राध्यापक-वाणिज्य	1	19-03-08
4.	सहायक प्राध्यापक-हिन्दी	2	31-07-07 31-08-09
5.	सहायक प्राध्यापक-अंग्रेजी	1	19-03-08
6.	सहायक प्राध्यापक-राजनीतिशास्त्र	1	24-07-09
7.	सहायक प्राध्यापक-अर्थशास्त्र	1	31-05-09
8.	सहायक प्राध्यापक-वाणिज्य	1	19-03-08
9.	सहायक प्राध्यापक-विधि	3	19-03-08
2. शासकीय किशोरी मोहन त्रिपाठी महिला महाविद्यालय, रायगढ़			
1.	प्राध्यापक-हिन्दी	1	30-11-05
2.	प्राध्यापक-वाणिज्य	1	30-11-05
3.	सहायक प्राध्यापक-अर्थशास्त्र	1	30-11-05
4.	सहायक प्राध्यापक-वाणिज्य	1	30-11-05
5.	सहायक प्राध्यापक-भूगोल	1	10-06-10
6.	सहायक प्राध्यापक-इतिहास	1	10-06-10
3. शासकीय किरोड़ीमल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायगढ़			
1.	प्राचार्य	1	01-12-09
2.	प्राध्यापक-अर्थशास्त्र	1	30-11-05
3.	प्राध्यापक-हिन्दी	1	30-11-05
4.	प्राध्यापक-अंग्रेजी	1	30-11-05
5.	प्राध्यापक-राजनीतिशास्त्र	1	30-11-05
6.	प्राध्यापक-भूगोल	1	30-11-05
7.	प्राध्यापक-इतिहास	1	30-11-05
8.	प्राध्यापक-समाजशास्त्र	1	30-11-05
9.	प्राध्यापक-प्राणीशास्त्र	1	30-11-05
10.	प्राध्यापक-भौतिकशास्त्र	1	30-11-05
11.	प्राध्यापक-रसायन शास्त्र	1	30-11-05
12.	प्राध्यापक गणित	1	30-11-05
13.	प्राध्यापक-वनस्पतिशास्त्र	1	30-11-05
14.	सहायक प्राध्यापक-वनस्पतिशास्त्र	3	30-11-05
15.	सहायक प्राध्यापक -रसायन शास्त्र	3	30-11-05
16.	सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र	1	30-11-05
17.	सहायक प्राध्यापक-अंग्रेजी	1	30-11-05
18.	सहायक प्राध्यापक-हिन्दी	1	27-02-07

(1)	(2)	(3)	(4)
19.	सहायक प्राध्यापक-गणित	2	30-11-05 20-11-09
20.	सहायक प्राध्यापक-भौतिकशास्त्र	2	30-11-05
21.	सहायक प्राध्यापक-प्राणिशास्त्र	2	30-11-05
22.	सहायक प्राध्यापक-समाजशास्त्र	1	7-2007
23.	सहायक प्राध्यापक-संस्कृत	1	30-11-05
24.	सहायक प्राध्यापक-मनोविज्ञान	2	19-03-08
25.	सहायक प्राध्यापक-सेरीकल्चर	1	19-03-08

4. शासकीय महात्मा गांधी कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, खरसिया

1.	प्राध्यापक-हिन्दी	1	30-11-05
2.	प्राध्यापक-राजनीतिशास्त्र	1	30-11-05
3.	प्राध्यापक-समाजशास्त्र	1	30-11-05
4.	प्राध्यापक-इतिहास	1	30-11-05
5.	प्राध्यापक-वाणिज्य	1	30-11-05
6.	सहायक प्राध्यापक-गणित	1	30-11-05
7.	सहायक प्राध्यापक-भौतिकशास्त्र	1	30-11-05
8.	सहायक प्राध्यापक-वनस्पतिशास्त्र	1	30-11-05
9.	सहायक प्राध्यापक-रसायनशास्त्र	2	30-11-05
10.	सहायक प्राध्यापक-हिन्दी	2	30-11-05
11.	सहायक प्राध्यापक-अंग्रेजी	1	30-11-05
12.	सहायक प्राध्यापक-राजनीतिशास्त्र	1	30-11-05
13.	सहायक प्राध्यापक-अर्थशास्त्र	1	30-11-05
14.	सहायक प्राध्यापक-वाणिज्य	1	30-11-05

5. शासकीय लोचन प्रसाद पाण्डेय महाविद्यालय, सारंगढ़

1.	प्राचार्य	1	30-11-05
2.	प्राध्यापक-अर्थशास्त्र	1	30-11-05
3.	प्राध्यापक-समाजशास्त्र	1	30-11-05
4.	सहायक प्राध्यापक-भौतिकशास्त्र	1	30-11-05
5.	सहायक प्राध्यापक-वनस्पतिशास्त्र	1	30-11-05
6.	सहायक प्राध्यापक-प्राणीशास्त्र	1	30-11-05
7.	सहायक प्राध्यापक-गणित	1	09-12-05
8.	सहायक प्राध्यापक-रसायनशास्त्र	1	30-11-05
9.	सहायक प्राध्यापक-अर्थशास्त्र	1	30-11-05
10.	सहायक प्राध्यापक-वाणिज्य	2	30-11-05
11.	सहायक प्राध्यापक-इतिहास	1	30-11-05
12.	सहायक प्राध्यापक-हिन्दी	2	30-11-05
13.	सहायक प्राध्यापक-अंग्रेजी	1	30-11-05
14.	सहायक प्राध्यापक-भूगोल	1	28-07-07
15.	सहायक प्राध्यापक-राजनीतिशास्त्र	1	30-11-05

6. शासकीय संत गहिरा गुरु रामेश्वर महाविद्यालय, लैलूंगा

1.	प्राचार्य	1	17-10-05
2.	सहायक प्राध्यापक-हिन्दी	1	17-10-05
3.	सहायक प्राध्यापक-अंग्रेजी	1	17-10-05
4.	सहायक प्राध्यापक-राजनीतिशास्त्र	1	17-10-05

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	सहायक प्राध्यापक-अर्थशास्त्र	1	17-10-05
6.	सहायक प्राध्यापक-भूगोल	1	17-10-05
7.	सहायक प्राध्यापक-गणित	1	17-10-05
8.	सहायक प्राध्यापक-भौतिकशास्त्र	1	17-10-05
9.	सहायक प्राध्यापक-रसायनशास्त्र	1	17-10-05
10.	सहायक प्राध्यापक-प्राणीशास्त्र	1	17-10-05
11.	सहायक प्राध्यापक-वनस्पतिशास्त्र	1	17-10-05
12.	सहायक प्राध्यापक-वाणिज्य	1	17-10-05
7. शासकीय महाविद्यालय, धर्मजयगढ़			
1.	प्राचार्य	1	03-07-07
2.	सहायक प्राध्यापक-हिन्दी	1	03-07-07
3.	सहायक प्राध्यापक-अंग्रेजी	1	03-07-07
4.	सहायक प्राध्यापक-राजनीतिशास्त्र	1	03-07-07
5.	सहायक प्राध्यापक-अर्थशास्त्र	1	03-07-07
6.	सहायक प्राध्यापक-रसायनशास्त्र	1	03-07-07
7.	सहायक प्राध्यापक-वनस्पतिशास्त्र	1	03-07-07
8.	सहायक प्राध्यापक-प्राणिशास्त्र	1	03-07-07
9.	सहायक प्राध्यापक-वाणिज्य	2	03-07-07
8. शासकीय महाविद्यालय, तमनार			
1.	प्राचार्य	1	11-07-08
2.	सहायक प्राध्यापक-हिन्दी	1	11-07-08
3.	सहायक प्राध्यापक-अंग्रेजी	1	11-07-08
4.	सहायक प्राध्यापक-राजनीतिशास्त्र	1	11-07-08
5.	सहायक प्राध्यापक-समाजशास्त्र	1	11-07-08
6.	सहायक प्राध्यापक-वनस्पतिशास्त्र	1	11-07-08
7.	सहायक प्राध्यापक-भौतिकशास्त्र	1	11-07-08
8.	सहायक प्राध्यापक-गणित	1	11-07-08
9.	सहायक प्राध्यापक-वाणिज्य	1	11-07-08
10.	सहायक प्राध्यापक-रसायनशास्त्र	1	11-07-08
9. शासकीय महाविद्यालय, घरघोड़ा			
1.	प्राचार्य	1	29-08-08
2.	सहायक प्राध्यापक-हिन्दी	1	29-08-08
3.	सहायक प्राध्यापक-अंग्रेजी	1	29-08-08
4.	सहायक प्राध्यापक-भूगोल	1	29-08-08
5.	सहायक प्राध्यापक-अर्थशास्त्र	1	29-08-08
6.	सहायक प्राध्यापक-रसायनशास्त्र	1	29-08-08
7.	सहायक प्राध्यापक-प्राणीशास्त्र	1	29-08-08
8.	सहायक प्राध्यापक-वनस्पतिशास्त्र	1	29-08-08
9.	सहायक प्राध्यापक-गणित	1	29-08-08
10.	सहायक प्राध्यापक-वाणिज्य	1	29-08-08

परिशिष्ट “तेईस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 09 (क्रमांक 91) के भाग (ख) की जानकारी]

दिसंबर 2000 से 15-11-10 तक स्वीकृत कोल ब्लॉक्स एवं लौह अयस्क खदान (खनिपट्टा) की जानकारी

स. क्र. (1)	उद्योग का नाम एवं पता (2)	आवंटन दिनांक (3)	आवंटित क्षेत्र (4)
खनिज कोल			
1.	मेसर्स मोनेट इस्पात एंड इनर्जी लिमिटेड, नूतन कॉलोनी, कोतरा रोड, रायगढ़.	10-05-2002	जिला रायगढ़, तहसील घरघोड़ा, ग्राम लमदरहा, कोडकेल, मिलूपारा एवं बांझीखोल के कोल ब्लॉक गारेपेलमा-IV/5 के 830.00 हेक्टेयर क्षेत्र पर.
2.	मेसर्स जिन्दल पावर लिमिटेड पतरापाली खरसिया रोड, रायगढ़.	12-05-2005	जिला रायगढ़, तहसील घरघोड़ा, ग्राम डोंगामौहा, कोडकेल, कोसमपाली, लिबरा, धौराभांठा, सारसमल, टिहलीराम एवं लमदरहा के कोल ब्लॉक गारेपेलमा- IV/2 एवं IV/3 के 964.65 हेक्टेयर क्षेत्र पर.
3.	मेसर्स सारडा इनर्जी एंड मिनरल्स लि. इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर, सिलतरा, रायपुर (पूर्व नाम रायपुर एलायज एण्ड स्टील लि.)	12-05-2005	जिला रायगढ़, तहसील घरघोड़ा, ग्राम करवाही, सराईटोला, बजरमुडा, ढोलनारा, गारे एवं खम्हरिया के कोल ब्लॉक गारेपेलमा- IV/7 के 335.736 हेक्टेयर क्षेत्र पर.
4.	मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लि. इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर, सिलतरा, रायपुर.	12-05-2005	जिला रायगढ़, तहसील घरघोड़ा, ग्राम डोंगीमौहा, बांजीखोल, बालजोर, कोडकेल/बनखेता के कोल ब्लॉक गारेपेलमा- IV/4 के 884.846 हेक्टेयर क्षेत्र पर.
5.	मेसर्स प्रकाश इण्डस्ट्रीज लि., बिजनेस पार्क-25, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली.	21-04-2006	जिला कोरबा, तहसील कटघोरा, ग्राम चोटिया, बनिया, पोड़ीखुर्द, लालपुर, रोदे एवं सकोदा के कोल ब्लॉक चोटिया- I & II के 1179.826 हेक्टेयर क्षेत्र पर.
खनिज लौह अयस्क			
1.	मेसर्स गोदावारी पावर एंड इस्पात लि., हीरा आर्केड, पंडरी बस स्टैण्ड, रायपुर.	22-09-2008	जिला कांकेर, ग्राम आरीडोंगरी के रकबा 106 हेक्टेयर क्षेत्र पर.
		16-11-2009	जिला राजनांदागांव, मोहला, बोरिया टिब्बू के रकबा 110 हेक्टेयर क्षेत्र पर.
2.	मेसर्स सारडा इनर्जी एंड मिनरल्स लि. इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर, सिलतरा, रायपुर (पूर्व नाम रायपुर एलायज एण्ड स्टील लि.)	23-11-2002	जिला राजनांदागांव, ग्राम डोगरबोड के रकबा 80.71 हेक्टेयर क्षेत्र पर.
3.	मे. जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लि., इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर, सिलतरा, रायपुर.	17-1-2002	जिला कांकेर, ग्राम मेटाबोदली के रकबा 25.00 हेक्टेयर क्षेत्र पर.
		05-05-2005	जिला नारायणपुर, ग्राम छोटेडोंगर के रकबा 192.25 हेक्टेयर क्षेत्र पर.
4.	मे. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई, जिला दुर्ग.	21-10-2009	जिला कांकेर, रावघाट के रकबा 2028.797 हेक्टेयर क्षेत्र पर.

परिशिष्ट “चौबीस”
[अतारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 109) के भाग (क) की जानकारी]

क्र. (1)	जिला (2)	कुल आवेदन पत्र प्राप्त (3)
1.	जशपुर	13319
2.	कवर्धा	8622
3.	महासमुंद	16399
4.	दंतेवाड़ा	22969
5.	धमतरी	11166
6.	कांकेर	27646
7.	बीजापुर	3425
8.	जगदलपुर	108711
9.	राजनांदगांव	17785
10.	जांजगीर-चांपा	2926
11.	दुर्ग	1368
12.	रायपुर	26142
13.	सरगुजा	90915
14.	बिलासपुर	40680
15.	कोरिया	26922
16.	कोरवा	46367
17.	नारायणपुर	2777
18.	रायगढ़	20187
योग		488326

परिशिष्ट “पच्चीस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 127) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

धमतरी जिले के सिहावा विधान सभा क्षेत्र में विभाग द्वारा संचालित भवन विहिन संस्थाओं की विकासखण्डवार जानकारी :-

क्र. (1)	विकासखण्ड (2)	संस्था का नाम (3)
छात्रावास		
1.	नगरी	प्री. मै. आदिवासी बालक छात्रावास, सियारी नाला
2.	नगरी	प्री. मै. आदिवासी कन्या छात्रावास, गट्टासिल्ली
3.	नगरी	प्री. मै. आदिवासी बालक छात्रावास, बेलरबाहरा
4.	नगरी	प्री. मै. आदिवासी बालक छात्रावास, रिसगांव
5.	नगरी	प्री. मै. आदिवासी बालक छात्रावास, घुटकेल
6.	मगरलोड	प्री. मै. अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, सिंगपुर
7.	मगरलोड	प्री. मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, सिंगपुर
8.	मगरलोड	प्री. मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, सिंगपुर
आश्रम		
1.	नगरी	आदिवासी कन्या आश्रम, घोटागांव
2.	नगरी	आदिवासी कन्या आश्रम, गेदरा
3.	नगरी	आदिवासी कन्या आश्रम, सांकरा
4.	नगरी	आदिवासी कन्या आश्रम, भोथापारा
5.	नगरी	संयुक्त आश्रम भवन मेचका (100 सीटर)
6.	नगरी	कन्या आश्रम भवन भैसामुड़ा (50 सीटर)
7.	नगरी	बालक आश्रम भवन करैहा
8.	नगरी	कन्या आश्रम भवन बोरार्ई
हाई स्कूल		
1.	नगरी	हाई स्कूल, घुराबड़
2.	नगरी	कन्या हाई स्कूल, सांकरा
3.	नगरी	हाई स्कूल, सियारीनाला
4.	नगरी	हाई स्कूल, करैहा
5.	नगरी	हाई स्कूल, टांगापानी
6.	नगरी	हाई स्कूल, राजपुर
7.	नगरी	हाई स्कूल, शीतला देवी घठुला
8.	नगरी	हाई स्कूल श्यामलाल उमरगांव

(1)	(2)	(3)
हायर सेकेण्ड्री स्कूल		
1.	नगरी	हायर सेकेण्ड्री स्कूल, गट्टासिल्ली
2.	नगरी	हायर सेकेण्ड्री स्कूल, कुकरेल
3.	नगरी	हायर सेकेण्ड्री स्कूल, बेलरगांव
4.	नगरी	हायर सेकेण्ड्री स्कूल, घुटकेल
5.	नगरी	हायर सेकेण्ड्री स्कूल, बिरगुड़ी

प्रपत्र “ब”

धमतरी जिले के सिहावा विधान सभा क्षेत्र में विभाग द्वारा संचालित निर्माणाधीन भवनों की विकासखण्डवार जानकारी :-

क्रमांक (1)	विकासखण्ड (2)	संस्था का नाम (3)
छात्रावास		
1.	मगरलोड	प्री. मै. अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, सिंगपुर
2.	मगरलोड	प्री. मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, सिंगपुर
3.	मगरलोड	प्री. मै. अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, सिंगपुर
4.	नगरी	प्री. मै. आदिवासी कन्या छात्रावास, गट्टासिल्ली
आश्रम		
1.	नगरी	संयुक्त आश्रम भवन, मेचका (100 सीटर)
2.	नगरी	कन्या आश्रम भवन, भैसामुड़ा (50 सीटर)
3.	नगरी	बालक आश्रम भवन, करैहा
4.	नगरी	कन्या आश्रम भवन, बोरार्ई
हाई स्कूल		
1.	नगरी	हाई स्कूल शीतला देवी घटुला
2.	नगरी	हाई स्कूल श्यामलाल उमरगांव
हायर सेकेण्डी स्कूल		
1.	नगरी	हायर सेकेण्डी स्कूल, गट्टासिल्ली
2.	नगरी	हायर सेकेण्डी स्कूल, कुकरेल
3.	नगरी	हायर सेकेण्डी स्कूल, बेलरगांव
4.	नगरी	हायर सेकेण्डी स्कूल, घुटकेल
5.	नगरी	हायर सेकेण्डी स्कूल, बिरगुडी

परिशिष्ट “सर्ताईस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 149) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रश्न “अ”

01 नवम्बर, 2010 की स्थिति में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों की जानकारी

क्र. (1)	अपराध क्रमांक एवं पंजीयन दिनांक (2)	अधिकारी का नाम (3)	कानून की धाराएं (4)	आरोप (5)	लंबित रहने का कारण (6)
1.	अप. क्र. 17/95 पंजीयन दिनांक 23-02-95	1. श्री रघुनाथ प्रसाद, तत्कालीन अध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर एवं संभागयुक्त, रायपुर, वर्तमान-सेवानिवृत्त. 2. श्री जी. वैकन्ना, तत्कालीन अध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर एवं संभागयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर, वर्तमान-सेवानिवृत्त.	409, 420, 468, 120-बी, भा. द. वि. एवं 13 (1) डी 13 (2) भ्र. नि. अ. 1988	वर्ष 1980 से 1984 के बीच पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अध्यक्षों ने अपने कार्यकाल के दौरान आपस में मिलकर शैलेन्द्र नगर गृह निर्माण योजना में एम. आई. जी., एच. आई. जी. भवनों/भूखण्डों के आवंटन नियम में विरुद्ध कार्य कर शासन को लाखों रुपये की क्षति पहुंचाई गई. प्रकरण में निम्न तीन तरीके से अनियमितताएं की गई :- 1. अध्यक्षीय कोटे का दुरुपयोग. 2. भवनों एवं भूखण्डों को बिना नीलाम किये ब्याज दर से कम दर पर आवंटित करना. 3. एच. आई. जी./एम. आई. जी. भवनों एवं भूखण्डों में बोर्ड से संकल्प पारित कराकर कीमतों कम करना.	प्रकरण में विवेचना लगभग पूर्ण है. संशोधित अंतिम प्रतिवेदन भाग-1 तैयार किया जा रहा है.
2.	अप. क्र. 18/95 पंजीयन दिनांक 23-02-95	1. श्री आर. पी. यादव, तत्कालीन कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर, वर्तमान -फौत. 2. श्री अजयनाथ, तत्कालीन कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर वर्तमान-म. प्र. से प्रतिनियुक्त पर दिल्ली पदस्थ.	409, 420, 467, 468 120-बी, भा. द. वि. एवं 13 (1) डी 13 (2) भ्र. नि. अ. 1988	आरोपियों द्वारा वर्ष 1984 से 1986 की अवधि में पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अध्यक्षों ने अपने कार्यकाल के दौरान आपस में मिलकर शैलेन्द्र नगर योजना, देवेन्द्र नगर योजना, कटोरा तालाब योजना, मयूरना योजना आदि में एच. आई. जी./एम. आई. जी. भवनों/भूखण्डों के आवंटन नियम विरुद्ध कर शासन को लाखों रुपये की क्षति पहुंचाई गई. प्रकरण में निम्नलिखित तरीके से अपराध किये गये हैं.	प्रकरण में रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर से आडिट रिपोर्ट, आय-व्यय का विवरण, भवन, दुकान, भूखण्ड के पंजीयनकर्ता के नाम, आवंटन करने एवं आवंटन निरस्त करने तथा हस्तांतरण संबंधी जानकारी प्राप्त करने आदि से संबंधित जानकारी अप्राप्त होने के कारण प्रकरण विवेचना में लंबित है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	अप. क्र. 01/04 पंजीयन दिनांक 03-07-2004	3. श्री एन. पी. तिवारी, तत्कालीन कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर, वर्तमान-सेवानिवृत्त.	120-बी, भा. द. वि. एवं 13 (1) (सी) (डी) 13 (2) भ्र. नि. अ. 1988	1. अध्यक्षीय कोटे का दुरुपयोग. 2. भवनों एवं भूखण्डों को बिना नीलाम किये बाजार दर से कम दर पर आवंटन किया. 3. एम. आई. जी./एच. आई. जी. भवनों, भूखण्डों की तय की गई कीमतों में बोर्ड से संकल्प पारित कराकर कीमतें कम करना. 4. परिचितों, मित्रों को अनुचित रूप से भूखण्ड दिया जाना.	प्रकरण की विवेचना पश्चात् विवेचक द्वारा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसका परीक्षण उप संचालक, अभियोजन से कराया गया है. उप संचालक, अभियोजन द्वारा परीक्षणोपरांत विवेचना के 08 अतिरिक्त बिन्दु सुझाए गए हैं. निर्देशित बिन्दुओं पर विवेचना की जा रही है.
3.	अप. क्र. 02/10 पंजीयन दिनांक 13-01-2010	1. श्री सुब्रत साहू, तत्कालीन प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य विपणन संघ मर्या., रायपुर. 2. श्री नारायण सिंह, तत्कालीन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, रायपुर.	120-बी, भा. द. वि. एवं 13 (1) (सी) (डी) 13 (2) भ्र. नि. अ. 1988	आरोपियों द्वारा अपने लोक सेवक के पद का दुरुपयोग कर आपरेशन ब्लेक बोर्ड योजना के अंतर्गत क्रय की जाने वाली सामग्री/फर्नीचर के स्तर पर प्रावधानों एवं प्रक्रिया का पालन किये बिना स्वयं के स्तर पर अवैधानिक रूप से परिवर्तन करके फर्नीचर निर्माताओं से सांठगांठ कर उन्हें अनुचित रूप से लाभान्वित कर रू. 9.455 करोड़ लोकधन का दुर्विनियोग तथा अपने पदों का दुरुपयोग करना.	प्रकरण में मार्कफेड रायपुर से बरदानों के बिल, भुगतान पत्रक, केश बुक आदि प्राप्त किया जाना है. नेफेड कलकत्ता एवं एन. सी. सी. एफ., पी. ई. सी. से बारदाना क्रय हेतु फर्मों से किये गये अनुबंध प्राप्त करना तथा प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर संबंधित अधिकारियों के कथन तथा संदेही अधिकारियों का कथन लिया जाना शेष है. प्रकरण विवेचना में है.
4.	अप. क्र. 02/10 पंजीयन दिनांक 13-01-2010	1. श्री सुब्रत साहू, तत्कालीन प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य विपणन संघ मर्या., रायपुर.	120-बी, भा. द. वि. एवं 13 (1) (सी) (डी) 13 (2) भ्र. नि. अ. 1988	आरोपियों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत जारी जूट एवं जूट टेक्सटाइल कंट्रोल आर्डर 2000 (यथासंशोधित 2002) के अधीन बारदानों के क्रय के संबंध में निर्धारित राष्ट्रीय नीति एवं छ. ग. क्रय नियम तथा वित्तीय मानक के औचित्य का उल्लंघन करते हुए लोकधन के सदुपयोग के उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक दरें न बुलाते हुए प्रचलित बाजार से अधिक दर पर वर्ष 2002-03 में अपने लोक सेवक के पदों का दुरुपयोग कर मात्र नेफेड एवं एन. सी. सी. एफ. की दरों के आधार पर एन. सी. सी. एफ. की दर कम होने के बाद भी नेफेड के दर को कम होना बताते हुए नेफेड के प्रदायकों से धेनक्रेन प्रकारण सांठगांठ कर 62 करोड़ रुपये का बारदाना क्रय कर अनुचित रूप से लाभान्वित करते हुए लोकधन का दुर्विनियोग करना.	प्रकरण में मार्कफेड रायपुर से बरदानों के बिल, भुगतान पत्रक, केश बुक आदि प्राप्त किया जाना है. नेफेड कलकत्ता एवं एन. सी. सी. एफ., पी. ई. सी. से बारदाना क्रय हेतु फर्मों से किये गये अनुबंध प्राप्त करना तथा प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर संबंधित अधिकारियों के कथन तथा संदेही अधिकारियों का कथन लिया जाना शेष है. प्रकरण विवेचना में है.

5. अप. क्र. 03/10 पंजीयन दिनांक 13-01-2010
1. श्री टी. एस. छतवाल, तत्कालीन प्रबंध संचालक, मार्कफेड, छ. ग. वर्तमान-सेवानिवृत्त
2. श्री आर. पी. बगई, तत्कालीन प्राधिकृत अधिकारी, मार्कफेड, रायपुर. वर्तमान-सेवानिवृत्त.
- 120-बी, भा. द. वि. एवं 13 (1) (सी) (डी) 13 (2) प्र. नि. अ. 1988
- आरोपी लोक सेवकों द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए वर्ष 2003-04 में बारदानों के क्रय में भारत सरकार की राष्ट्रीय क्रय नीति एवं छ. ग. क्रय नियमों, वित्तीय मानक के औचित्य के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए मात्र दो संस्थाओं से भावपत्र बुलवाकर नेफेड द्वारा पूर्व में कम दर देने के बाद भी उक्त दर पर निगोसिएशन न करके नेफेड के अंतिम दरों पर ही विचौलियों संगठन नेफेड, पी. ई. सी. के प्रदायकों से साठगांठ कर बाजार दर की तुलना में अधिक दर पर 92 करोड़ रुपये का बारदाना क्रय कर प्रदायकों को करोड़ों रुपये का अनुचित लाभ पहुंचाते हुए लोकधन की क्षति तथा दुर्विनियोग करना.
- 13 1(ई) 13 (2) प्र. नि. अ. 1988 सहपठित धारा 3 बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988
- श्री बाबूलाल अग्रवाल (भा. प्र. से.) द्वारा स्वयं, परिवार के सदस्यों एवं नजदीकी रिश्तेदारों तथा बेनामी व्यक्तियों के नाम पर करोड़ों रुपये की ज्ञात वैध आय के स्रोतों की तुलना में अत्यधिक असमानुपातिक चल-अचल संपत्ति अपने लोक सेवक के पद का दुरुपयोग करते हुए अर्जित करना.
6. अप. क्र. 06/10 पंजीयन दिनांक 19-02-2010
1. श्री बाबूलाल अग्रवाल (भा. प्र. से.) तत्का. सचिव, कृषि विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर.
- विषयांकित प्रकरण छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्र. ई-02-03/2010/एक/2 दिनांक 11-02-2010 के माध्यम से श्री बृजेश गुप्ता, आई. आर. एस., महानिदेशक, आयकर (अन्वेषण) भोपाल द्वारा श्री बाबूलाल अग्रवाल, आई. ए. एस. के विभिन्न परिसरों में पायी गयी संपत्ति के संबंध में प्रेषित संक्षेपिका के आधार पर पंजीबद्ध की गई है. चूंकि चल-अचल संपत्ति एवं उनसे संबंधित अभिलेख, प्रपत्र तथा आय-व्यय के प्रपत्र आयकर विभाग द्वारा जप्त कर लिया गया है. ब्यूरो द्वारा आयकर विभाग से लगातार अभिलेख, प्रपत्र, जप्ती एवं तलाशी पंचनामा के अभिलेख तथा संपत्तियों के विवरण की मांग की जा रही है. अभिलेखों के अभाव में प्रकरण लंबित है.

प्रपत्र "ब"

01 नवम्बर, 2000 से 31-10-2010 तक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों के खात्मा की जानकारी

क्र.	अपराध क्रमांक एवं पंजीयन दिनांक	धाराएं	अधिकारी का नाम	आरोप	खात्मा लेख करने का कारण	लंबित रहने का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	32/1997 पंजीयन दिनांक 24-06-97	420, 467, 468, 471 120-बी, भा. द. वि. एवं 13 (1) (डी) 13 (2) भ्र. नि. अ. 1988	1. श्री इन्द्रनील एस. दाणी, (भा. प्र. से.) तत्का. कलेक्टर बिलासपुर. 2. श्री के. सुरेश, (भा. प्र. से.) तत्का. कलेक्टर, बिलासपुर. 3. श्री एम. के. राउत (भा. प्र. से.) तत्कालीन कलेक्टर, पदेन अध्यक्ष, भारत ज्ञान विज्ञान समिति, बिलासपुर.	भारतीय ज्ञान विज्ञान के प्रबंध संचालक एवं तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा साक्षरता अभियान में प्राथम प्रवेशिका भाग-1, 2, 3 की छपाई में अपने लोक सेवक पदों का दुरुपयोग कर प्रदायक मेसर्स- गोयनका प्रिंटर्स इन्टैर को स्वीकृत दर से अधिक दर पर भुगतान करना, पूर्व प्रदायक से निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर क्षति पूर्ति वसूल न कर प्रदायकों को 2.50 लाख का अनुचित आर्थिक लाभ पहुंचाना.	प्रकरण की विवेचना में किस्सी संदेही के विरुद्ध अभियोजन संस्थित करने योग्य ठोस साक्ष्य का अभाव होने से दिनांक 22-06-2010 को खात्मा प्रतिवेदन लेख किया गया है.	खात्मा प्रतिवेदन माननीय विशेष न्यायालय, बिलासपुर के आदेशानुसार माह दिसम्बर, 2010 में प्रस्तुत किया जाना है.
2.	15/1998 पंजीयन दिनांक 22-04-98	420, 120-बी, भा. द. वि., 13 (1) 13 (2) भ्र. नि. अ. 1988	श्री दुर्गेश मिश्रा, (भा. प्र. से.) तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबंधक, म. प्र. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, रायपुर.	संदेही अधिकारियों द्वारा परिवहनकर्ता से बिना वास्तविक दूरी से प्रमाण पत्र के खद्यान एवं तेल का परिवहन कार्य करवा जाकर परिवहनकर्ता को अधिक राशि भुगतान कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाना.	प्रकरण में अभियोजन योग्य साक्ष्य के अभाव में दिनांक 13-12-2006 का खात्मा भेजा गया है.	प्रकरण का खात्मा दिनांक 17-01-2007 को माननीय विशेष न्यायालय, रायपुर में स्वीकृत हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो न्यायालयीन प्रक्रिया में लंबित है.
3.	02/2001 पंजीयन दिनांक 14-12-2001	420, 109 भा. द. वि. एवं 13 (1) 13 (2) भ्र. नि. अ. 1988	श्री सतीश मिश्रा, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर	आरोपियों द्वारा अपने लोक सेवक के पद का दुरुपयोग कर थोक कपड़ा व्यापारी संघ छत्तीसगढ़ युवा विकास संगठन, सरस्वती शिशुमंदिर, कच्छ कड़वा पाटीदार समाज आदि संस्थाओं को एवं सुश्री प्रेमलता गार्डिया, देवानंद बड़वानी, ज्ञान सिंह छाबड़ा आदि व्यक्तियों को नगर एवं ग्राम	प्रकरण में अभियोजन योग्य साक्ष्य के अभाव में दिनांक 10-05-2007 को खात्मा प्रतिवेदन लेख किया गया है.	माननीय विशेष न्यायालय, रायपुर द्वारा दिनांक 27-11-2009 को खात्मा स्वीकृत किया गया है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<p>निवेश अधिनियम तथा विकसित भूमि एवं गृह तथा भवनों एवं अन्य संरचनाओं को ब्ययन नियम 1975 का उल्लंघन करते हुए बिना शासन के अनुमति के बाजार दर से अत्यंत अल्प कीमत पर आवंटित कर स्वयं एवं अन्यो को अनुचित रूप से आर्थिक लाभ पहुंचाते हुए शासन/रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर को आर्थिक क्षति पहुंचाना.</p>		
4.	05/2001 पंजीयन दिनांक 22-12-2001	120-बी, भा. द. वि. एवं 13 (1) 13 (2) भ्र. नि. अ. 1988	श्री एम. के. राउत (भा. प्र. से.) तत्कालीन सचिव, छ. ग. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर.	<p>आरोपी द्वारा एक ही मापदण्ड की सामग्री को गुणवत्ता का कार्यात्मिक आधार देकर जी. आई. पाईप खरीदने संबंधी भ्रम पूर्ण प्रस्तुत अनुशंसा को स्वयं के स्तर पर शासन के हित में विवेकपूर्ण विश्लेषण न करते हुए लघु उद्योग निगम की दर की तुलना में उन्हें सौंपी गई लोकधन का बैमानी कपटपूर्वक दुर्विनियोग कर अत्यधिक ऊंचे दर पर पूर्व नियोजित तरीके से अपने चहेते फर्मों से सीधे सामग्री क्रय कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई गई.</p>	<p>प्रकरण में अभियोजन योग्य साक्ष्य के अभाव में दिनांक 13-03-2008 को खात्मा प्रतिवेदन लेख है. खात्मा स्वीकृति हेतु माननीय विशेष न्यायालय, रायपुर में प्रस्तुत किया जाना है. किया गया है.</p>

परिशिष्ट “अट्ठाईस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 150) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

01 नवंबर 2010 की स्थिति में 2 वर्ष से अधिक के एक करोड़ से अधिक के विद्युत बिल के बकायेदारों का विवरण

क्र.	बकायेदार का नाम	स्थान	बकाया राशि (रु. करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)
अ- रेलवे			
1.	एस. ई. सी. रेलवे ट्रेक्शन	उरकुरा, रायपुर	130.77
2.	एस. ई. सी. रेलवे ट्रेक्शन	भाटापारा, रायपुर	127.81
3.	रेलवे ट्रेक्शन भिलाई	भिलाई	192.28
4.	एसईसी रेलवे बिलासपुर	तिल्दा	31.83
5.	डिवीजनल इलेक्ट्रिकल इंजी. ईस्ट कोस्ट रेलवे वाल्टेयर	कुमारसोडरा	251.12
6.	डिवीजनल इलेक्ट्रिकल इंजी. ईस्ट कोस्ट रेलवे वाल्टेयर	आमागुडा	32.16
7.	डिवीजनल इलेक्ट्रिकल इंजी. ईस्ट कोस्ट रेलवे वाल्टेयर	ढिलमिली	162.13
8.	डिवीजनल इलेक्ट्रिकल इंजी. ईस्ट कोस्ट रेलवे वाल्टेयर	कवरगांव	228.45
9.	डिवीजनल इलेक्ट्रिकल इंजी. ईस्ट कोस्ट रेलवे वाल्टेयर	भांसी	167.48
10.	डिवीजनल इलेक्ट्रिकल इंजी. ईस्ट कोस्ट रेलवे वाल्टेयर	गीदम	209.09
11.	डिवीजनल इलेक्ट्रिकल इंजी. ईस्ट कोस्ट रेलवे वाल्टेयर	टोकापाल	23.87
12.	डिवीजनल इलेक्ट्रिकल इंजी. (टीआरडी) द पूरेलवे, विश्रामपुर	विश्रामपुर	9.97
13.	डिवीजनल इलेक्ट्रिकल इंजी. दपू रेलवे, रायगढ़ रेलवे ट्रेक्शन	बिलासपुर	11.75
14.	डिवीजनल इलेक्ट्रिकल इंजी. (टीआरडी) दपू रेलवे, खरसिया रेलवे ट्रेक्शन.	बिलासपुर	12.28
15.	डिवीजनल इलेक्ट्रिकल इंजी. बिलासपुर ट्रेक्शन	बिलासपुर	7.00
16.	डिवीजनल इलेक्ट्रिकल इंजी. (टीआरडी) दपू रेलवे, अकलतरा	अकलतरा	3.69
17.	डिवीजनल इलेक्ट्रिकल इंजी. (टीआरडी) दपू रेलवे, चाम्पा	चाम्पा	10.21
18.	डिवीजनल इलेक्ट्रिकल इंजी. (सामान्य) दपू रेलवे, कोरबा	कोरबा	5.11
योग (अ)			1617.00

(1)	(2)	(3)	(4)
ब- सिंचाई विभाग			
19.	ई. ई. (इण्डएम) एच. ई. एम. एम. संभाग, एलआईएस	सिमगा	1.89
20.	ई. ई. (इण्डएम) एमआरपी, कालोनी	रूद्री, धमतरी	5.78
21.	ई. ई. एचईएमएम सोंदूर डेम	सोंदूर, धमतरी	2.41
22.	ई. ई. एमआरपी रूद्री प्रोजेक्ट	रूद्री	3.09
23.	ई. ई. (इण्डएम) एलआईएस	अभनपुर	24.55
योग (ब)			37.72

स- नगर पालिका/नगर निगम

24.	सचिव, नगर निगम फिल्टर प्लांट रायपुर	रायपुर	7.48
25.	सचिव, नगर निगम, खारून पम्प, रायपुर	रायपुर	6.79
26.	आयुक्त, नगर निगम, भाटागांव पम्प, रायपुर	रायपुर	10.47
27.	आयुक्त, नगर निगम, रावांभाठा, रायपुर	रायपुर	8.64
28.	आयुक्त, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव	राजनांदगांव	4.78
योग (स)			38.16

द- अन्य उपभोक्ता

29.	मे. सी. सी. आई. मांढर, रायपुर	रायपुर	2.28
30.	मे. राजेन्द्र स्टील लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर	सिलतरा, रायपुर	13.73
31.	मे. अन्नपूर्णा मेलेबल प्रा. लि., सरोरा, रायपुर	उरला, रायपुर	6.53
32.	मे. स्टेण्डर्ड इस्पात लिमिटेड, प्लाट नं. 23-24, रावांभाठा रायपुर.	रायपुर	1.52
33.	मे. निकिता कास्टिंग, उरला, रायपुर	रायपुर	1.78
34.	मे. गौरी इस्पात प्रा. लि., रसमडा, दुर्ग	दुर्ग	3.10
35.	मे. कनकई स्टील्स, प्रा. लि., 138 एलआईए, भिलाई	भिलाई	1.29
36.	मे. भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमि., कोरबा	बालको, कोरबा	17.72
37.	मे. बिलासपुर कास्टिंग, बिलासपुर	सिरगिट्टी, बिलासपुर	1.21

(1)	(2)	(3)	(4)
38.	मे. सी. सी. आई. अकलतरा	अकलतरा	13.11
39.	मे. स्टैण्डर्ड क्रोम लिमिटेड, जोरापाली, रायगढ़	रायगढ़	41.90
40.	मेसर्स मोहन जूट मिल (पूर्व में मेसर्स रायगढ़ जूट मिल एण्ड टैक्सटाईल्स मिल), रायगढ़.	रायगढ़	1.04
योग (द)			105.21
कुल योग (अ+ब+स+द)			1798.09

प्रपत्र“ब”

2 वर्ष से अधिक के एक करोड़ से अधिक के विद्युत बिल के बकायेदारों का विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2009-10 में की गई कार्यवाही का विवरण

क्र.	बकायेदार का नाम	स्थान	वित्तीय वर्ष 2009-10 में की गई कार्यवाही
(1)	(2)	(3)	(4)
रेलवे			
1.	एस. ई. सी. रेलवे ट्रेक्शन	उरकुरा, रायपुर	रेलवे ने बिलिंग प्रक्रिया पर आपत्ति की है. बिलिंग का विषय नीतिगत है. अतः रेलवे के साथ समाधान के उपरांत वसूली हेतु कार्यवाही संभव.
2.	एस. ई. सी. रेलवे ट्रेक्शन	भाटापारा, रायपुर	--तदैव --
3.	रेलवे ट्रेक्शन भिलाई	भिलाई	--तदैव --
4.	एसईसी रेलवे बिलासपुर	तिल्दा	--तदैव --
5.	डिवीजनल इलेक्ट्रिकल इंजी. ईस्ट कोस्ट रेलवे वाल्टेयर	कुमारसोडरा	--तदैव --
6.	डिवीजनल इलेक्ट्रिकल इंजी. ईस्ट कोस्ट रेलवे वाल्टेयर	आमागुडा	--तदैव --
7.	डिवीजनल इलेक्ट्रिकल इंजी. ईस्ट कोस्ट रेलवे वाल्टेयर	ढिलमिली	--तदैव --
8.	डिवीजनल इलेक्ट्रिकल इंजी. ईस्ट कोस्ट रेलवे वाल्टेयर	कवरगांव	--तदैव --
9.	डिवीजनल इलेक्ट्रिकल इंजी. ईस्ट कोस्ट रेलवे वाल्टेयर	भांसी	--तदैव --
10.	डिवीजनल इलेक्ट्रिकल इंजी. ईस्ट कोस्ट रेलवे वाल्टेयर	गीदम	--तदैव --
11.	डिवीजनल इलेक्ट्रिकल इंजी. ईस्ट कोस्ट रेलवे वाल्टेयर	टोकापाल	--तदैव --
12.	डिवीजनल इलेक्ट्रिकल इंजी. (टीआरडी) द पू रेलवे, विश्रामपुर	विश्रामपुर	--तदैव --
13.	डिवीजनल इलेक्ट्रिकल इंजी. दपू रेलवे, रायगढ़ रेलवे ट्रेक्शन	बिलासपुर	--तदैव --
14.	डिवीजनल इलेक्ट्रिकल इंजी. (टीआरडी) दपू रेलवे, खरसिया रेलवे ट्रेक्शन.	बिलासपुर	--तदैव --
15.	डिवीजनल इलेक्ट्रिकल इंजी. बिलासपुर ट्रेक्शन	बिलासपुर	--तदैव --
16.	डिवीजनल इलेक्ट्रिकल इंजी. (टीआरडी) दपू रेलवे, अकलतरा	अकलतरा	--तदैव --
17.	डिवीजनल इलेक्ट्रिकल इंजी. (टीआरडी) दपू रेलवे, चाम्पा	चाम्पा	--तदैव --
18.	डिवीजनल इलेक्ट्रिकल इंजी. (सामान्य) दपू रेलवे, कोरबा	कोरबा	--तदैव --

(1)	(2)	(3)	(4)
सिंचाई विभाग			
19.	ई. ई. (इण्डएम) एच. ई. एम. एम. संभाग, एलआईएस	सिमगा	वसूली हेतु 12 विच्छेदन नोटिस जारी किया गया. अंतिम नोटिस 2322/20 दि. 25-3-10 को जारी किया.
20.	ई. ई. (इण्डएम) एमआरपी, कालोनी	रूदरी, धमतरी	वसूली हेतु 12 विच्छेदन नोटिस जारी किया गया. अंतिम नोटिस 2322/09 दि. 25-3-10 को जारी किया.
21.	ई. ई. एचईएमएम सोंदूर डेम	सोंदूर, धमतरी	वसूली हेतु 12 विच्छेदन नोटिस जारी किया गया. अंतिम नोटिस 2322/10 दि. 25-3-10 को जारी किया.
22.	ई. ई. एमआरपी रूद्री प्रोजेक्ट	रूदरी	वसूली हेतु 12 विच्छेदन नोटिस जारी किया गया. अंतिम नोटिस 2322/08 दि. 25-3-10 को जारी किया.
23.	ई. ई. (इण्डएम) एलआईएस	अभनपुर	वसूली हेतु 12 विच्छेदन नोटिस जारी किया गया. अंतिम नोटिस 2322/16 दि. 25-3-10 को जारी किया.
नगर पालिका/नगर निगम			
24.	सचिव, नगर निगम फिल्टर प्लांट रायपुर	रायपुर	वसूली हेतु 12 विच्छेदन नोटिस जारी किया गया. अंतिम नोटिस 14180 दि. 17-3-10 को जारी किया.
25.	सचिव, नगर निगम खारून पम्प, रायपुर	रायपुर	वसूली हेतु 12 विच्छेदन नोटिस जारी किया गया. अंतिम नोटिस 14180 दि. 17-3-10 को जारी किया.
26.	आयुक्त, नगर निगम भाटागांव पम्प, रायपुर	रायपुर	वसूली हेतु 12 विच्छेदन नोटिस जारी किया गया. अंतिम नोटिस 14180 दि. 17-3-10 को जारी किया.
27.	आयुक्त, नगर निगम रावांभाठा, रायपुर	रायपुर	वसूली हेतु 12 विच्छेदन नोटिस जारी किया गया. अंतिम नोटिस 14180 दि. 17-3-10 को जारी किया.
28.	आयुक्त, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव	राजनांदगांव	वसूली हेतु 12 विच्छेदन नोटिस जारी किया गया. अंतिम नोटिस 5705 दि. 18-3-10 को जारी किया.
अन्य उपभोक्ता			
29.	मे. सी. सी. आई. मांडर, रायपुर	रायपुर	वसूली हेतु पूर्व में ही सी फार्म क्र. 5669 दि. 30-05-97 एवं 9074 दि. 01-12-99 को जारी किया जा

(1)	(2)	(3)	(4)
			चुका है. कनेक्शन स्थाई रूप से विच्छेदित है. प्रकरण याचिका क्र. 501/96 के माध्यम से बीआईएफ आर, दिल्ली में विचाराधीन.
30.	मे. राजेन्द्र स्टील लिमिटेड, सिलतरा, रायपुर	सिलतरा, रायपुर	बकाया राशि की वसूली के लिये कुर्की आदेश दिनांक 10-02-99 को जारी किया गया. प्रकरण में लिक्विडेटर नियुक्त किया गया तदानुसार लिक्विडेटर के आदेश में बिजली बिल की बकाया राशि का समावेश न होने के कारण विद्युत कंपनी ने मान. उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका क्रमांक 5/2009 प्रस्तुत की है. सुनवाई प्रक्रियाधीन.
31.	मे. अन्नपूर्णा मेलेबल प्रा. लि., सरोरा, रायपुर	रायपुर	उपभोक्ता के द्वारा मान. उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका क्रमांक 1366/1997 एवं 7029/28 प्रस्तुत की गई है. एक अन्य प्रकरण में याचिका एएआई एफआर में क्रमांक 129/09 पर सुनवाई चल रही है. न्यायालयीन प्रकरण के कारण वसूली लंबित.
32.	मे. स्टेण्डर्ड इस्पात लिमिटेड, प्लॉट नं. 23-24, रावांभाठा रायपुर.	रायपुर	वसूली हेतु पूर्व में ही सी फार्म क्र. 5041 दि. 06-08-99, 6727 दि. 13-12-99 एवं 1760 दि. 24-04-2000 को जारी किया जा चुका है, वसूली प्रक्रियाधीन.
33.	मे. निकिता कास्टिंग, उरला, रायपुर	रायपुर	वसूली हेतु पूर्व में ही सी फार्म क्र. 5671 दि. 30-06-97 एवं 1125 दि. 15-3-2000 को जारी किया जा चुका है, वसूली प्रक्रियाधीन.
34.	मे. गौरी इस्पात प्रा. लि., रसमडा, दुर्ग	दुर्ग	वसूली हेतु सी फार्म 10954 दिनांक 06-03-10 जारी किया गया. चूंकि उक्त प्रकरण में बैंक द्वारा उपभोक्ता परिसर को सील कर दिया गया है. अतएव बकाया राशि की प्राप्ति हेतु बैंक को सूचित किया गया.
35.	मे. कनकई स्टील्स, प्रा. लि., 138 एलआईए, भिलाई	भिलाई	वसूली हेतु सी फार्म 7402 दिनांक 26-02-10 जारी किया गया. बकायेदार के विरुद्ध प्रकरण विशेष विद्युत न्यायालय, दुर्ग में विचाराधीन.

(1)	(2)	(3)	(4)
36.	मे. भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमि., कोरबा	कोरबा	<p>अ/ रु. 95198750.00 की राशि जो तत्कालीन मध्यप्रदेश शासन के विद्युत शुल्क से संबंधित है, का प्रकरण मान. उच्च न्यायालय, जबलपुर में याचिका क्रमांक 132/1992 प्रक्रियाधीन था जो कि वर्तमान में मान. उच्च न्यायालय, बिलासपुर में विचाराधीन.</p> <p>ब/ रु. 7714158 की राशि फरवरी-1991 से मार्च 1993 के बीच विवादित अधिभार से तत्कालीन मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल से संबंधित है. जिसका निराकरण प्रक्रियाधीन.</p> <p>स/ रु. 74265030 की राशि केन्द्रीय उपक्रम से बालको को आवंटित 45 मेगावाट विद्युत के पुनः आवंटन के कारण विवादित मांग राशि से संबंधित है. जिसे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निराकरण हेतु प्रक्रियाधीन.</p>
37.	मे. बिलासपुर कास्टिंग, बिलासपुर	सिरगिट्टी, बिलासपुर	<p>वसूली हेतु पूर्व में ही सी फार्म 889 दिनांक 13-05-96 को जारी किया जा चुका है, वसूली प्रक्रियाधीन.</p>
38.	मे. सी. सी. आई. अकलतरा	अकलतरा	<p>दिनांक 09-12-96 को कनेक्शन स्थायी रूप से विच्छेदित, वसूली हेतु पूर्व में ही सी फार्म क्र. 9697 दि. 31-12-99 एवं 2354 दि. 27-04-2000 को जारी किया जा चुका है. बीआईएफआर, दिल्ली ने आदेश क्रमांक 501 दिनांक 08-08-06 से उद्योग को बीमार घोषित किया.</p>
39.	मे. स्टेण्डर्ड क्रोम लिमिटेड, जोरापाली, रायगढ़	रायगढ़	<p>वसूली हेतु पूर्व में ही सी फार्म दिनांक 23-05-07 को जारी किया जा चुका है एवं क्रमांक 3300 दिनांक 29-12-09 के माध्यम से पुनः जारी किया गया, वसूली प्रक्रियाधीन.</p>
40.	मेसर्स मोहन जूट मिल (पूर्व में मेसर्स रायगढ़ जूट मिल एण्ड टैक्सटाईल्स मिल), रायगढ़.	रायगढ़	<p>उपभोक्ता के द्वारा मान. उच्च न्यायालय, बिलासपुर में याचिका क्रमांक 5520/06 प्रस्तुत की गई, प्रकरण विचाराधीन. मोहन जूट मिल का विद्युत कनेक्शन दिनांक 10-06-10 को विच्छेदित कर दिया गया.</p>

परिशिष्ट “उन्तीस”
[अतारंकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 155) की जानकारी]

राशि रु. लाख में

स. क्र.	विकासखण्ड का नाम	मद का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि				संभावित पूर्णता की तिथि
				2009-10	पूर्णता की स्थिति	2010-11 (10/2010 तक)	पूर्णता की स्थिति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	बिलाईगढ़	40/4705-2823	1. जोंक व्यपवर्तन (फील्ड चैनल निर्माण)	70.00	6/2010 में कार्य पूर्ण	65.31	अपूर्ण	03/2011
		57/4702	2. धौराभाठा जलाशय	41.47	अपूर्ण	0.00	-	03/2011
		छ.ग.सि.वि.	3. तौलीडीह जलाशय	92.11	अपूर्ण	0.00	-	03/2011
		परि.ए.डी.बी.	4. बिला व्यपवर्तन	81.00	अपूर्ण	0.00	-	03/2011
			5. सूखा जलाशय	64.00	अपूर्ण	0.00	-	03/2011
योग				278.58	(01 पूर्ण+ 04 अपूर्ण)	65.31	01 अपूर्ण	-
2.	कसडोल	57/4702	1. अमरूवा एनीकट	35.50	अपूर्ण	0.00	-	03/2011
		छ.ग.सि.वि. परि.ए.डी.बी.						
		57/4702	2. गोलाझर जलाशय	40.38	अपूर्ण	0.00	-	03/2011
		छ.ग.सि.वि. परि.ए.डी.बी.						
		45/4702	3. राजादेवरी एनीकट	492.91	अपूर्ण	0.00	-	06/2012
		ल.सि.यो. एनीकट						
योग				568.79	3 अपूर्ण		-	

परिशिष्ट “तीस”

[अतारंकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 156) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

शाला शौचालय निर्माण के स्वीकृत कार्य, उनकी लागत, पूर्ण कार्य एवं अपूर्ण कार्य की विकासखण्डवार जानकारी

जिला-रायपुर

क्र.	विकासखण्ड का नाम	वर्ष 2009-10 में शाला शौचालय				वर्ष 2010-11 में शाला शौचालय			
		स्वीकृत संख्या	लागत (रु. लाख में)	पूर्ण	अपूर्ण (प्रगति पर)	स्वीकृत संख्या	लागत (रु. लाख में)	पूर्ण (अक्टूबर 2010 तक)	अपूर्ण (प्रगति पर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	धरसीवा	25	5.00	25	0	0	0.00	0	0
2.	आरंग	10	2.00	10	0	0	0.00	0	0
3.	अभनपुर	5	1.00	5	0	0	0.00	0	0
4.	तिल्दा	14	2.80	14	0	0	0.00	0	0
5.	भाटापारा	53	10.60	53	0	0	0.00	0	0
6.	सिमगा	23	4.60	23	0	0	0.00	0	0
7.	फिंगेश्वर	32	6.40	32	0	0	0.00	0	0
8.	छुरा	85	17.00	85	0	8	1.60	8	0
9.	गरियाबंद	69	13.80	69	0	0	0.00	0	0
10.	मैनपुर	99	19.80	99	0	0	0.00	0	0
11.	देवभोग	55	11.00	55	0	0	0.00	0	0
12.	बलौदाबाजार	29	5.80	29	0	0	0.00	0	0
13.	पलारी	20	4.00	20	0	0	0.00	0	0
14.	कसडोल	39	7.80	39	0	0	0.00	0	0
15.	बिलाईगढ़	134	26.80	134	0	0	0.00	0	0
कुल योग		692	138.40	692	0	8	1.60	8	0

प्रपत्र "ब"

सामुदायिक शौचालय निर्माण के स्वीकृत कार्य, उनकी लागत, पूर्ण कार्य एवं अपूर्ण कार्य की विकासखण्डवार जानकारी

जिला-रायपुर

क्र.	विकासखण्ड का नाम	वर्ष 2009-10 में सामुदायिक शौचालय				वर्ष 2010-11 में सामुदायिक शौचालय			
		स्वीकृत संख्या	लागत (रु. लाख में)	पूर्ण	अपूर्ण (प्रगति पर)	स्वीकृत संख्या	लागत (रु. लाख में)	पूर्ण (अक्टूबर 2010 तक)	अपूर्ण (प्रगति पर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	धरसीवा	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0
2.	आरंग	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0
3.	अभनपुर	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0
4.	तिल्दा	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0
5.	भाटापारा	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0
6.	सिमगा	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0
7.	फिंगेश्वर	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0
8.	छुरा	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0
9.	गरियाबंद	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0
10.	मैनपुर	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0
11.	देवभोग	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0
12.	बलौदाबाजार	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0
13.	पलारी	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0
14.	कसडोल	1	2.00	1	0	0	0.00	0	0
15.	बिलाईगढ़	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0
कुल योग		1	2.00	1	0	0	0.00	0	0

प्रपत्र "स"

व्यक्तिगत/निजी शौचालय (बी.पी.एल.) निर्माण के स्वीकृत कार्य, उनकी लागत, पूर्ण कार्य एवं अपूर्ण कार्य की विकासखण्डवार जानकारी

जिला-रायपुर

क्र.	विकासखण्ड का नाम	वर्ष 2009-10 में व्यक्तिगत/निजी शौचालय (बी.पी.एल.)				वर्ष 2010-11 में व्यक्तिगत/निजी शौचालय (बी.पी.एल.)			
		स्वीकृत संख्या	लागत (रु. लाख में)	पूर्ण	अपूर्ण (प्रगति पर)	स्वीकृत संख्या	लागत (रु. लाख में)	पूर्ण (अक्टूबर 2010 तक)	अपूर्ण (प्रगति पर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	धरसीवा	2500	62.50	2228	272	1700	42.50	210	1490
2.	आरंग	2500	62.50	2306	194	4479	111.98	574	3905
3.	अभनपुर	2500	62.50	2210	290	1715	42.88	840	875
4.	तिल्दा	3000	75.00	2638	362	1650	41.25	160	1490
5.	भाटापारा	3000	75.00	2962	38	3000	75.00	928	2072
6.	सिमगा	2500	62.50	2300	200	388	9.70	388	0
7.	फिंगेश्वर	2000	50.00	1350	650	1650	41.25	302	1348
8.	छुरा	2000	50.00	1294	706	851	21.28	601	250
9.	गरियाबंद	1000	25.00	780	220	1143	28.58	447	696
10.	मैनपुर	1000	25.00	640	360	346	8.65	266	80
11.	देवभोग	1000	25.00	535	465	350	8.75	50	300
12.	बलौदाबाजार	3000	75.00	2611	389	2900	72.50	160	2740
13.	पलारी	3000	75.00	2630	370	1650	41.25	193	1457
14.	कसडोल	3000	75.00	2730	270	2691	67.28	1618	1073
15.	बिलाईगढ़	3200	80.00	3021	179	1701	42.53	263	1438
कुल योग		35200	880.00	30235	4965	26214	655.35	7000	19214

प्रपत्र "स-1"

व्यक्तिगत/निजी शौचालय (बी.पी.एल.) निर्माण के स्वीकृत कार्य, उनकी लागत, पूर्ण कार्य एवं अपूर्ण कार्य की विकासखण्डवार जानकारी

जिला-जांजगीर-चांपा

क्र.	विकासखण्ड का नाम	वर्ष 2009-10 में व्यक्तिगत/निजी शौचालय (बी.पी.एल.)				वर्ष 2010-11 में व्यक्तिगत/निजी शौचालय (बी.पी.एल.)			
		स्वीकृत संख्या	लागत	पूर्ण	अपूर्ण	स्वीकृत संख्या	लागत	पूर्ण (अक्टूबर 2010 तक)	अपूर्ण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	नवागढ़	2645	6612500	1654	991	3615	9037500	266	3349
2.	बम्हनीडीह	2644	6610000	1522	1122	3595	8987500	676	2919
3.	अकलतरा	2644	6610000	1327	1317	3595	8987500	1001	2594
4.	बलौदा	2644	6610000	1539	1105	3595	8987500	1189	2406
5.	पामगढ़	2644	6610000	1628	1016	3595	8987500	1022	2573
6.	सक्ती	2644	6610000	1053	1591	3595	8987500	273	3322
7.	जैजैपुर	2644	6610000	788	1856	3595	8987500	427	3168
8.	डभरा	2644	6610000	1290	1354	3595	8987500	1021	2574
9.	मालखरौदा	2644	6610000	1028	1616	3595	8987500	1043	2552
कुल योग		23797	59492500	11829	11968	32375	80937500	6918	25457

प्रपत्र "द"

व्यक्तिगत/निजी शौचालय (ए.पी.एल.) निर्माण के स्वीकृत कार्य, उनकी लागत, पूर्ण

जिला-रायपुर

क्र.	विकासखण्ड का नाम	वर्ष 2009-10 में व्यक्तिगत/निजी				वर्ष 2010-11 में व्यक्तिगत/निजी			
		स्वीकृत संख्या	लागत (रु. लाख में)	पूर्ण	अपूर्ण (प्रगति पर)	स्वीकृत संख्या	लागत (रु. लाख में)	पूर्ण (अक्टूबर 2010 तक)	अपूर्ण (प्रगति पर)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	धरसीवा	5000	95.00	1612	3388	5000	95.00	318	4682
2.	आरंग	5000	95.00	1465	3535	5000	95.00	390	4610
3.	अभनपुर	4500	85.50	1609	2891	4500	85.50	370	4130
4.	तिल्दा	4500	85.50	1827	2673	4500	85.50	331	4169
5.	भाटापारा	4500	85.50	1356	3144	4500	85.50	265	4235
6.	सिमगा	4500	85.50	1386	3114	4500	85.50	196	4304
7.	फिंगेश्वर	4500	85.50	474	4026	4500	85.50	156	4344
8.	छुरा	2000	38.00	1798	202	2000	38.00	185	1815
9.	गरियाबंद	1500	28.50	1392	108	1500	28.50	110	1390
10.	मैनपुर	1500	28.50	1401	99	1500	28.50	309	1191
11.	देवभोग	1500	28.50	1297	203	1500	28.50	165	1335
12.	बलौदाबाजार	4500	85.50	1518	2982	4500	85.50	185	4315
13.	पलारी	4500	85.50	500	4000	4500	85.50	290	4210
14.	कसडोल	4500	85.50	1476	3024	4500	85.50	395	4105
15.	बिलाईगढ़	4500	85.50	1034	3466	4500	85.50	305	4195
कुल योग		57000	1083.00	20145	36855	57000	1083.00	3970	53030

प्रपत्र “द-1”

व्यक्तिगत/निजी शौचालय (ए.पी.एल.) निर्माण के स्वीकृत कार्य, उनकी लागत, पूर्ण कार्य एवं अपूर्ण कार्य की विकासखण्डवार जानकारी

जिला-जांजगीर-चांपा

क्र.	विकासखण्ड का नाम	वर्ष 2009-10 में व्यक्तिगत/निजी शौचालय (ए.पी.एल.)				वर्ष 2010-11 में व्यक्तिगत/निजी शौचालय (ए.पी.एल.)			
		स्वीकृत संख्या	लागत	पूर्ण	अपूर्ण	स्वीकृत संख्या	लागत	पूर्ण (अक्टूबर 2010 तक)	अपूर्ण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	नवागढ़	1219	3047500	1696	-477	1460	3650000	82	1378
2.	बम्हनीडीह	1219	3047500	1090	129	1460	3650000	404	1056
3.	अकलतरा	1219	3047500	846	373	1460	3650000	1040	420
4.	बलौदा	1219	3047500	1337	-118	1460	3650000	761	699
5.	पामगढ़	1219	3047500	1246	-27	1460	3650000	443	1017
6.	सक्ती	1219	3047500	1066	153	1460	3650000	118	1342
7.	जैजैपुर	1219	3047500	742	477	1460	3650000	357	1103
8.	डभरा	1219	3047500	1456	-237	1460	3650000	438	1022
9.	मालखरौदा	1219	3047500	1539	-320	1456	3640000	770	686
कुल योग		10971	27427500	11018	-47	13136	32840000	4413	8723

परिशिष्ट “इकतीस”
[अतारंकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 161) की जानकारी]

प्रपत्र “अ”

क्र. (1)	महाविद्यालय का नाम (2)	स्वीकृत (3)	कार्यरत (4)	रिक्त (5)
1.	शासकीय वृजलाल वर्मा महाविद्यालय, पलारी	6	6	0
2.	शासकीय स्व. दौलतराम महाविद्यालय, कसडोल	15	2	13
3.	शासकीय नवीन महाविद्यालय, लवन	10	0	10

प्रपत्र “ब”

क्र. (1)	महाविद्यालय का नाम (2)	कला (3)	विज्ञान (4)	संकायवार रिक्त पद
				वाणिज्य (5)
1.	शासकीय वृजलाल वर्मा महाविद्यालय, पलारी	–	–	–
2.	शासकीय स्व. दौलतराम महाविद्यालय, कसडोल	8	4	1
3.	शासकीय नवीन महाविद्यालय, लवन	5	3	2

परिशिष्ट "बत्तीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 172) के भाग (ख) की जानकारी]

दिनांक 15-11-2010 की स्थिति में राजनांदगांव जिले में एकल बत्ती कनेक्शन के हितग्राहियों की विकासखण्डवार जानकारी

क्रमांक (1)	विकासखण्ड (2)	एकल बत्ती कनेक्शनों की संख्या (3)
1.	राजनांदगांव	7602
2.	डोंगरगांव	6011
3.	छुरिया	12229
4.	चौकी	11748
5.	मोहला	8466
6.	मानपुर	7496
7.	डोंगरगढ़	16843
8.	खैरागढ़	7389
9.	छुईखदान	13017
कुल		90801

परिशिष्ट "तैंतीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 26 (क्र. 180) के भाग (ख) की जानकारी]

क्र.	जिला	संचालित संस्थाओं की संख्या	वर्तमान में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सरगुजा	365	17905
2.	कोरिया	107	4620
3.	बिलासपुर	182	8409
4.	कोरबा	177	8240
5.	जांजगीर-चांपा	105	3825
6.	रायगढ़	179	7255
7.	जशपुर	194	9705
8.	राजनांदगांव	148	6510
9.	कबीरधाम	96	5309
10.	दुर्ग	110	4518
11.	रायपुर	201	9735
12.	महासमुन्द	110	5037
13.	धमतरी	57	2130
14.	जगदलपुर	293	17098
15.	कांकेर	176	9025
16.	दंतेवाड़ा	231	18224
17.	बीजापुर	176	16378
18.	नारायणपुर	102	5765
योग		3009	159688

परिशिष्ट “चौंतीस”

[अतारंकित प्रश्न संख्या 28 (क्र. 186) के भाग (ख) की जानकारी]

महासमुन्द जिले के सरायपाली एवं बसना विकासखण्ड के अन्तर्गत किसानों के विद्युत पम्प कनेक्शन हेतु लंबित प्रकरण

क्र.	विकासखण्ड का नाम	लंबित प्रकरण			कुल
		स्वीकृति हेतु	विद्युत विस्तार हेतु		
			01-01-10 के पूर्व	01-01-10 के पश्चात्	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सरायपाली	50	180	13	243
2.	बसना	479	261	20	760
योग		529	441	33	1003

परिशिष्ट “पैंतीस”

[अतारांकित प्रश्न संख्या 31 (क्र. 207) के भाग (क) की जानकारी]

बस्तर जिले में सी.एस.आर. के अंतर्गत व्यय की जानकारी

वर्ष 2009-2010

क्र.	मद	स्थान	व्यय (रुपये लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रभावित भू-स्वामियों के नामितों के लिए ट्यूशन फीस एवं स्टाफ़ंड	प्रभावित भू-स्वामी	98.05
2.	वृक्षारोपण 18 किलोमीटर	रोड	79.87
3.	वृक्षारोपण 10 किलोमीटर	रोड	55.92
4.	स्कालरशिप स्कीम	55 स्कूल	37.38
5.	डब्ल्यू. बी. एम. रोड	नगरनार	19.36
6.	चिकित्सा के लिए मोबाइल मेडिकल वेन	नगरनार	19.00
7.	शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल के बाऊण्ड्री वाल का निर्माण	नगरनार	7.74
8.	पेट्रोलिंग के लिए दो एम्बुलेंस	हाइवे	5.00
9.	जिला कार्यालय बगीचे का रखरखाव	जगदलपुर	5.00
10.	शाला गणवेश हेतु	नगरनार	5.00
11.	बस्तर दशहरा लोकोत्सव के लिए सहयोग	बस्तर	3.25
12.	दत्तक पुत्री योजना के लिए सहयोग	बस्तर	3.00
13.	बस्तर विकलांग सेवा समिति	बस्तर	2.82
14.	होली उत्सव	मड़ीपाल	2.00
15.	पुलिस अधिकारियों के कान्फ्रेंस कक्ष हेतु फर्नीचर	जगदलपुर	2.00
16.	कुश्ती चैम्पियनशिप, ओलम्पिक एसोसियेशन	बस्तर	1.50
17.	दशहरा उत्सव के लिए सहयोग	दंतेवाड़ा	1.50
18.	व्हाली-वाल प्रतियोगिता	मड़पाल	1.05
19.	मड़ई मेला के लिए सहयोग	नगरनार	1.00
20.	एसी, कम्प्यूटर एवं अल्मारी हेतु	जगदलपुर	1.00
21.	नगरनार के छात्रों के लिए आईटीआई प्रशिक्षण हेतु बस सुविधा	जगदलपुर	0.80
22.	आर्थोपेडिक कान्फ्रेंस हेतु	जगदलपुर	0.70
23.	खेल सामग्री हेतु	कस्तूरी, आमागुड़ा	0.70
24.	बस्तर दशहरा उत्सव	नगरनार	0.60
25.	कोर्ट/नायब तहसीलदार कार्यालय हेतु कम्प्यूटर प्रिंटर सहित	बस्तर	0.45
26.	फुटबाल एवं अन्य खेल के आयोजन हेतु खेल सामग्री	नगरनार	0.33
27.	भारतीय आर्थोपेडिक एसोसियेशन कांफ्रेंस हेतु	जगदलपुर	0.30
28.	खेल सामग्री हेतु वित्तीय सहायता	नगरनार	0.25
29.	मड़ई मेला हेतु वित्तीय सहायता	बस्तर	0.25
30.	ईनर व्हील क्लब को आर्थिक सहायता	बस्तर	0.25
31.	क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए यूनिफार्म एवं किट हेतु	नगरनार	0.23
32.	खेल सामग्री हेतु	चौकावाड़ा	0.20
33.	छोटे व्यास जी, भारतीय संगीत विद्यालय के उपचार हेतु	जगदलपुर	0.10
34.	दुर्गा पूजा उत्सव हेतु	कस्तूरी	0.10
महायोग			356.7

वर्ष 2010-2011

क्र.	मद	स्थान	व्यय (रुपये लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आवासीय विद्यालय के स्थापना हेतु	नगरनार	162.60
2.	छात्रवृत्ति योजना (133 विद्यालय)	बस्तर	107.75
3.	आईटीसी की स्थापना हेतु	नगरनार	20.40
4.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को नल जल योजना हेतु प्रथम किशत	नगरनार एवं कस्तूरी	19.00
5.	सडक चौड़ीकरण हेतु एनएच-43	नगरनार	14.91
6.	जिला कार्यालय के बगीचे के पौधों की सुरक्षा हेतु	बस्तर	10.87
7.	वनमण्डलाधिकारी को 10 किमी वृक्षारोपण हेतु	बस्तर	4.46
8.	जिला कार्यालय को बाढ़ राहत हेतु	जगदलपुर	4.08
9.	सरस्वती शिशु मंदिर को कोचिंग हेतु सहायता	नगरनार	5.81
10.	दत्तक पुत्री योजना हेतु आर्थिक सहायता	बस्तर	3.50
11.	अस्पताल परियोजना पर निःशुल्क उपचार हेतु	बस्तर	3.00
12.	आईटीसी के भवन निर्माण हेतु	नगरनार	2.34
13.	एनआईटीसी के आईटीआई प्रशिक्षणार्थियों हेतु सहायता	जगदलपुर	1.48
14.	ईनर व्हील क्लब को निःशुल्क चिकित्सा हेतु	कस्तूरी	0.75
15.	सरस्वती शिशु मंदिर को ट्यूशन फीस हेतु	नगरनार	0.66
16.	ग्रामीणों के लिये खेल सामग्री हेतु	नगरनार एवं चौकावाड़ा	0.43
17.	मड़ई मेला के आयोजन हेतु आर्थिक सहायता	चौकावाड़ा	0.25
18.	कलेक्टर को बैडमिंटन प्रतियोगिता हेतु आर्थिक सहायता	बस्तर	0.25
19.	आईटीआई हेतु ट्रक किराया	बस्तर	0.20
20.	डाटा एन्ट्री आपरेटर को भूमि अधिग्रहण कार्य हेतु एनआईएसपी	बस्तर	0.12
21.	डाटा एन्ट्री आपरेटर को भूमि अधिग्रहण कार्य हेतु	बस्तर	0.12
महायोग			362.98

परिशिष्ट "छत्तीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 32 (क्र. 283) के भाग (क) की जानकारी]

योजनावार एवं जनपद पंचायतवार जानकारी

क्र.	वर्ग	योजना का नाम	नाम जनपद पंचायत	हितग्राही संख्या	
				वर्ष 2009-10	2010-11
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	अनुसूचित जनजाति	कृषि उत्खनन योजना	खरसिया	02	-
2.	—,,—	ट्रेक्टर ट्राली योजना	रायगढ़	02	-
	—,,—	—,,—	लैलूंगा	02	-
3.	—,,—	लघु व्यवसाय योजना	रायगढ़	02	-
	—,,—	—,,—	बरमकेला	02	-
	—,,—	—,,—	घरघोड़ा	02	-
	—,,—	—,,—	खरसिया	03	-
4.	—,,—	आदिवासी स्वरोजगार योजना	रायगढ़	11	04
	—,,—	—,,—	बरमकेला	09	-
	—,,—	—,,—	सारंगढ़	-	01
	—,,—	—,,—	पुसौर	17	-
	—,,—	—,,—	घरघोड़ा	-	01
	—,,—	—,,—	तमनार	01	-
	—,,—	—,,—	धरमजयगढ़	03	02
योग				56	08
1.	अनुसूचित जाति	माईक्रो क्रेडिट योजना	पुसौर	02	-
	—,,—	—,,—	खरसिया	01	-
2.	—,,—	ट्रेक्टर ट्राली योजना	धरमजयगढ़	01	-
3.	—,,—	मिनीमाता स्वावलंबन योजना	सारंगढ़	02	-
	—,,—	—,,—	रायगढ़	02	-
4.	—,,—	स्वावलंबी योजना	पुसौर	01	-
	—,,—	—,,—	रायगढ़	03	-
	—,,—	—,,—	बरमकेला	01	-
5.	—,,—	लघु स्वावलंबी योजना	रायगढ़	01	-
	—,,—	—,,—	बरमकेला	02	-
	—,,—	—,,—	खरसिया	01	-
	—,,—	—,,—	घरघोड़ा	01	-
6.	—,,—	अंत्योदय स्वरोजगार योजना	रायगढ़	12	-
	—,,—	—,,—	खरसिया	01	02
	—,,—	—,,—	बरमकेला	14	02
	—,,—	—,,—	सारंगढ़	17	01
	—,,—	—,,—	तमनार	-	01
	—,,—	—,,—	धरमजयगढ़	-	01
	—,,—	—,,—	पुसौर	27	02
योग				89	09

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	पिछड़ा वर्ग	माईक्रो क्रेडिट योजना	बरमकेला	01	-
	—,,—	—,,—	पुसौर	01	-
	—,,—	—,,—	सारंगढ़	01	-
	—,,—	—,,—	रायगढ़	02	-
2.	—,,—	मध्यम ऋण योजना	बरमकेला	02	-
	—,,—	—,,—	रायगढ़	07	-
	—,,—	—,,—	पुसौर	01	-
	—,,—	—,,—	घरघोड़ा	02	-
3.	—,,—	महिला समृद्धि योजना	रायगढ़	02	-
	—,,—	—,,—	पुसौर	04	-
	—,,—	—,,—	खरसिया	02	-
			योग	25	-
1.	अल्पसंख्यक वर्ग	व्यक्तिमूलक योजना	रायगढ़	01	-
			योग	01	-
			महायोग	171	17

परिशिष्ट “सैंतीस”

[अतारंकित प्रश्न संख्या 33 (क्र. 352) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

स. क्र.	योजना का नाम	सर्वेक्षण/ अनापत्ति प्रमाण-पत्र/ तकनीकी स्वीकृति वर्ष	वर्ष 2010-11 में		कब से लंबित है वर्ष	लंबित रहने का कारण	किस स्तर पर लंबित है
			बजट प्रावधान	आवंटन/ व्यय			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	कसहीबाहरा जलाशय	1980	5 लाख	-	1984	योजना वनभूमि व्यपवर्तन नहीं होने के कारण दिनांक 27-03-1984 से लंबित है. वनभूमि व्यपवर्तन का प्रकरण प्रक्रियाधीन है.	वन विभाग
2.	कोमा जलाशय	1980	5 लाख	-	1984	योजना वनभूमि व्यपवर्तन नहीं होने के कारण दिनांक 16-03-1984 से लंबित है. वनभूमि व्यपवर्तन का प्रकरण प्रक्रियाधीन है.	वन विभाग
3.	धरमपुरा जलाशय	2002	-	-	2005	वनभूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव स्वीकृति हेतु 3 वर्ष 7 माह से भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में प्रक्रियाधीन है.	वन विभाग (वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार)
4.	32 इंटेकवेल एवं पंप हाऊस	2003	50 लाख	-	2009	योजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति 11 माह से प्रक्रियाधीन है.	प्रकरण में वित्त विभाग द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निराकरण मु.अ. स्तर पर प्रक्रियाधीन है.
5.	अपरजोंक डायवर्सन योजना (परकोम खट्टी के मध्य)	2007 में सर्वे हुआ है	बजट में शामिल नहीं है	-	-	योजना को बजट वर्ष 2011-12 में नवीन मद में शामिल करने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.	बजट में शामिल नहीं है.
6.	दरबेकेरा एनीकट	2010 में सर्वे हुआ है	बजट में शामिल नहीं है	-	-	योजना को बजट वर्ष 2011-12 में नवीन मद में शामिल करने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.	बजट में शामिल नहीं है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7.	चिरई बांध	2010 में सर्वे हुआ है	बजट में शामिल नहीं है	-	-	योजना को बजट वर्ष 2011-12 में नवीन मद में शामिल करने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.	बजट में शामिल नहीं है.
8.	चारभाठा बांध	1989	5 लाख	-	2007	प्रशासकीय स्वीकृति हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.	प्रकरण में वित्त विभाग द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निराकरण मु.अ. स्तर पर प्रक्रियाधीन है.
9.	तेन्दुकोना एनीकट	बजट में शामिल नहीं है	-	-	-	योजना को बजट वर्ष 2011-12 में नवीन मद में शामिल करने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.	-
10.	तिलईदादर बांध	बजट में शामिल नहीं है	-	-	-	योजना को बजट वर्ष 2011-12 में नवीन मद में शामिल करने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.	-
11.	बकमा एनीकट	बजट में शामिल नहीं है	-	-	-	योजना को बजट वर्ष 2011-12 में नवीन मद में शामिल करने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.	-
12.	सूखानाला जलाशय (गड़बेड़ा)	विचाराधीन नहीं है	-	-	-	विचाराधीन नहीं है	-
13.	टूरीझर एनीकट	विचाराधीन नहीं है	-	-	-	विचाराधीन नहीं है	-
14.	अपर बघनई बैराज	विचाराधीन नहीं है	-	-	-	विचाराधीन नहीं है	-